अंक- 161

वाणी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

वर्ष : 2021–2022

राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी
(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद , उ. प्र. , लखनऊ)

जिस देश को अपनी भाषा
और अपने साहित्य के
गौरव का अनुभव नहीं है,
वह उन्नत नहीं हो सकता।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

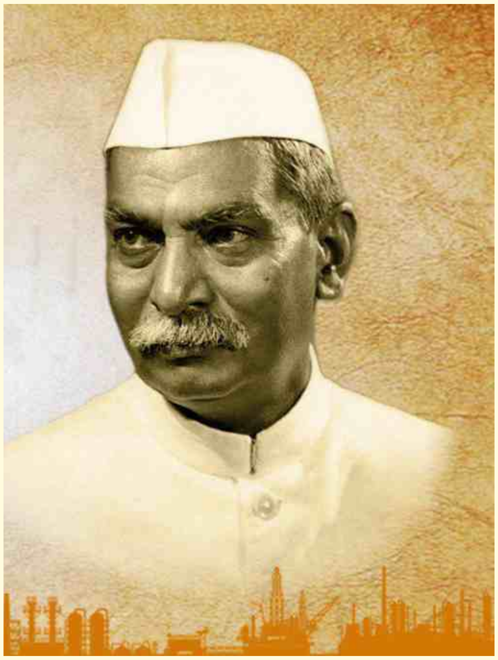

वे मुसकाते फूल नहीं,
जिनको आता है मुरझाना।
वे तारों के दीप नहीं,
जिनको आता है बुझ जाना।

महादेवी वर्मा

वाणी

राज्य हिन्दी संस्थान स्थापित 1975

अंक–161

वर्ष 2021–22

संरक्षण–

डॉ0 सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

निर्देशन एवं समीक्षा–

डॉ0 ऋचा जोशी, निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

संपादक मंडल–

डॉ0 प्रतिभा गोस्वामी, प्रकाशन प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी, राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी

श्री अरविन्द कुमार अवस्थी, शोध प्रवक्ता (हिन्दी) राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

श्रीमती ज्योति यादव, पूर्व शोध प्रवक्ता (हिन्दी) राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

कंप्यूटर टंकण एवं ग्राफिक्स–

श्री राजेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ सहायक, राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0, वाराणसी।

श्री राजकुमार, आ0 लि0, राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

श्री अजीत कुमार कौशल, क0 स0, राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

श्रीमती रश्मि रूपम, सहायक अध्यापिका, कम्पोजिट विद्यालय उसरौरी, नियामताबाद, चन्दौली ।

दीपक कन्नौजिया।

आवरण–

तृप्ति चंद्रा, प्रवक्ता (कला), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर।

ई मेल– rajyahindisansthan1975@gmail.com

वेबसाइट – rajyahindisansthanupvns.org.in

पत्रिका में प्रकाशित लेख तथा विचार लेखकों के स्वयं के हैं जिसका उत्तरदायित्व भी उनका स्वयं का है। अतः प्रकाशित लेखों के माध्यम से संस्थान की नीतियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसके लिए संस्थान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

वाणी

वर्ष: 2021–2022

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ सं०
संदेश	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ, उत्तर प्रदेश	04
आमुख	निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी	05

सीखने–सिखाने की बातें–

1. भाषाई दक्षता विकास में भाषा–किट का प्रयोग	डॉ0 प्रतिभा गोस्वामी	06–10
2. भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का प्रयोग	श्री अवधेश कुमार	11–13
3. विराम चिह्नों के प्रयोग और नियम	श्रीमती ज्योति यादव	14–17
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक दृष्टि	निशा यादव	18–19
5. शिक्षण पद्धति एवं संस्कृत	डॉ0 अमरजीत	20–22
6. धाराप्रवाह पठन	तृप्ति मिश्रा	23–24
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 : एक अवलोकन	श्रीमती साधना सिंह	25–26
8. आरम्भिक स्तर पर बिग बुक के प्रयोग का महत्त्व	सुश्री अल्पा निगम	27–28
9. कक्षा–शिक्षण एवं संप्रेषण	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	29–30
10. प्रारम्भिक भाषा शिक्षण–बेहतर अधिगम संप्राप्ति के उपाय	श्री अखिलेश्वर प्रसाद गुप्ता	31–33
11. बच्चों में नेतृत्व कौशल का विकास–बाल संसद	श्री धीरज सिंह	34
12. शिक्षक अधिगम में क्राफ्ट की सार्थकता	आकांक्षा पाण्डेय	35–36

साहित्य की दुनिया से–

1. लोक साहित्य का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्त्व	डॉ0 रामसुधार सिंह	37–38
2. बाल मनोविज्ञान और प्रेमचंद का कहानी साहित्य	डॉ0 पार्वती गोसाई	39–40
3. संस्कृत साहित्य में विश्व–बन्धुत्व की परिकल्पना	डॉ0 रंजना श्रीवास्तव	41–42
4. काव्य की परिभाषा एवं स्वरूप निर्धारण	डॉ0 शीला सिंह	43–45
5. हिन्दी की भाषाएँ एवं बोलियाँ	श्रीमती गायत्री	46–48
6. हिन्दी देश की आत्मा ही नहीं, बल्कि विश्व की दरकार भी है	श्री शिवम वर्मा	49–50

वाणी

मेरा अनुभव–

1. कक्षा शिक्षण के लिए समय–सारणी की आवयश्कता : मेरा अनुभव सुविद्या वत्स 51
2. प्रारम्भिक कक्षा में भाषा शिक्षण : मेरा अनुभव डॉ0 कुँवर भगत सिंह 52
3. कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग : मेरा अनुभव श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव 53–54
4. प्रारम्भिक स्तर पर संस्कृत–शिक्षण : मेरा अनुभव अखिलेश कुमार पाण्डेय 55

बच्चों का कोना–

1. सूरज अंजली 56
2. स्वस्थ अगर रहना है कुणाल नागवानी 56
3. सबके बोल सौम्या गिरी 57
4. शिक्षा की राह पवन कुमार 57
5. हमसे सब कहते मो0 कैफ 58
6. किसान का बेटा शिवा 58

अभिव्यक्ति–

1. माँ डॉ0 प्रतिभा गोस्वामी 59
2. बेटियाँ डॉ0 सुधांशु 60
3. अभ्युदय श्रीमती साधना सिंह 60
4. आराधना श्री अरविन्द कुमार सिंह 61
5. छड़ी ज्योति श्रीवास्तव 61
6. आओ रोपें वन श्रीमती रीता सिंह 62
7. शिक्षक श्रीमती रेखा वर्मा 62
8. सीखें हम जीने का ढंग श्रीमती श्रुति त्रिपाठी 63
9. मनुष्य की जीजिविषा सुश्री मीनाक्षी राय 63
10. कर्तव्य–पथ आदित्य गोस्वामी 64
11. हाथी दादा निधि सिंह 64

पाठक बन्धुओं, लेखकों, कवियों से निवेदन है कि अपने शैक्षणिक एवं साहित्यक लेख प्रकाशनार्थ निम्न पते पर प्रेषित करें।

सम्पादक
'वाणी पत्रिका'
राज्य हिन्दी संस्थान उ0प्र0, वाराणसी
निकट पुलिस लाइन, अर्दली बाजार, वाराणसी
फोन न0– 0542–2500940
email: rajyahindisansthan1975@gmail.com

डॉ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह
निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
फोन (कार्यालय) : 0522–2780385, 2780505
(फैक्स) : 0522–2781125
ई–मेल : dscertup@gmail.com

दिनांकः 14 फरवरी, 2022

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्र–छात्राओं की पठन क्षमता विकसित करने की दृष्टि से पाठ्य–सामग्री की गुणवत्ता और उपलब्धता पर बल दिया गया है। भाषा सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। सहज–सरल भाषा में अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करने और छात्र–छात्राओं में पठन क्षमता विकास के लिए उनके स्तर एवं रुचि के अनुकूल सामग्री उपलब्ध कराकर भाषिक क्षमता का विकास किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी द्वारा **'वाणी'** पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 'वाणी' पत्रिका के 161वें अंक का प्रकाशन हो रहा है। मुझे विश्वास है कि 'वाणी' का यह अंक पूर्व की भाँति हिन्दी भाषा सीखने और सिखाने में छात्र–छात्राओं और शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

पत्रिका के प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

14.2.2022

(डॉ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)

आमुख

भाषा का अर्थ सम्प्रेषण की क्रिया से है। सामान्यतः भाषा को विचारों के आदान–प्रदान का साधन ही माना जाता है, किन्तु भाषा के माध्यम से ही सार्थक और समग्र चिन्तन संभव हो पाता है। भाषा की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में बुनियादी भाषा–शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बुनियादी अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान हेतु केन्द्रित होने पर बल दिया गया हैं।

भाषा का समुचित ज्ञान होने पर ही हम अन्य विषय यथा–विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि की बारीकियों को समझने व समझाने में समर्थ होंगे। इसी दृष्टिकोण से भाषा–शिक्षण की स्थिति, समस्या तथा विकास की दिशाओं को ध्यान में रखकर राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0, वाराणसी द्वारा 'वाणी' पत्रिका के 161वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका का यह अंक जहाँ एक ओर भाषा शिक्षण एवं हिन्दी साहित्य से संबंधित लेखों को अपने में समेटे हुए है वहीं दूसरी ओर हमारे शिक्षकों के अनुभव व उनकी रचनात्मकता को भी प्रकट करने का अवसर देता है।

यह अंक हिन्दी भाषा के विविध पक्षों से संबंधित लेखों का संतुलित मिश्रण है। हम सभी जानते हैं कि प्रारम्भिक स्तर पर भाषा–शिक्षण में चित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के दृष्टिगत पत्रिका में **'आरम्भिक स्तर पर बिग बुक का प्रयोग'** विषयक लेख को सम्मिलित किया गया है। कला समेकित शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए **'भाषायी दक्षता विकास में भाषा किट की भूमिका'** नामक लेख को समाहित किया गया है जो कला एवं क्राफ्ट के प्रयोग से भाषा की अवधारणाओं को सीखने–सिखाने हेतु शैक्षिक सामग्री निर्माण पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कला को अन्य विषयों में अन्तर्निहित कर आनन्ददायी शिक्षण की बात कही गयी है। इसके अतिरिक्त बेहतर अधिगम सम्प्राप्ति के उपाय, लोक साहित्य का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्व, बाल मनोविज्ञान और प्रेमचन्द का कहानी साहित्य, हिन्दी की भाषाएँ व बोलियाँ तथा विराम चिह्नों के प्रयोग व नियम इत्यादि लेखों को पत्रिका में समाविष्ट किया गया है। साथ ही हमारे नन्हें–मुन्ने बच्चों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति को भी इस पत्रिका में स्थान दिया गया है।

यह एक ऐसा अंक होगा जो न केवल पाठकों के लिए संग्रहणीय होगा वरन् कहीं न कहीं भाषा–शिक्षण को समृद्ध व आनंददायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस अंक के विकास से जुड़े संकाय सदस्यों तथा सभी रचनाकारों का आभार व्यक्त करती हूँ।

आशा है यह पत्रिका पाठकों हेतु उपयोगी होगी। आपके सुझावों का स्वागत है।

(ऋचा जोशी)
निदेशक
राज्य हिन्दी संस्थान,उ0प्र0,
वाराणसी।

भाषाई दक्षता विकास में भाषा–किट का प्रयोग

भाषा–किट में हिन्दी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है जिसका प्रयोग शिक्षक छात्रों में भाषा विकास के लिए करते हैं। भाषा–किट की सामग्री केवल सामान्य भाषाई विकास नहीं करती, बल्कि भाषा–किट की सामग्री के प्रयोग द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा छात्रों में भाषा की मुख्य दक्षताओं जैसे–सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास भी किया जाता है।

डॉ0 प्रतिभा गोस्वामी
प्र0प्र0 एवं शोध अधिकारी
राज्य हिन्दी संस्थान उ0प्र0 वाराणसी।

प्रारंभिक स्तर पर छात्रों में भाषाई दक्षता विकसित करने के लिए कक्षा–कक्ष में ऐसे क्रियाकलाप कराए जाएं जिससे छात्रों को सीखना बोझिल ना लगे, बल्कि कक्षा–कक्ष में वे स्वयं करके सीखें तथा सीखने के प्रति उनकी रुचि व उत्सुकता भी बनी रहे। इसके साथ ही साथ छात्र नियमित विद्यालय आने के लिए भी तत्पर रहें। प्रारंभिक स्तर पर भाषा–किट की सामग्री का प्रयोग कैसे कराया जाए कि कक्षा के प्रत्येक छात्र को भाषा–किट की सामग्री को देखने, उसे छूने व भाषा–किट की सामग्री का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि सामग्री बच्चों को उपयोग करने के लिए दी जाय।

भाषा–किट में प्रारंभिक स्तर से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है जिसका प्रयोग शिक्षक छात्रों में भाषा विकास के लिए करते हैं। भाषा–किट की सामग्री केवल सामान्य भाषाई विकास नहीं करती, बल्कि भाषा–किट की सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षक विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा छात्रों में भाषा की मुख्य दक्षताओं जैसे–सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास भी किया जाता है।

भाषा–किट की सामग्री कैसी हो–

भाषा–किट की सामग्री तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए–

1– किट की सामग्री टिकाऊ हो।

2– सामग्री कम खर्चीली हो।

3– सामग्री रखरखाव की दृष्टि से भी ऐसी हो जिसे रखने के लिए विशेष प्रबंध न करना पड़े।

4– सामग्री का उपयोग छात्रों के लिए सहज व सरल हो।

5– किट की सामग्री बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षीय हो।

भाषा–किट की सामग्री का भाषाई कौशलों के विकास में योगदान–

भाषा–किट की सामग्री के द्वारा छात्र को भाषा सीखने में नीरसता का अनुभव नहीं होता है। छात्र खेल–खेल में भाषाई वर्णों, शब्दों, सरल वाक्य, विराम चिह्नों, तत्सम एवं तद्भव शब्दों, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सरल व्याकरण जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण का ज्ञान सरलता से कर लेते हैं। सर्वविदित है कि सुनकर, देखकर या पढ़कर सीखा गया ज्ञान उतना स्थाई नहीं होता है जितना कि स्वयं करके सीखा ज्ञान गया सरल, सहज और स्थाई होता है। स्वयं करके सीखना छात्रों के लिए एक आनंददाई प्रक्रिया है। जहाँ तक भाषा सीखने की बात है हमारे यहाँ विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अधिकांशतः हिन्दी ही है, ऐसे में हिन्दी भाषा का ज्ञान उसकी दक्षताओं का बोध छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। भाषा–किट की सामग्री भाषा के इन्हीं बिंदुओं को जानने एवं समझने में सहायक होती है। किट में विभिन्न प्रकार की आकर्षक एवं अधिगम के लिए उपयोगी सामग्री होती है, जिसका प्रयोग छात्र व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से करते हुए भाषा के विभिन्न कौशलों को आत्मसात करते हैं।

यहाँ पर भाषा–किट की कुछ सामग्रियों का उनके प्रयोग विधि के साथ किया जा रहा है शिक्षक भाषा की कक्षा को रोचक बनाने के लिए इन सामग्रियों का प्रयोग कक्षा–कक्ष में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में कर सकते हैं। यह सामग्रियां छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे छात्रों में भाषा के समस्त कौशलों का विकास रुचिपूर्ण ढंग से होता है। नीचे भाषा–किट की कुछ सामग्रियों के कक्षा–कक्ष में प्रयोग विधि के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, जिसका प्रयोग करके शिक्षक छात्रों के लिए कक्षा में रोचक एवं आनंददाई वातावरण सृजित कर सकते हैं। भाषा–किट की कुछ सामग्रियों के कक्षा–कक्ष में प्रयोग का विवरण निम्नलिखित है–

1– वर्णों का कटआउट अथवा आकृतियाँ

वर्णों का कटआउट के द्वारा बच्चों को वर्णों की

पहचान, स्वर एवं व्यंजन में अन्तर तथा अमात्रिक शब्दों का बोध कराना जा सकता है।

क्रियाविधि– वर्णों के कटआउट्स को बच्चों को देकर उनसे स्वर एवं व्यंजन वर्णों की पहचान करायी जाएगी। स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के विभिन्न रंगों के कटाव की आकृतियों वाली इस सामग्री के द्वारा छात्र वर्ण, अमात्रिक शब्द, मात्रिक शब्द, व छोटे–छोटे वाक्य बनाना तथा वर्णों के साथ मात्राओं का संयोजन करना सीख सकते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न वर्णों को जोड़कर शब्द रचना का अभ्यास करा सकते हैं, जैसे–जय, सर, चल, यश, रच, छल आदि।

2–अनुस्वार एवं अनुनासिक लघु पुस्तिका– अनुस्वार एवं अनुनासिक की पहचान तथा शब्दों एवं वाक्यों में सही स्थान पर अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग की दक्षता की विकास में केलिए इस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।
क्रियाविधि–भाषा–किट की इस पुस्तिका द्वारा बच्चे अनुनासिक और अनुस्वार की पहचान कर सकेंगे। इस पुस्तिका को विभिन्न रंगों से, विभिन्न रंगों के चार्ट पेपर से आकर्षक रूप में तैयार किया गया है। पहले अनुस्वार का चिह्न दिखाया गया है, उसके बाद अनुस्वार युक्त शब्दों को उस चित्र के नीचे लिखा गया है, जिसे बच्चे स्वयं उठाकर पढ़ सकते हैं।

शब्दों पर अनुस्वार कैसे लगेगा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार इसमें अनुनासिक वर्ण की पहचान तथा शब्दों में अनुनासिक वर्ण किस प्रकार लगाया जाए इसको भी दिखाया गया है। प्रायः बच्चे अनुनासिक और अनुस्वार में बोलते और लिखते समय गलतियाँ कर देते हैं, यह सामग्री बच्चों की उस गलती को रोकने में काफी सहायक होगी।

3– रंग पहचानो चक्र–विभिन्न रंगों का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
क्रियाविधि–भाषा–किट की इस सामग्री में विभिन्न प्रकार के रंगों को शब्दों में लिखा गया है। शब्दों के अनुसार उस रंग की एक पट्टी चक्र पर चिपकाई गई है जिसे छात्र चक्र घुमा कर यह जान पाएँगे कि चक्र की तीली जिस शब्द के पास जाती है चक्र पर लिखे गए रंग के उस शब्द के अनुसार वह रंग कौन–सा है। यह बच्चे स्वयं करके समझ पाएँगे,
जैसे–काला शब्द लाल रंग की पट्टी पर लिखा है लेकिन काले रंग की पट्टी चिपकाई गई है, काले रंग की तीली को काले रंग की पट्टी से संयोजित करके बच्चे जान पाएँगे कि काला रंग कैसा होता है? लाल तथा पीला रंग कैसा होता है? विभिन्न तीलियों को रंगों के साथ संयोजित करने के लिए इसमें एक दूसरा चक्र लगा हुआ है, जिस चक्र को बच्चे स्वयं घुमाकर रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएँगे।

4–शब्दों का मेला– विभिन्न प्रकार के शब्दों जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विलोम शब्द आदि का ज्ञान, एकवचन एवं बहुवचन के शब्दों का ज्ञान, एकवचन एवं बहुवचन के शब्दों में भेद करने की दक्षता का विकास तथा तद्भव और तत्सम शब्दों का बोध कराने मे यह सामग्री सहायक होती है।

क्रियाविधि–

❖ भाषा–किट के इस सहायक सामग्री द्वारा पहले पृष्ठ पर दिए गए पुलिंग शब्दों के द्वारा छात्र स्त्रीलिंग शब्द बनाना सीखेंगे जैसे–छात्र से छात्रा, शिष्य से शिष्या, बालक से बालिका, नाना से नानी आदि।

❖ सामग्री के द्वितीय पृष्ठ पर शब्दों के बहुवचन रूप बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जिसे छात्र स्वयं करके सीखेंगे, जैसे–रात से रातें, कलम से कलमें, कपड़ा से कपड़े, तिथि से तिथियाँ, दवा से दवाइयाँ, सखी से सखियाँ यह ऐसे शब्द हैं जिनमें 'ई' के स्थान पर 'इ' का प्रयोग करके एकवचन के शब्दों को बहुवचन बनाने का अभ्यास करके विभिन्न शब्दों को जान पाएँगे।

❖ अनुनासिक वर्णों के प्रयोग द्वारा एकवचन के शब्दों को बहुवचन में बदलने का अभ्यास करने में सक्षम होंगे जैसे–चुहिया से चुहियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ इत्यादि।

❖ पृष्ठ संख्या तीन पर विलोम शब्द दिए गए हैं, पृष्ठ पर लगे कार्डों में लिखे गए शब्दों के नीचे ही उसके विलोम शब्द दिए गए हैं जिन्हें छात्र उस पृष्ठ के नीचे देख सकते हैं, जैसे– लाभ के नीचे हानि, उजाला के नीचे अंधेरा, ठंडा के नीचे गर्म, इत्यादि।

❖ पृष्ठ संख्या–4 पर तत्सम और तद्भव शब्दों का बोध कराने के लिए छोटे–छोटे कार्ड लगाए गए हैं, जैसे–अग्नि का आग, आम्र का आम, काम का कार्य, अमृत का अमी, आश्चर्य का अचरज इत्यादि पहले तत्सम शब्द हैं, उसी के नीचे उनके तद्भव शब्दों को भी रखा गया है इसके प्रयोग द्वारा छात्र तत्सम और तद्भव शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

❖ शब्दों का मेला सामग्री के अगले पृष्ठ पर पर्यायवाची शब्दों के अभ्यास दिए गए हैं, जैसे– पृथ्वी का भू, भूमि, धरा। आँख का लोचन, नयन, नेत्र आदि। यह सामग्री छात्रों को स्वयं कर के विभिन्न प्रकार के शब्दों को सीखने का अवसर प्रदान करेगी।

5–संज्ञा फोल्डर– संज्ञा एवं उसके भेदों वाक्यों में संज्ञा शब्द की पहचान करने के लिए यह सामग्री उपयोगी है।।

क्रियाविधि–

❖ यह सहायक सामग्री छात्रों को संज्ञा एवं संज्ञा के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान कराने में सहायक होगी।

❖ बच्चों को संज्ञा के उदाहरणों को बताने के बाद संज्ञा की परिभाषा को बताएंगे।

❖ संज्ञा के भेदों, परिभाषाओं एवं उसके उदाहरणों को किट की सहायता से स्पष्ट करेंगे। यह सामग्री छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर देती है। सामग्री के प्रयोग की विधि भी बहुत सरल और सहज है।

❖ संज्ञा के भेदों के उदाहरणों को छोटी–छोटी पर्चियों पर लिख लेंगे। उसके पश्चात् छात्रों को निर्देश दिया जाएगा कि संज्ञा शब्दों की पर्ची निकाल कर उचित डिब्बे में डालें और जो डिब्बे बने हुए हैं उनका क्रम है प्राणीवाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा आदि प्राणीवाचक शब्दों जैसे–शेर को प्राणीवाचक के डिब्बे में तथा स्थानवाचक शब्दों जैसे–वाराणसी को स्थानवाचक के डिब्बे में रखवाया जाएगा।

❖ संज्ञा के भेद की समझ विकसित करने के लिए भी इस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे–व्यक्तिवाचक,जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। शिक्षक संज्ञा के प्रकारों के कार्ड तैयार करके बच्चों से संज्ञा के भेद के प्रकार के डिब्बे बनवाकर उसमें रखवा सकते हैं, जैसे–व्यक्तिवाचक में राम, भयाम, मोहन, सीता, गीता इत्यादि। जातिवाचक में जाति से सम्बन्धित शब्द रखवाये जा सकते हैं। यही क्रम आगे बढ़ाते हुए समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के प्रकारों के शब्द बच्चों से डिब्बों में रखवाये जा सकते हैं।

6–पर्यायवाची झरोखा– बच्चों के शब्द भंडारण वृद्धि करने एवं पर्यायवाची शब्दों से अवगत कराने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।

पर्यायवाची–झरोखा

क्रियाविधि–भाषा–किट की इस सामग्री में सचित्र पर्यायवाची शब्दों को दिखाया गया है। विभिन्न शब्दों के चित्र को लगाते हुए एक कार्ड तैयार किया गया है, जैसे–वृक्ष का एक चित्र लगाते हुए वृक्ष के चार पर्यायवाची शब्द फूल की पंखुड़ियों पर लिखे गए हैं। पर्यायवाची झरोखा नामक यह भाषाई किट उन्हीं फूल की पंखुड़ियों के आकार में काट कर बनाया गया है जिसमें विभिन्न शब्दों को रखने के बाद उसके

है और फूल की पंखुड़ियों पर उस चित्र से संबंधित पर्यायवाची शब्द दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें पर्यायवाची झरोखा में लगाने के बाद बच्चे पर्याय शब्दों को देखकर उसका शुद्ध उच्चारण करते हुए पर्यायवाची शब्दों को याद कर सकते हैं। दिए गए चित्र का नाम बता सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न शब्दों के चित्रों के साथ पर्यायवाची शब्दों को रखा गया है, जैसे–कमल का चित्र बीच में रखा गया है और उसकी पंखुड़ियों के आकृति पर कमल के पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। शिक्षक पर्यायवाची झरोखा का प्रयोग बच्चों को पर्यायवाची याद करने के लिए करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसी प्रकार की दूसरी सामग्री शिक्षक स्वयं तैयार कर सकते हैं, जिसका नाम वो पाठ्य–सामग्री के अनुरूप रख सकते हैं, जैसे–विलोम शब्दों का झरोखा, शब्द और अर्थ का झरोखा, प्रत्यय का झरोखा, उपसर्ग का झरोखा आदि।

7–कारक चिह्न पुस्तिका– कारक चिह्न की पहचान कराना तथा कारक चिह्न लगाते हुए छोटे–छोटे वाक्यों की रचना करने की क्षमता को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

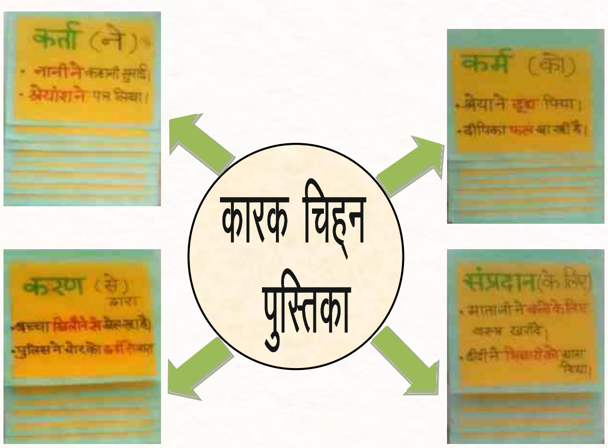

क्रियाविधि– भाषा–किट की यह सामग्री बच्चों को कारक और उसके चिह्न की पहचान कराने में सहायक है। इस पुस्तिका में कारक एवं कारक का चिह्न तथा चिह्न युक्त वाक्यों को लिखा गया है, जिसे बच्चे देखकर वाक्यों को पढ़ेंगे करेंगे और वाक्यों में कारक की पहचान भी कर पाएँगे। इसी प्रकार बच्चे दूसरे ऐसे वाक्यों को स्वयं सोच कर बोलेंगे जिसमें कारक का चिह्न लगा हो, जैसे–इस कारक–पुस्तिका में दिया है कर्ता कारक का उदाहरण दिया गया है जिसमें कर्ता के चिह्न को 'ने' दिखाया गया है जिसका उदाहरण है 'नानी ने कहानी सुनाई। दूसरा **उदाहरण**–श्रेयांश ने पत्र लिखा''। इसी प्रकार के अन्य वाक्य बच्चे स्वयं भी बोल सकते हैं और शिक्षक बच्चों को कुछ संकेत देकर उनसे कर्ता कारक का प्रयोग करते हुए वाक्य बोलने का अभ्यास करा सकते हैं, जैसे–राम ने श्याम को किताब दी। इस उदाहरण में 'ने' कर्ता कारक का चिह्न है। इस प्रकार के बच्चे और उदाहरण स्वयं बोलकर कारक के चिह्नों को समझ सकते हैं। पुस्तिका में अगले पृष्ठों पर कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण आदि के उदाहरण को भी प्रस्तुत किया गया है और सभी कारक चिह्नों से संबंधित दो–दो वाक्य दिए गए हैं जिसे छात्र शिक्षक की सहायता से और स्वयं भी पढ़कर और लिखकर कारक व उसके चिह्न को समझ सकते हैं।

8–विराम चिह्न चक्र– विराम चिह्नों के महत्व को समझाने, विभिन्न विराम चिह्नों की जानकारी प्रदान करने एवं विराम चिह्नों के उचित प्रयोग की जानकारी प्रदान करना में यह सामग्री उपयोगी होती है।

क्रियाविधि–'विराम चिह्न चक्र' नामक इस भाषा–किट में विराम चिह्नों के प्रयोग के लिए अभ्यास से संबंधित सामग्री है। यहाँ पर शिक्षक बच्चों को चक्र में लिखे वाक्यों और विराम चिह्नों को सर्वप्रथम मैच कराकर दिखा सकते हैं फिर बच्चों को भी अभ्यास का अवसर दे सकते हैं। जिससे बच्चों में विराम चिह्नों को पहचानने की क्षमता विकसित हो सके। चक्र में बने तीर को किसी वाक्य के पास ले जाकर बच्चों से प्रश्न किया जा सकता है कि इस वाक्य में जो खाली स्थान है वहाँ कौन–सा चिह्न लगेगा, जैसे–चक्र में लिखा यह वाक्य लेते है–'वाह....कितना सुन्दर फूल है।' इस वाक्य पर चक्र में बने लाल तीर को लगाकर बच्चों से विराम चिह्नों वाला चक्र घुमाकर उस वाक्य पर उचित विराम चिह्न लगाने को कह सकते हैं। यह प्रक्रिया बार–बार कई बच्चों के साथ अपनाई जा सकती है। यहाँ पर पहले चक्र में बने विराम चिह्नों की पहचान करायी जा सकती है फिर जब बच्चे विराम चिह्नों से परिचित हो जाएँ तब उनका वाक्य में प्रयोग बच्चों को सिखाया जा सकता है।

9–शब्द चक्र–अमात्रिक एवं मात्रिक शब्दों के बोध कराने के लिए इस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

क्रियाविधि–यह सामग्री बच्चों में अमात्रिक शब्दों की समझ विकसित करने में सहायक है। इस चक्र के द्वारा बच्चे स्वतः चक्र की सुई को वर्णों से जोड़ते हुए अमात्रिक शब्दों के बारे में जान पाएंगे। इसका प्रयोग बच्चे व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में कर सकते हैं। चक्र की सुई के रिक्त स्थान से चक्र पर लगे वर्ण दिखाई पड़ते हैं, जिससे बच्चे उन वर्णों को जोड़ते हुए शब्दों को देखकर बोलते हैं।

10–शब्दों से सार्थक वाक्य/मुहावरा बनाओ फोल्डर–वाक्य निर्माण की समझ विकसित करने, मुहावरों का प्रयोग करने एवं समझने की क्षमता विकसित करने तथा वाक्यों में प्रयोग किए गए मुहावरों को पहचानने एवं उसका अर्थ समझने की दक्षता का विकास करने के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।

क्रिया विधि–सबसे पहले शब्द से वाक्य बनाने की प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे। बच्चों से छोटे–छोटे वाक्य बनवाएँगे। इसके बाद स्वयं वाक्य बनाकर बच्चों को दिखायेंगे। फिर किट के माध्यम से अलग–अलग शब्दों को जोड़कर वाक्य बनवाएँगे तथा उसमें आये हुए शब्दों की संख्या की गणना कराएँगे। मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों को क्रमानुसार कराएँगे। बच्चों से भी अन्य शब्दों को लेकर वाक्य बनवाएँगे। जैसे–गाय, किताब, घर आदि। अब इन उदाहरणों को लेकर वाक्य बनाएँगे; जैसे– **1.** गाय घास खा रही है। **2.** मोहन किताब पढ़ रहा है। **3.** वह श्याम का घर है। इसके साथ ही साथ मुहावरायुक्त वाक्यों में से मुहावरों की पहचान कराकर मुहावरे के अर्थ पर चर्चा की जा सकती है और मुहावरा जोड़ते हुए नये वाक्यों की रचना का अभ्यास भी कराया जा सकता है।

इस प्रकार भाषा शिक्षण में भाषा–किट की सामग्री का प्रयोग भाषा के विभिन्न कौशलों को सिखने–सीखाने के लिए आनन्ददायी वातावरण तो उपलब्ध कराती ही है। साथ ही यह छात्रों को स्वयं करके सीखने के लिए भी प्रेरित करती है। भाषा–किट की सामग्री राज्य हिन्दी संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

वेबसाइट का लिंक है–
www.rajyahindisansthanupvns.org.in

भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का प्रयोग

मनुष्य नित नये ज्ञान का इच्छुक होता है, वह सदैव ज्ञान की खोज में रहता है, चाहे इसके लिए उसे भ्रमण का, विद्यालय का या पुस्तकालय का सहारा लेना पड़े वह लेता है तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है।

अवधेश कुमार
प्र0प्र0 एवं शोध अधिकारी
राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

भारतीय जनमानस में आज भी प्रचलित है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। किसी भी देश का विकास अगर देखना हो तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को देखना होगा। शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण कर राष्ट्र विकास में अमूल्य सहयोग हेतु अपने को तैयार करता है। देश की तरक्की शिक्षालयों से होकर निकलती है। देश के उत्थान या विकास में शिक्षक का अतुलनीय योगदान होता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों शिक्षक अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु अपने मनमाफिक वातावरण तैयार कर अपने विद्यार्थी को जरूरत के हिसाब से शिक्षा देता है, चाहे इसके लिए उसे पत्र–पत्रिकाओं, अखबारों, पुस्तकालयों, ऑनलाइन, मोबाइल अथवा दूरदर्शन का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। शिक्षक अपने विद्यार्थी को अपना सर्वस्व देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए तो कहा गया है–

**'गुरू कुम्हार शिष्य कुम्भ है गढ़ि गढ़ि काढ़ै खोट।
अंतर हाथ सहार दै, बाहर वाहै चोट'।।**

शिक्षक समय की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का सहारा लेता है, उन्हीं माध्यमों में एक माध्यम पुस्तकालय भी है। पुस्तकालयों का प्रभावी प्रयोग करके शिक्षक अपने विद्यार्थी को वर्तमान समय के मापदण्ड पर खरा उतरने के लिए तैयार करता है।

मनुष्य नित नये ज्ञान का इच्छुक होता है, वह सदैव ज्ञान की खोज में रहता है, चाहे इसके लिए उसे भ्रमण का, विद्यालय का या पुस्तकालय का सहारा लेना पड़े वह लेता है तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक+आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं, जहाँ पर अध्ययन सामग्री पुस्तकें, फिल्म, पत्र–पत्रिकाएँ, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकार्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है। पुस्तकालय शब्द को अंग्रेजी में लाइब्रेरी भी कहते हैं। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात सूचनाओं के आधार पर पुस्तकालय के निम्न प्रकार हैं–

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय
2. सार्वजनिक पुस्तकालय
3. अनुसंधान पुस्तकालय
4. व्यावसायिक पुस्तकालय
5. सरकारी पुस्तकालय
6. चिकित्सा पुस्तकालय
7. शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय
8. सेना पुस्तकालय

राष्ट्रीय पुस्तकालय–जिन पुस्तकालयों का उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है, उन्हें राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के पाठक की आवश्यकतानुसार पठन सामग्री का संकलन किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के प्रकाशन करने का दायित्व, पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की पूर्ण व्यवस्था देना और पुस्तकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान–प्रदान की सुविधा दिलवाना व सम्पूर्ण राष्ट्र में स्थापित महत्वपूर्ण संदर्भों की सूची तैयार करना राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य कार्य है।

सार्वजनिक पुस्तकालय– सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास प्रजातंत्र की महान देन है। शिक्षा का प्रसारण एवं जनसामान्य को सुशिक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। जो लोग स्कूल, कॉलेज में नहीं पढ़ते, जो साधारण पढ़े–लिखे हैं अथवा अपना निजी व्यवसाय करते हैं या जिनको पढ़ने की अभिलाषा है, लेकिन पुस्तकें नहीं खरीद सकते तथा साहित्य पढ़ना चाहते हैं ऐसे वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर जनसाधारण की पुस्तकों की मांग को सार्वजनिक पुस्तकालय ही पूरी कर सकते हैं। अगर हम कहें कि सार्वजनिक पुस्तकालय जनता के विश्वविद्यालय हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अनुसंधान पुस्तकालय– अनुसंधान पुस्तकालय उस संस्था को कहते हैं जो ऐसे लोगों की सहायता एवं मार्गदर्शन करती है, जो ज्ञान की सीमाओं को विकसित करने का कार्य करती हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं और उनकी पूर्ति

विभिन्न प्रकार के संग्रहों से ही सम्भव हो सकती है, जैसे–कृषि से सम्बन्धित किसी विषय पर अनुसंधान लेख लिखने के लिए कृषि विश्वविद्यालय का ही पुस्तकालय अधिक उपयोगी होगा।

सरकारी पुस्तकालय–सरकार अनेक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती है, परन्तु जिन पुस्तकालयों का सम्पूर्ण व्यय सरकार वहन करती है उन्हें सरकारी पुस्तकालय कहते हैं। जैसे–राष्ट्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालय, विभिन्न मंत्रालयों के पुस्तकालय तथा संसद व विधान भवनों के पुस्तकालय भी सरकारी पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं।

व्यावसायिक पुस्तकालय–इन पुस्तकालयों का उद्देश्य किसी विशेष व्यावसायिक संस्था अथवा वहाँ के कर्मचारियों की सेवा करना होता है। आवश्यकतानुसार विशेष पठन सामग्री का इन पुस्तकालयों में संग्रह किया जाता है, जैसे–व्यवसाय से सम्बन्धित डायरेक्टरीज, व्यावसायिक पत्रिकाएँ, समय सारिणी, सरकारी प्रकाशन, मानचित्र तथा व्यवसाय से सम्बन्धित संदर्भ ग्रंथ इत्यादि।

चिकित्सा पुस्तकालय– यह पुस्तकालय किसी चिकित्सा से सम्बन्धित संस्था, विद्यालय, अनुसंधान अथवा चिकित्सालय से सम्बद्ध होते हैं। चिकित्सा से सम्बन्धित पुस्तकों का संग्रह इनमें रहता है। यह सार्वजनिक न होकर विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक ही सीमित रहता है।

शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय–शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। जो निम्न हैं–विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, कॉलेजों के पुस्तकालय, माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालय तथा अनुसंधान और खोज संस्थाओं के पुस्तकालय को इस श्रेणी में रखते हैं।

सेना पुस्तकालय–सेना पुस्तकालय विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालय होते हैं। इनका संग्रह अन्य पुस्तकालयों से भिन्न होता है। भारत में रक्षा मंत्रालय, सेना प्रधान कार्यालय एवं डिफेंस साइंस आर्गनाइजेशन के लिए सेना पुस्तकालय होता है।

ज्ञानार्जन के लिए सबसे सुगम और सरल साधन पुस्तकालय ही होता है। शिक्षक अपनी–अपनी रूचि और आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय से पुस्तकों को प्राप्त कर उससे लाभान्वित हो सकता है तथा लाभान्वित कर सकता है। पुस्तकें हमारी कठिनाइयों को दूर करते हुए अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलने में मदद करती हैं तथा हमें ज्ञान–विज्ञान से पूर्ण करने में सहयोग करती हैं।

''पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय में बैठकर या विद्यार्थियों को पुस्तकालय में ले जाकर पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो कुछ समय बाद छात्र पुस्तकालय का प्रयोग स्वयं करने लगेंगे।

भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का उपयोग सिर्फ पढ़ने–लिखने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़कर समझना, विचार करना, योजना बनाना, मन को साझा करना, तर्क देना, चर्चा–परिचर्चा में प्रतिभाग करना होता है। ''सही शब्द, भाव, भाव सम्प्रेषण के अभाव में हम (शिक्षक) अपनी बात स्पष्टता और दृढ़ता के साथ दूसरों तक नही पहुँचा पाते हैं।'' शिक्षक अपने अनुभवों के आधार पर चीजों को समझते हैं, देखते हैं व परखते हैं, तब सम्प्रेषित करते हैं। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हम किसी स्थिति या विषय पर अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर अपना दृष्टिकोण उस विषय या विषयवस्तु पर स्पष्ट करें। भाषा शिक्षण के स्तर पर यह कार्य भाषा की विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें विभिन्न विधाओं पर प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। पुस्तकालय का प्रयोग निम्नलिखित बिन्दुओं पर कराकर भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है–

- कक्षा–1 के छात्रों को जोड़ा या समूह में बैठाकर बिगबुक व आकर्षक चित्रों की पुस्तक दिया जा सकता है जिसको देखकर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वे पढ़ने के लिए लालायित होंगे।
- छात्रों को पुस्तकालय में ले जाकर साझा पठन कराया जा सकता है जिससे उनके ज्ञान व शब्दकोष की वृद्धि हो सकती है।
- छात्रों को पुस्तकों को बाँटकर उनसे किसी कहानी का अध्ययन करने के लिए कहा जा सकता है। उसके पश्चात् कहानी में आये हुए मानवीय मूल्यों पर चर्चा करके उनके अन्दर उन गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।
- छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकों का वितरण करके उनसे पढ़ने के लिए कहकर उसमें आये हुए नये शब्दों को लिखने के लिए कहा जा सकता है। तत्पश्चात् शिक्षक के द्वारा उन नये शब्दों पर चर्चा करके उनकी व्याख्या स्पष्ट की जा सकती है।
- छात्रों से पुस्तकों को पढ़कर उसमें आये हुए मुहावरों व लोकोक्तियों को लिखवाया व प्रयोग कराया जा सकता है।

भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थीअपने विषय के विभिन्न पहलुओं को देखना व विचार करना सीखे, जिससे कि वह अपनी बात को स्पष्टता व पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षक के साथ रख सके और उसके अन्दर यह पिपासा जागृत हो जाये कि वह स्वतः प्रश्नों का उत्तर ढूँढने का प्रयास करे। इससे बच्चों/विद्यार्थियों के अन्दर कल्पना शक्ति का विकास होगा।

किसी भी विषय का सही अवलोकन व समझ का प्रभाव हमारी संवेदनशीलता, तर्कों व अभिव्यक्ति पर पड़ता है। उपरोक्त घटक हमारे व्यक्तित्व निर्माण में महती भूमिका अदा करते हैं। एक शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए कविता, कहानी का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए उसे सरकार द्वारा प्राप्त करायी गयी पुस्तकें हों या किसी भी NGO के माध्यम से विद्यालय स्तर पर उपलब्ध करायी गयी पुस्तकें या हम कह सकते हैं कि शिक्षक स्वतः स्फूर्त होकर अपने दायित्व को प्रभावी बनाने के लिए कहीं से भी पुस्तकों की व्यवस्था करके शुरू में चित्रों के माध्यम से तथा बाद में कविता या कहानी के माध्यम से अपनी बात को विधार्थियों के मध्य रखकर उनकी भाषा की पकड़ को मजबूत और स्पष्ट कर सकते हैं।

जब शिक्षक कहानी/कविता के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है, तो बच्चों में कल्पनशक्ति का तेजी से विकास होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तके उपलब्ध कराकर उनसे कविता/कहानी लिखने को प्रेरित किया जा सकता है तथा उनकी रचनाओं पर उन्हें शाबासी देते हुए उनकी रचनाओं को दीवार पत्रिका में स्थान देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

शिक्षक छात्रों में पढ़ने की लालसा को जागृत करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह आकर्षक पुस्तकों व पुस्तकालय की सहायता लेता है। छात्रों के अन्दर जब पढ़ने की लालसा जागृत हो जाती है तो वह पुस्तकालय से पुस्तकों को लेकर स्वतः अध्ययन करना शुरु कर देता है तथा अध्ययनोपरान्त उसके अन्दर भी लिखने का कौतूहल विकसित होता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक छात्रों से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कहानी एवं कविता लिखने को कह सकता है। जब छात्र स्वतः कहानी, कविता लिखने लगे या अपने शब्दों में किसी कहानी अथवा कविता को बताने लगे तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का प्रयोग शिक्षक द्वारा कराना सफल व उपयोगी रहा

विराम चिह्नों के प्रयोग और नियम

विराम चिह्नों की जानकारी तथा उचित प्रयोग द्वारा बोली या लिखी गयी बात में निहित भाव बोध को पाठक और श्रोता आसानी से समझकर वक्ता और लेखक की वास्तविक अनुभूति से जुड़ पाते हैं। विराम चिह्नों के उचित प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। अतः विराम चिह्नों के ज्ञान और उचित प्रयोग की जानकारी शिक्षक और बच्चों के लिए अति आवश्यक है।

ज्योति यादव
शोध प्रवक्ता
राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

मनुष्य को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं न कहीं रूकना या ठहरना तो पड़ता ही है, साथ ही जब हम काम करते–करते थक जाते हैं, तो हमारा मन आराम करने को कहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है जो भाषा के संदर्भ में लिखते या बोलते समय प्रयोग किया जाता है। किसी काम को करते समय हम थोड़ा रूकते हैं, ठहरते हैं, लगातार तेज गति से नहीं चलते, बल्कि कभी थोड़ा रूकते हैं, कभी तेज हो जाते हैं तथा कभी पूरी तरह से रूक जाते हैं। जब हम काम को करते–करते रूक जाते हैं, तो उस काम में विराम आ जाता है, गति थोड़ी रूक जाती है। विराम शब्द का अर्थ होता है, रूकना या ठहरना। हम विचार विनिमय या व्याख्यान देते समय शब्दों का उच्चारण एक ही गति से नहीं करते, बल्कि किसी शब्द पर थोड़ा–सा रूकते हैं, तो किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं व किसी बात को कहकर पूरा रूक जाते हैं। ये चिह्न इस रूकावट की ओर संकेत करते हैं। इसीलिए इन्हे विराम चिह्न कहते हैं।

भाषा को गति– यति देने में विराम चिह्नों की विशेष भूमिका रहती है। ''पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिह्नों का प्रयोग होता है'' किसी बात को बोलते या लिखते समय विराम चिह्नों के प्रयोग से बात में स्पष्टता आती है तथा वाक्य में उतार–चढ़ाव स्पष्ट हो जाता है। यदि इन चिह्नों का उपयोग न किया जाय तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे में उलझ जायेंगे। ऐसे में पाठक को किसी विचार या भाव को समझने के लिए व्यर्थ की माथापच्ची करनी होगी। स्पष्ट है कि वाक्य के सुन्दर और उचित गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिह्नों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी जाती है। इसके साथ ही कुछ और कारण हैं, जिनके लिए विराम चिह्नों का प्रयोग भाषा में किया जाता है–

1– अर्थ या भाव की स्पष्टता के लिए– किसी भी भाषा में लिखे गए या बोले गए वाक्य, अनुच्छेद या पाठ के अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिह्न महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अभाव में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। उदाहरण स्वरूप हम एक वाक्य लेते हैं–'उठाओ मत बैठने दो।'' इस वाक्य में कोई विराम चिह्न नहीं लगा है अतः स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उठने के लिए कहा जा रहा या बैठने के लिए। अब इसी वाक्य में विराम चिह्न लगाकर इस प्रकार व्यक्त किया जाय–

'उठाओ मत, बैठने दो'

'उठाओ, मत बैठने दो'

इन वाक्यों में कहा गया वाक्य स्पष्ट हो जा रहा है कि पहले वाक्य में उठाने से मना किया जा रहा है और दूसरे में बैठने से मना किया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि भाषा की स्पष्टता के लिए विराम चिह्नों का ज्ञान और उचित प्रयोग होना आवश्यक है। उचित इसलिए, क्योंकि कभी–कभी विराम चिह्नों के अनुचित प्रयोग से वाक्य के अर्थ का स्परूप बदल जाता है या यह कहें कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे–'सूरज तो मर गए' अर्थात सूरज मर गए, लेकिन यहाँ कहना था–'सूरज तोमर गए।' अर्थात् सूरज तोमर चले गए। इसी लिए विराम चिह्नों का उचित प्रयोग आव यक है।

2–श्वास लेने के लिए– बोलते समय हमें श्वास लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम या अद्र्ध विराम आदि विराम चिह्न हमारी सहायता करते हैं। इस ठहराव के कारण एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध भी स्पष्ट हो जाता है और वक्ता थोड़ा–सा रूककर श्वास भी ले लेते हैं।

3–उच्चारण के लिए– उच्चारण की दृष्टि से भी विराम चिह्न बहुत महत्त्वपूर्ण हैं बोलते समय हमें किस शब्द पर विशेष बल देना है तथा वाक्य में कहाँ आश्चर्य प्रकट करना है तथा कहाँ प्रश्न करना है, आदि को स्पष्ट करने के लिए उच्चारण में भी विराम–चिह्नों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे–

1. माधवी पढ़ रही है।
2. माधवी पढ़ रही है ?

यहाँ पहले वाक्य में यह बताया जा रहा है कि माधवी पढ़ रही है। दूसरे वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, जबकि दोनों वाक्यों में शब्द समान ही हैं, केवल विराम–चिह्नों के कारण वाक्य का अर्थ बदल रहा है।

मनोभावों के प्रकाशन के लिए–हमारे मनोभावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति में भी विराम–चिह्न सहायक होते हैं। इसके द्वारा हमारे मनोभाव श्रोता या पाठक को सरलता से समझ में आ जाते हैं, जैसे प्रश्न पूछने की दशा में प्रश्नवाचक, विस्मय की दशा में विस्मयादिबोधक आदि चिह्न लगाया जाता है।

विराम–चिह्न के रूप–परंपरागत भारतीय साहित्य में दो ही विराम–चिह्न प्रचलित थे, एकल खड़ी पाई और दोहरी खड़ी पाई। हिन्दी में विराम–चिह्नों की परम्परा पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से विकसित हुई। अंग्रेजी से सम्पर्क के कारण हिन्दी में अंग्रेजी के अनेक विराम–चिह्नों का प्रयोग होने लगा। इन विराम चिह्नों का प्रयोग हिन्दी भाषा में निम्नलिखित रूपों में करते है–

(1) पूर्ण विराम–चिह्न (।)– पूर्ण विराम–चिह्न का अर्थ है पूरी तरह से रूकना या ठहरना। इसे एकल खड़ी पाई (।) के रूप में लिखा जाता है। ''जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएँ, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है।'' किसी भाव या वाक्य की पूर्णता पर इसका प्रयोग होता है। जैसे–

1. वह बच्चा विद्यालय जा रहा है।
2. मोहन बहुत अच्छी कविता लिखता है।
3. लड़की ने बहुत सुन्दर चित्र बनाया है।
4. बच्चे पढ़ रहे हैं।

यहाँ सभी वाक्य एक–दूसरे से स्वतंत्र हैं, सबके विचार अपने में पूर्ण है। इसीलिए प्रत्येक वाक्य पर पूर्ण विराम लगा हुआ है।

(2) अल्प विराम चिह्न (,)– इस चिह्न का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बोलने या पढ़ने में अल्प अर्थात् थोड़े समय के लिए रूकना होता है। यह हिन्दी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विराम चिह्न है। यह विराम चिह्न कई स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे–

(अ) जब वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों, पद्यांशों में संयोजक अव्यय 'और' लगाया जा सकता हो या 'जहाँ' एक ही तरह के शब्दांश आए हों, किन्तु उनके बीच और, तथा, आदि संयोजक न हो' जैसे–

1. श्याम, मोहन, सोहन और गीता पढ़ रहे हैं।
2. वह रोज आता है, पढ़ता है और चला जाता है।

(ब) जब शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक के समय उन पर विशेष बल दिया जाए। जैसे–

1. देर से, बहुत देर से खा रहे हैं।
2. देखो, देखो, वह पढ़ रही है।
3. नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता।

यदि ये तीनों बातें नाटकीय ढंग से कही जाएं तो अल्प विराम के स्थान पर विस्मयादिबोधक चिह्न लगेगा।

(स) जब किसी को संबोधित करते हैं, तब अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे–

1. माँ, क्या मुझे पढ़ाओगी।
2. कबीर, अब तुम घर जा सकते हो।

(द) वाक्य के मध्य जहाँ पर, इसलिए, किन्तु, तथापि, परन्तु, उस, इसी से, क्योंकि, जिससे, बल्कि, वरन, जिसमें, इससे, चूँकि आदि अव्ययों का प्रयोग होता हो, तो उनके पहले अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे–

1. वह गरीब है, परन्तु ईमानदार है।
2. ऐसा कोई काम मत करो, जिससे तुम्हारी बदनामी हो।
3. उसने बड़ी मेहनत की, अतएव परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।

(य) उद्धरण से पहले या किसी व्यक्ति की उक्ति के पहले अल्प विराम लगता है, जैसे–डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ''शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।''

(र) किसी वाक्य के बीच में यदि विशेषण या क्रिया विशेषण उपवाक्य हो, तो उनके पूर्व या पश्चात् अल्प विराम का चिह्न लगेगा, जैसे–गाँधी जी, जो पूरी दुनिया में महान हैं, का जन्म गुजरात में हुआ था।

(ल) मिश्रित वाक्यों को आश्रित वाक्यों से भिन्न करने के लिए अल्प विराम लगता है, जैसे–यदि आप पढ़ते, तो अवश्य पास हो जाते।

(व) बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः वस्तुतः अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में अल्प विराम लगता है, जैसे–

1. बस, मैं आ गया, काम हो जाएगा।
2. हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो।
3. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

(श) जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब आदि शब्द लुप्त हो, वहाँ अल्प विराम लगेगा। जैसे–

1. मैं जो कहती हूँ, ध्यान से सुनो। (यहाँ 'वह' लुप्त है)
2. जब करना ही है, कर डालो। (यहाँ 'तब' लुप्त है)

(स) पत्रों अथवा प्रार्थना पत्रों में संबोधन के बाद अल्प विराम लगता है, जैसे–

प्रिय बंधु, महोदय, श्रीमान,

(3) अर्द्ध विराम चिह्न (;)–जहाँ पर अल्पविराम से अधिक किन्तु पूर्ण विराम से कम समय तक रूकना या ठहरना होता है, उसे अर्द्धविराम चिह्न कहते हैं। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम किया जा रहा है, बहुत लोग अल्प विराम से ही अपना काम चला लेते हैं। फिर भी इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है–

- जहाँ कई वर्गों की बातें की जा रही हों, प्रत्येक वर्ग के अंत में अर्द्धविराम आता है, जैसे–खाने में पूड़ी; पराठे; पापड़; काजू; किसमिस; दूध; दही आदि शामिल है।
- एक ही अर्थ के व्यंजक दो या अधिक वाक्यों के मध्य अर्द्धविराम आता है, जैसे– आज के बच्चे माता–पिता को गुमराह करते हैं; उनसे पैसे ऐठते हैं; किन्तु पढ़ाई से दूर रहते हैं।
- सभी तरह की उपाधियों के लेखन में अर्द्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे–एम0ए0; एम0फिल0; एल0एल0बी0; पी0एच0डी।
- वाक्य में भेद दर्शाने एवं संबंध बनाने के लिए अर्द्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे–गोदान; मैला आँचल और ग्लोबल गाँव के देवता उपन्यास में तो यह बात कही गई है; हाँ जिंदगीनामा में नहीं कही गई है।

(4) योजक चिह्न–'जिन पदों के दोनों खण्ड प्रधान हों और जिनमें 'और' अनुक्त या लुप्त हो वहाँ योजक चिह्न लगाया जाता है। इसे समास चिह्न या विभाजक चिह्न भी कहा जाता है। हिन्दी में अल्प विराम के बाद सर्वाधिक प्रयोग इसी चिह्न का होता है।

- 'योजक चिह्न सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समास पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है।' जैसे–माता–पिता, बेटा–बेटी, दिन–रात आदि।
- दो या अधिक पदों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है, साथ ही तत्पुरुष तथा द्वन्द्व समास में योजक चिह्न लगाते हैं, जैसे–रात–दिन, कवि–कुल–कलम।
- पुनरूक्त शब्दों के मध्य भी योजक चिह्न लगता है। जैसे–दिन–दिन, कदम–कदम, छम–छम,
- संख्यावाची शब्दों के बीच योजक चिह्न लगाते हैं। जैसे–एक–एक, दो–दो
- लिखते समय कोई शब्द यदि एक पंक्ति में नहीं आ पाता है, तो उसका आधा हिस्सा प्रथम पंक्ति में लिखकर, योजक चिह्न लगा देते हैं फिर बचा हुआ हिस्सा अगली पंक्ति में लिखते हैं। जैसे–हम खड़ी हिन्दी बोलते हैं, जबकि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है।

(5) प्रश्नवाचक चिह्न (?)–इसका प्रयोग प्रश्न पूछने की दशा में करते हैं। जैसे–

1. क्या आप जा रहे हैं ?
2. जहाँ स्थिति निश्चित न हो, जैसे–राज्य हिन्दी संस्थान से निकलने वाली पत्रिका का नाम शायद 'वाणी' है?
3. व्यंग्योक्ति के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे–भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, न ?

(6) विस्मयादिबोधक चिह्न (!)–इसका प्रयोग करूणा, हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय इत्यादि के क्षणों में होता है। आह्लाद् सूचक शब्दों, पदों, वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे–

1. वाह! कितना सुन्दर दृश्य है।
2. अपने से बड़े को संबोधित करने में इस चिह्न का प्रयोग होता है, जैसे–हे ईश्वर! सबका दुःख दूर करो।
3. अपने से छोटों को शुभकामनाएँ और सद्भावना प्रकट करते समय इसका प्रयोग होता है, जैसे– यशस्वी होओ!
4. प्रिय अनुज, स्नेहाशीर्वाद!
5. जहाँ मन की हँसी, खुशी व्यक्त की जाए, जैसे–तुम सफल हो गए, शाबाश!

(7) निर्देश चिह्न (–) यह योजक चिह्न से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है–

- किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए, जैसे–अलंकार दो प्रकार के होते हैं–शब्दालंकार, अर्थालंकार।
- उद्धरण से पूर्व इसका प्रयोग होता है, जैसे–महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था–''ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है।''

(8) विवरण चिह्न (:–) किसी विषय का विवरण देने अथवा कथन की व्याख्या के लिए विवरण चिह्न की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है–

- किसी विषय पर परिचय देने के लिए, जैसे–निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:–विद्यालय, पुस्तक, गाँव।
- किसी कथन की विस्तृत व्याख्या करने के लिए, जैसे–संस्कृत में तीन वचन मिलते हैं:–एकवचन, द्विवचन, बहुवचन।

(9) उद्धरण चिह्न ('' '', ' ')–इसे अवतरण चिह्न भी कहते हैं। इसके दो रूप हैं–एकल या एकहरा (' ') उद्धरण चिह्न, द्वि या दोहरा ('' '') उद्धरण चिह्न।

- जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों हम लेते हैं, वहाँ दुहरा उद्धरण चिह्न का प्रयोग होता है, जैसे– ''अरूण यह मधुमय देश हमारा''
- जहाँ महत्त्वपूर्ण कथन, कहावत आदि को उद्धृत करते हैं, वहाँ दुहरा अवतरण चिह्न लगता है, जैसे–''निर्मल चरित्र ही मनुष्य का श्रृंगार है।''

- पुस्तक, समाचार–पत्र का नाम, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि में एकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग होता है, जैसे–

1. 'मीरा' भक्तिकाल की कवयित्री हैं।
2. 'वाणी' राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी से निकलने वाली पत्रिका है।
3. अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' आधुनिक युग के हिन्दी कवि हैं।
4. हरिवंश राय 'बच्चन' ने 'मधुशाला' काव्यकृति की रचना की।

(10) काक या हंसपद चिह्न (‸)–लिखते समय भाब्द या वाक्यांश छूटने पर इसका प्रयोग होता है, जैसे– हिन्दी हमारे राजभाषा है, में **देश की** को जोड़ने के लिए हमारे के बाद काक या हंसपद चिह्न ‸ लगेगा ।

(11) संक्षेप चिह्न (0)–संपेक्ष सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे– डॉक्टर (डॉ0), उत्तर प्रदेश (उ0प्र0)

(12) लोप चिह्न (X X X)–किसी अवतरण में स्थान या समयाभाव के कारण इसका प्रयोग होता है, जैसे– जला अस्थियाँ बारी–बारी, छिटकायी जिसने चिंगारी,

X X X X X

लिए बिना गरदन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल।

(13) समानता चिह्न (त्र) किसी वस्तु या व्यक्ति की समानता दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे– सप्ताह–सात दिन, वीणावादिनि–सरस्वती, कृश्ण–काला उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विराम चिह्नों की जानकारी तथा उचित प्रयोग द्वारा बोली या लिखी गयी बात में निहित भाव बोध को पाठक और श्रोता आसानी से समझकर वक्ता और लेखक की वास्तविक अनुभूति से जुड़ पाते हैं। विराम चिह्नों के उचित प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। अतः विराम चिह्नों का ज्ञान और उचित प्रयोग की जानकारी शिक्षक और बच्चों के लिए भी आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ–

1. डॉ0 वासुदेव नंदन प्रसाद–आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना,
भारती भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स) 23वाँ संस्करण 1993, पृष्ठ–57
2. डॉ0 कमला ांकर त्रिपाठी, प्रयोजनमूलक हिन्दी, उ0प्र0, हिन्दी संस्थान लखनऊ, संस्करण 2071 पृश्ठः 56

यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः।
चित्ते वाचि क्रियायांच साधुनामेकरूपता।।

अर्थात् जैसा मन में वैसा ही वाणी में, जैसा वाणी में वैसा ही करनी में मन, वाणी और करनी में सज्जनों की एक रूपता रहती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 : एक दृष्टि

शिक्षा नीति से अभिप्राय शैक्षणिक व्यवस्था में कतिपय सुधारों के द्वारा भावी पीढ़ी को समृद्ध करना है। शिक्षा नीति के द्वारा हम अपने समय के समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध करने के लिए राष्ट्र के नागरिकों को मानसिक और बौद्धिक रूप से जागृत करते हैं। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो किसी भी राष्ट्र की रूपरेखा बदलकर रख देती है

निशा यादव
प्रधानाचार्य
रा0बा0इ0 का मलदहिया,वाराणसी।

शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र की जागृति का मूल आधार होती है। यह एक ऐसा माध्यम है, जो किसी भी राश्ट्र की रूपरेखा शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र की जागृति का मूल आधार होती है। यह एक ऐसा माध्यम है, जो किसी भी राष्ट्र की रूपरेखा बदलकर रख देती है तथा उस अस्त्र की भाँति है जो व्यक्ति को एक सभ्य सामाजिक व विकसित मनु य बनाने में मदद करती है। यह व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास में सहायक होती है। शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ केवल नौकरी या धन अर्जित करना नहीं वरन् मन य का विकास तथा भावी पीढ़ी को एक उज्ज्वल मार्ग पर पथ प्रदर्शन करना है।

शिक्षा नीति से अभिप्राय शैक्षणिक व्यवस्था में कतिपय सुधारों के द्वारा भावी पीढ़ी को समृद्ध करना है। शिक्षा नीति के द्वारा हम अपने समय के समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध करने के लिए कुछ अपेक्षित मानसिक और बौद्धिक रूप से जागृत करते हैं।

नई शिक्षा नीति का अर्थ–जो हमारी समझ में हर प्रकार से एक नयापन लाने में समर्थ हों। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात यहाँ शिक्षा सम्बन्धी विविध प्रकार के आयोगों और समितियों का गठन हुआ, इनसे आशातीत सफलता भी मिली। सन् 1953–54 ई0 में भारत सरकार ने आयोग का गठन किया था, जिसके अनुसार प्राथमिक (बेसिक) शिक्षा चौथी से बढ़ाकर पाँचवी तक कर दी गयी। इसी तरह सन् 1964, 1966, 1968 (इंदिरागांधी) व 1975 में शिक्षा सम्बन्धी आयोग गठित हुए। सन् 1986 में 10+2+3 की शिक्षा पद्धति शुरू की गयी तथा इसे कुछ राज्यों में लागू किया गया। इस शिक्षा नीति की घोशणा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे पूरे राष्ट्र की आवश्यकता व इसके पूर्व कालीन शिक्षा सम्बन्धी विभिन्नताओं और त्रुटियों को दूर करने वाला बतलाया। सन् 1972 में इसमें कुछ संशोधन हुआ। इसमें भी समय के साथ बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई।

अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक, शिक्षा विद, डॉ0 कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन (34 वर्षों बाद) की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अध्यक्षता में घोषित की गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वाधीन भारत की ऐसी नीति है, जिससे समृद्ध मेधा और सम्पन्न भारत की आधारशिला रखी जायेगी। प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा की भूमिका बदल गयी है, अब यह भारतीय संस्कृति की सम्पन्न परम्परा के साथ पेशेवर दक्षता के दायित्वों का निर्वहन करती है। यह संवेदना, वैज्ञानिक चेतना, विषयवस्तु की समझ के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं बना सकते ।

- वह पाठ को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक नहीं बना सकते।
- वह विषयवस्तु का व्यवस्थित ज्ञान नहीं करा सकते। है।

इसमें शिक्षक, शिक्षण की अवधारणा पूरी तरह से बदल गयी है तथा जागरूकता, उन्मुखीकरण चुनौतियाँ और निर्णय व प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है–

जीवनोपयोगी शिक्षा–इसमें जीवनानुकूल बनाने पर बल दिया गया है। शिक्षा को मानव जीवन के विभिन्न अंगों से जोड़ने के साथ ही साथ इसके विकास में विभिन्न संसाधनों अर्थात सरकारी, अर्द्धसरकारी और गैर सरकारी स्रोतो की उपलब्धि सुलभ हो गयी। इसमें साहित्य संस्कृति और भाषा विकास आदि के प्रवेश से शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया।

एकरूपता–इस शिक्षा नीति से पूरे देश में एक ही ढंग की शिक्षा अर्थात् सभी विद्यालयों में 5+3+3+4 फार्मूला लागू किया गया।

बुनियादी स्तर पर परिवर्तन–इसमें बुनियादी स्तर पर परिवर्तन कर प्रत्येक गाँव में अनिवार्य रूप से एक–दो विद्यालय और सभी वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई की जायेगी, पहली बार निर्धन बच्चों और उनकी भाषा की फिक्र की गयी। सुविधा सम्पन्न वर्ग के बच्चे प्ले स्कूल से उच्च शिक्षा तक की पायदान आराम से पार कर लेते हैं किन्तु अभावग्रस्त परिवारों के बच्चे आँगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ते हैं।

यह शिक्षा नीति संस्थागत एवं शिक्षक स्वायत्तता को विशेष महत्व देती है। यह पूरे देश में समान मानकों के आधार पर चयन प्रक्रिया को देश के भविष्य के लिए युगांतकारी पहल है।

शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दुः– इस शिक्षा नीति को NHEB (National Higher Education Bill) 29 July 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिली।

- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 में 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों को भामिल किया गया है।
- गुणवत्तायुक्त+समावेशी शिक्षा GER (Gross Enrollment Ratio) का लक्ष्य रखा गया है।
- MHRD (Ministry of Human Resource Development) अब Ministry of Education कहा जायेगा।
- HELT (Higher Education commission of India) समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय आयोग का गठन किया जायेगा।
- रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए NRF (National Research Foundation) की स्थापना।
- त्रिभाषा फार्मूला (मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा) में शिक्षा देने का प्रावधान ।
- 10+2+3 की जगह 5+3+3+4 हो गया है इसे कई चरणों में बाँटा गया है।–

1- Foundation Stage–पढ़ाई की शुरूआत तीन साल से शुरु है (खेल–खेल में स्कूल से लगाव पैदा करने का प्रयास) प्रथम तीन साल में पढ़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं होगा, चौथे व पाँचवे साल में बच्चा क्रमशः कक्षा एक व दो में जायेगा, लेकिन किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी।

2- Preparatory Stage–प्रारम्भिक चरण–कक्षा 3, 4, 5 (8 से 11 साल) में बच्चों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों से जोड़ते हुए मातृभाषा में अध्ययन कराया जायेगा। इस क्लास से परीक्षा प्रारम्भ हो जायेगी ।

3- Middle Stage–मध्य चरण कक्षा 6 से 8 (तीन साल) में बच्चों को वह स्किल्स रोजगार परक स्किल्स व शिक्षा को बढ़ावा, जैसे–कम्प्यूटर, टेक्नीकल ज्ञान (सिलाई, माली, बढ़ई) मैथ, साइंस, सा0 विज्ञान की भारतीय भाषा में समझ विकसित की जायेगी।

4- Secondary Stage–(माध्यमिक स्तर) कक्षा 9 से 12 (चार साल) बच्चे अपनी रूचि के अनुसार मल्टीपल विषय (विज्ञान व कला NCERT आदि) को चुन सकेंगे। इसमें उनकी विश्लेषण क्षमता को परखा जायेगा। इसमें हर छः महीने पर सेमेस्टरवार परीक्षा होगी।

5- Graduation–नई शिक्षा नीति में इसे तीन साल से बढ़कार चार साल का कर दिया गया है। इसमें अन्तर्विषयी (Interdisciplinary) को महत्व दिया गया है। जैसे–साइंस वर्ग का विद्यार्थी कला वर्ग का विषय ले सकता है। उसके किसी पेपर की पढ़ाई या पेपर का अंक केन्द्रित सिस्टम के तहत विद्यार्थी के अंकपत्र में जोड़ा जायेगा। विश्वविद्यालय क्रेडिट बैंक बनायेगा। इसमें रीइन्ट्री की सुविधा रहेगी। एक साल की डिग्री पर सर्टिफिकेट, दो साल पर डिप्लोमा, तीन साल पर डिग्री, (जॉब कम्पटीशन) और चौथे साल रिसर्च का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

6- Post Graduation–यह 2 साल का है। अगर विद्यार्थी चार साल की पढ़ाई की है तो उसे सिर्फ 1 साल पढ़ना होगा, तीन साल की है तो उसे 2 साल का M.A. करना पड़ेगा। M.Phil. को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। Ph.d. 4 साल की रहेगी।

टॉप 50 के विदेशी विश्वविद्यालय सिक्योरिटीं मनी जमा करके यहाँ विश्वविद्यालय खोल सकेंगे।

निष्कर्ष यह है कि इस शिक्षा नीति पर व्यापक विचार–विमर्श के द्वारा ही शैक्षिक संकल्प और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। किसी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के आधार पर अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में प्रभावी है, आज बहुकौशल विषयक समय की मांग है। इसमें समाज की जड़ों से जुड़ी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस तरह शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन से परिचित होता है न वहाँ पहुँचने के सरल एवं सुविधाजनक मार्ग को ही जानता है।

- त्रिभाषा फार्मूला (मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा) में शिक्षा देने का प्रावधान ।
- 10+2+3 की जगह 5+3+3+4 हो गया है।

> मनुष्य में जो सम्पूर्णता गुप्त रूप से विद्यमान है, उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है।
>
> **–स्वामी विवेकानन्द**

शिक्षण पद्वति एवं संस्कृत

शिक्षक प्रारम्भिक काल से ही बच्चों के मस्तिष्क के विकास का अनुकूल और उत्तम वातावरण के निर्माण का प्रयास करता है। शिक्षक ही जगत का व्याख्याकार है और जीवन के विविध पक्षों का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करता है। इसके लिए शिक्षक जिन उपायों, साधनों का उपयोग करता है उसे शिक्षण विधि या पद्धति कहते है। विशेष रुप से संस्कृत भाषा के कक्षा शिक्षण हेतु प्रभावशाली शिक्षण विधियाँ विषय को ग्राह्य एवं रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

डॉ0 अमरजीत
शोध प्रवक्ता,
राज्य हिन्दी संस्थान, उ0प्र0,
वाराणसी।

व्यावहारिक जगत के किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने के पूर्व हमारे सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि प्रस्तुत कार्य को हम किस प्रकार से करें। इस समस्या का समाधान किए बिना हम अपने कार्य को आसानी से नहीं कर सकते। किसी भी कार्य की निर्विघ्न सफलता हेतु सुदृढ़ कार्ययोजना की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक जगत के अन्य सभी कार्यो की ही भांति अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होने के पूर्व शिक्षक को भी अध्यापन की योजना पूर्व में तैयार कर लेनी चाहिए। शिक्षण योजना के बिना शिक्षक शिक्षा के अपने उद्देश्यों की यथोचित पूर्ति नहीं कर सकता है।

वाह्य जगत की भाँति बौद्धिक जगत भी अत्यन्त व्यापक है। दोनों का समन्वय ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। रूसो ने 'प्रकृति का अनुसरण करो' का उद्घोष इसी उद्देश्य से किया था। शिक्षक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस साधन, उपाय, क्रम अथवा मार्ग का अन्वेषण तथा अनुकरण करता है, उसी को शिक्षाशास्त्र की परिभाषा में विधि अथवा पद्धति कहते हैं। **श्री टी0जे0 वर्जेट ने अपने अपनी पुस्तक एसेन्शियल्स ऑफ टीचिंग में पद्धति (मेथड) शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है–''अध्यापक बौद्धिक जगत, विचार जगत तथा क्रिया जगत की व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए कक्षा–कक्ष में जिस साधन का प्रयोग करता है, उसी को इस अध्यापक की शिक्षण–विधि या पद्धति कहते है।''**

वाह्य जगत विभिन्न विषयों या वस्तुओं को प्रस्तुत करता है और मस्तिष्क उन्हें ग्रहण करके उनके सम्बन्ध में विचार, कल्पना, तर्क, निर्णय, अनुभव, इच्छा तथा अनिच्छा आदि करता है और तदनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरित भी करता है। व्यक्ति का मस्तिष्क जितना ही विकसित होगा, उसकी विचार, कल्पना, तर्क, निर्णय, विवेक और इच्छा शक्तियाँ भी उतनी ही विकसित होंगी और उसके अनुभव तथा आचार–व्यवहार भी उतने ही विकसित होंगे। अतः व्यावहारिक जगत या जीवन के समस्त कार्यो में व्यक्ति को सफल बनाने के लिए उसके मस्तिष्क का निर्माण करना परमावश्यक है। मस्तिष्क जितना ही विकसित होगा व्यक्ति का जीवन भी उतना ही विकसित होगा। बच्चों के मस्तिष्क निर्माण का उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही होता है।

शिक्षक, मस्तिष्क तथा वाह्य जगत के बीच मध्यस्था का कार्य करता है। सभी विषयों के रहस्य, ज्ञान या बोध के लिए शिक्षक बच्चों के मस्तिष्क का विकास जिस मार्ग, उपाय, युक्तियों या शैलियों को अपनाता है उन्हीं को शिक्षण विधि या पद्धति कहते हैं। रूसो ने प्राकृतिक शिक्षण पर विशेष बल दिया, परन्तु उनके प्राकृतिक शिक्षण का अर्थ प्रकृति के असंस्कृत या अपरिष्कृत नियमों को ग्रहण करना नहीं था, बल्कि मानवीय विकास के स्वाभाविक नियमों के अनुकूल जीवनोपयोगी शिक्षा देना था।

शिक्षा का वास्तविक अर्थ है बालक की मूल प्रवृत्तियों या संस्कारों का विकास करते हुए उसका सर्वतोन्मुखी विकास करना, जिससे वह अपने भावी जीवन का यथोचित विकास कर सके और समाज का निर्माण कर सके। यह कार्य केवल शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक प्रारम्भिक काल से ही बच्चों के मस्तिष्क के विकास का अनुकूल और उत्तम वातावरण के निर्माण का प्रयास करता है। शिक्षक ही जगत का व्याख्याकार है और जीवन के विविध पक्षों का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करता है। इसके लिए शिक्षक जिन उपायों, साधनों का उपयोग करता है उसे शिक्षण विधि या पद्धति कहते है।

शिक्षण योजना निर्माण करने वाले शिक्षक पहले से ही अध्यापन कार्य की वार्षिक पाठ–योजना तैयार कर लेते हैं, साथ ही अध्यापनक्रम की भी सुविचारित योजना बनाकर पाठों को तद्नुकूल छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार शिक्षण की पद्धति छात्रों हेतु बहु कल्याणकारी होती है।

टी0 रेमण्ट के अनुसार–''पाठ्यवस्तु का निर्माण हो जाने पर उसे इस प्रकार क्रमबद्ध और व्यवस्थित कर लेना चाहिए कि मानव विचारों या प्रयत्नों के उत्कृष्टतम् उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बालकों में स्थायी रुचि जागृत हो सके और शिक्षा के उद्देश्यों की उत्तमोत्तम ढंग से पूर्ति हो सके। यह कार्य किसी उचित पद्धति या विधि से किये बिना नहीं हो सकता।''
सफल शिक्षक के लिए शिक्षण की प्रत्येक विधि से परिचित होना आवश्यक है, अन्यथा निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न

हो सकती हैं–

- शिक्षण करते समय विभिन्न पाठों की विविध विधियाँ हो सकती हैं। समस्त विधियों के व्यावहारिक ज्ञान के बिना आवश्यक उपयुक्त विधि का प्रयोग न करके ऐसी विधि का प्रयोग करें जो अनुपयुक्त हो। फलतः शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा।
- शिक्षक पाठ को पूर्णतः स्पष्ट या बोधगम्य नहीं बना सकते।
- शिक्षक कक्षा–कक्ष में पाठ्यवस्तु के अनुकूल वातावरण नहीं बना सकते ।
- वह पाठ को रोचक, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक नहीं बना सकते।
- वह विषयवस्तु का व्यवस्थित ज्ञान नहीं करा सकते।
- वह विषयवस्तु और छात्र की तरफ ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकते।
- कक्षा–कक्ष में समुचित अनुशासन नहीं बना सकते।
- वह छात्रों की विषय संबंधी दुर्बलताओं को न समझ सकता है और न ही उसका यथोचित निराकरण कर सकता है।

एक अच्छे शिक्षक को समय, परिस्थिति तथा वातावरण के अनुकूल अपने को ढालते रहना चाहिए। यदि शिक्षक अपनी किसी योजना का अडिग रूप से अनुसरण करने का निश्चय कर लेता है, या एक ही शिक्षक विधि का सर्वत्र व्यवहार करने की चेष्टा करता है, तो वह शिक्षक सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई योजना बनाई जाती है तो एक विशेष परिस्थिति की कल्पना करके उसके आधार पर ही बनायी जाती है। यदि इस पूर्वकालिक योजना से भिन्न वातावरण, परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसका परिस्थिति, वातावरण या समस्या के अनुसार अपने पूर्व योजना में यथावश्यक परिवर्तन करना शिक्षक के लिए अनिवार्य हो जाता है। जो शिक्षक प्रत्युत्पन्नमति नहीं होता वह कक्षा–कक्ष में अकस्मात् यथावश्यक परिवर्तन करने में असमर्थ होकर प्रतिकूल कार्य करने लगता है।

शिक्षक एक कुशल मार्ग निर्देशक होता है और छात्र एक अनाड़ी यात्री होता है। यात्री न तो नूतन गन्तव्य स्थान की विभिन्न बातों से परिचित होता है न वहाँ पहुँचने के सरल एवं सुविधाजनक मार्ग को ही जानता है। शिक्षक की सहायता से छात्र अल्प धन, अल्प श्रम और अल्प समय में ही अपने मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। शिक्षक को समस्त मार्गो तथा उत्तम स्थलों की विशेषताओं का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि यात्री जिस किसी स्थान या परिस्थिति में मिले उसे उसकी आवश्यकता, रूचि, आर्थिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता तथा नियत समय की अच्छाई के अनुसार यथोचित स्थानों का उत्तमोत्तम ढंग से अवलोकन तथा विभिन्न समयबद्ध विषयों का बोध करा सके। हरबर्ट की पंचपदी और संस्कृत–शिक्षण–विद्यालयों में संस्कृत भाषा के अंतर्गत गद्य, पद्य, व्याकरण तथा अनुवाद को पढ़ाया जाता है। इन विषयों को पढ़ाने के लिए कुछ आड़्.ग्ल प्रणालियों का अनुसरण किया गया है। इस प्रणाली में फ्रेडरिक हरबर्ट की पंचपदी प्रमुख है, जिसमें हरबर्ट ने केवल चार ही सोपान निर्दिष्ट किये थे। जो इस प्रकार हैं–1. स्पष्टता 2. सहयोग 3. व्यवस्था 4.व्यावहारिक प्रयोग, परन्तु कुछ समय अनन्तर ''जिलर' तथा 'रेल' नामक हरबर्ट के दो शिष्यों ने चार पदी को पाँच पदों मे परिणत कर दिया। हरबर्ट के दोनों शिष्य 'स्पष्टता' नाम प्रथम पद को दो भागों में विभाजित कर दिया। ये जिन्हें प्रस्तावना तथा प्रस्तुतीकरण नाम दिया। यही बाद में हरबर्ट की पंचपदी के रूप में प्रचलित हुई। हरबर्ट के इस पंचपदी को कक्षा–शिक्षण से संबंधित नियमों का विस्तृत विवेचन किया गया है।

मनुष्य सामाजिक एवं विचारशील प्राणी है। सामाजिक जीवन से पृथक होकर न तो वह जीवित रह सकता है और न ही विचारशील हो सकता है। विचार प्रबल हुए बिना उसकी बुद्धि का विकास होना असंभव है। समाज में रहकर मनुष्य परस्पर विचारों का आदान–प्रदान करता रहता है, जिससे बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी समाज को जितना देता है उससे अधिक वह समाज से ग्रहण करता है। जेम्स बेलन के अनुसार–यदि सम्पूर्ण विश्व की एक ही सामान्य भाषा होती तो मानव के ज्ञान भण्डार का कल्पनातीत विकास, अल्पकाल से ही सम्भव हो पाता। सांस्कृतिक भाषाओं की बहुलता समस्त उच्च स्तर के विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वे अपने छात्रों को अन्य देशों के विचारों से तथा जीवन के ज्ञान की साधन रूपी उनकी भाषाओं की भी शिक्षा प्रदान करें। सभी भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण के लिए पर्सिविलय रेन द्वारा निर्दिष्ट वातावरण का निर्माण करना सम्भव नहीं है। यहाँ संस्कृत भाषा समस्त भारतीयों के संस्कारों की भाषा है। हिन्दी संस्कृत की दुहिता है। अतः हिन्दी के प्रयोग के लिए किये गए सभी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रयास संस्कृत के स्तरोन्नयन के लिए बहुत प्रभावी होंगे। 1990 में अजारा के बी0के0. बनर्जी ने (दी पंजाब एजूकेशनल जर्नल में अंग्रेजी, हिन्दी के शिक्षण संबंधी प्रयोग 100 बालकों पर किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाए तो बालकों में अच्छी आदतों का विकास शीघ्र होगा।

यह बात संस्कृत के लिए और भी अधिक लागू हो सकती है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो व्याकरण के बहुसंख्यक सूक्ष्म नियमों से आबद्ध है। शब्दरूप, धातुरूप, विभक्ति, लिङ्.ग, वचन, विशेषण, विशेष्य, भाव, सन्धि, समास तथा कारक आदि के सिद्धान्तों के ज्ञान के बिना संस्कृत भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना सम्भव नहीं है। भारत में ऐसे अनेक संस्कृतानुरागी माता–पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चों में सुसंस्कार का निवेश करने के लिए संस्कृत को ही अपना पारिवारिक भाषा बना लिया है।

संदर्भ–

1. संस्कृत–साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉ0 कपिलदेव द्विवेदी ।
2. संस्कृत–शिक्षण समीक्षा, डॉ0 इन्दिराचरण पाण्डेय।

संस्कृत भाषा शिक्षण में उपसर्ग प्रयोग की गतिविधि– शिक्षक संस्कृत की कक्षा में उपसर्ग का बोध कराने के लिए फ्लैश कार्ड के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधि करा सकते है जैसे –

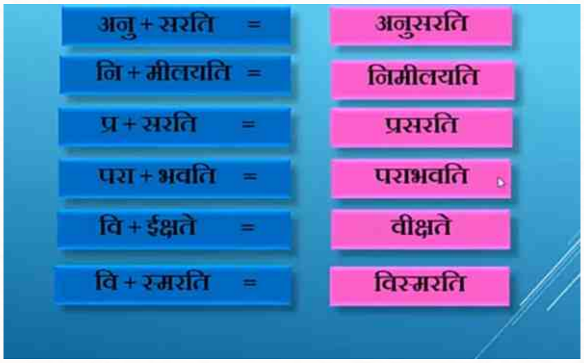

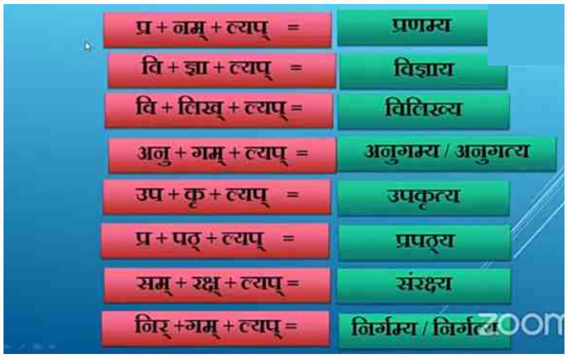

शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे।
साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने।।

अर्थात् प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं होता और प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं मिलती, सर्वत्र साधु नहीं मिलते और सब वनों में चंदन नहीं होता।

–चाणक्य

धाराप्रवाह पठन

पढ़ने का उद्देश्य भी पढ़ने की गति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए–अगर कोई पाठक परीक्षा के लिए पढ़ रहा है,तो संभवतः वह जानबूझकर धीरे –धीरे पढ़ेगा जबकि जो व्यक्ति किसी कहानी को केवल आनन्द या मजे के लिए पढ़ रहा है वह सम्भवतः उसे काफी तेजी से पढ़ता जाएगा।

तृप्ति मिश्रा (स०अ०)
कम्पोजिट उ०प्रा०वि०तिनकोनियाँ नं०–2
विकास खण्ड–चरगांवा जनपद–गोरखपुर(उ०प्र०)

एक प्रसिद्ध चीनी कहावत है कि–यदि आप किसी को एक मछली दे देंगे तो एक दिन के लिए उसका पेट भर जाएगा । लेकिन आप उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं ,तो आप जिन्दगी भर के लिए उसका पेट भर देंगे। कहावत के कहने का आषय यही है कि यदि किसी बच्चे का प्रारम्भिक मौखिक भाषा का विकास करना है, तो हमें सबसे पहले उसे शब्दों का डिकोडिंग करते हुए, उसका अर्थ समझते हुए, परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए, पूर्वज्ञान से जोड़ते हुए यानि पढ़ते हुए समझना इस दृष्टि में सक्षम बनाना होगा। प्रवाहपूर्ण पठन क्या है? किसी पाठ को सटीक ढंग से, उचित गति और उपयुक्त हाव–भाव के साथ पढ़ने को प्रवाहपूर्ण पठन या धाराप्रवाहिता पठन कहते हैं। धारा प्रवाहिता पठन की यह शर्त होती है कि पढ़ने वाला,बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के तेजी से शब्दों का डिकोडिंग करते हुए स्वतः स्फूर्तता के साथ हाव–भाव से पाठ्यवस्तु को पढ़ने में सक्षम हो। प्रवाहपूर्ण पठन को प्रभावित करने वाले कारक–प्रवाहपूर्ण पठन को मुख्य रूप से पांच ऐसे कारक हैं, जो प्रभावित करते हैं–

1–दृश्य शब्दों का अनुपात–दृश्य शब्द यानि देखते ही पहचान लिए जाने वाले शब्द अगर किसी पाठ में ऐसे ज्यादातर शब्द हैं,जिन्हें पाठक देखते ही पहचान सकता है तो पढ़ने की गति अपने आप ही बढ़ जाती है और यह क्षमता किसी शब्द के बार–बार परिचय के बाद ही पैदा होती है।

2–डिकोडिंग की गति और सटीकता–यानि न्यूनतम संज्ञानात्मक संसाधनों या ध्यानाकर्षण के सहारे कुशलतापूर्वक शब्दों को डिकोड करने की क्षमता से धाराप्रवाह पठन पर सकारात्मक असर पड़ता है। बच्चा जितना तेजी से डिकोड कर सकता है और जितनी सटीकता से तुरंत शब्दों को पहचान लेता है उतनी ही उसकी धारा प्रवाह पठन की गति बढ़ती जाती है।

3.पढ़ने का उद्देश्य–पढ़ने का उद्देश्य भी पढ़ने की गति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए–अगर कोई पाठक परीक्षा के लिए पढ़ रहा है ,तो संभवतः वह जानबूझकर धीरे –धीरे पढ़ेगा जबकि जो व्यक्ति किसी कहानी को केवल आनन्द या मजे के लिए पढ़ रहा है वह सम्भवतः उसे काफी तेजी से पढ़ता जाएगा।

4.पढ़ने की प्रेरणा और लगन – जब कोई बच्चा किसी ऐसे पाठ के शीर्षक या विषयवस्तु को देखता है जो उसके लिए रुचिकर नहीं है ,तो ऐसे पाठ को पढ़ने के लिए उसके पास कोई वजह या कारण नहीं होता है और आमतौर पर उसके पढ़ने की गति गिर जाती है या कम हो जाती है। वहीं अगर पाठ का शीर्षक या विषयवस्तु बच्चे के लिए रोचक हो और पाठ के प्रति बच्चे की रुचि बढ़ जाये तो उस पाठ को पढ़ने की प्रेरणा और लगन बढ़ जाती है ।

5.शब्द भंडार–यह सबसे प्रमुख और अंतिम कारक है। शब्द भंडार यानि बच्चे की शब्दावली का आकार । अर्थात् बच्चे ज्यादा से ज्यादा कितने शब्दों को जानते हैं या कितने शब्दों से वह परिचित है। उनकी शब्दावली का आकार कितना बड़ा है ,और पढ़ते समय शब्दावली का प्रयोग वो किस प्रकार कर रहें हैं। यानि जो पाठ्यवस्तु वो पढ़ रहे हैं उसमें उनकी शब्दावली के कितने शब्द प्रयोग किये गए हैं, इसका भी बच्चों की धाराप्रवाह पठन पर पूरा असर पड़ता है। पढ़ने में प्रवाह क्यों महत्त्वपूर्ण है? पठन प्रवाह और समझने की क्षमता में पारस्परिक संबंध है। अर्थात पठन प्रवाह ,समझने की क्षमता को प्रभावित करता है । कहने का अर्थ यह है कि कुछ हद तक समझे बिना किसी भी पाठ्यसामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना अर्थात् हाव–भाव के साथ पढ़ना सम्भव नहीं है। जब तक कि पाठक यह न समझ पा रहा हो कि वह क्या पढ़ रहा है तब तक उसका मौखिक पठन सिर्फ प्रवाहपूर्ण डिकोडिंग ही बन कर रह जायेगा। पढ़ने में प्रवाह और हाव–भाव की अवस्था तब आती है जब पाठ को पढ़ने के साथ–साथ तुरंत समझा भी जा रहा हो । कभी–कभी हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो ठीक–ठाक गति से और सटीक ढंग से किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे मौखिक पठन में कमोवेश प्रवाह प्राप्त कर चुके हैं, हो सकता है कि वे उस पाठ को बिल्कुल भी न समझ पा रहे हों। इसकी दो वजह हो सकती हैं–पहली बात तो ये कि हो सकता है कि कक्षा में पाठ को समझने की बजाय केवल तेजी से डिकोड करना तो सीख ले रहा हो।

मगर उस पाठ को समझने की उसकी वास्तविक क्षमता बहुत सीमित हो। ऐसी स्थिति में पढ़ने की गति या दर उनकी प्रवाहपूर्ण पठन और अर्थ समझने की क्षमता का अच्छा संकेतक नहीं होती है ।

मौखिक पठन प्रवाह (ओ. आर.एफ.) मापने का तरीका–बच्चे द्वारा एक मिनट में पढ़े गए सही शब्दों की संख्या को मौखिक पठन प्रवाह दर कहते हैं। इसके आंकलन के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं–

- बच्चों की कक्षा के स्तर के अनुरूप 150–200शब्दों वाला कोई पाठ ढूँढे।
- बच्चों को उस पाठ को उचित गति से पढ़ने के लिए कहें। अनावश्यक रूप से तेजी से पढ़ने की जरूरत नहीं है।

उसी पाठ की एक प्रति अपने हाथ में रखें।अगर बच्चा कहीं गलती करता हैऔर उसे स्वयं नहीं सुधारता है तो उस शब्द पर निशान लगा दें। (इन गलतियों में गलत उच्चारण यानि कलम को कमल बोलना, वैकल्पिक शब्द यानि सड़क को रास्ता बोलना, शब्दों के क्रम को आगे–पीछे करना,किसी शब्द को छोड़ देना, किसी शब्द को दो–तीन सेकंड तक न बोल पाना आदि शामिल है।) जबकि बच्चों द्वारा तीन सेकंड के अंदर किसी गलती को सुधार लेना या उच्चारण में छूट गए शब्दों को पुनः बोल देना, अतिरिक्त शब्दों को जोड़ देना आदि गलतियों के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। शब्दों को पुनः बोल देना, अतिरिक्त शब्दों को जोड़ देना आदि गलतियों के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए।

बच्चा उस पाठ को एक मिनट में जहाँ तक पढ़ पाता है, उस जगह पर निशान लगा दें।

शब्द डिकोडिंग की सटीकता की गणना–

शब्द डिकोडिंग सटीकता यानि सही–सही पढ़े गए शब्दों का प्रतिशत। उदाहरण के लिए–यदि कोई बच्चा एक मिनट में 55 शब्द पढ़ता है और उसने 8 गलतियां की हैं ,तो उसकी डिकोडिंग सटीकता प्रतिशत निकालने के लिए पहले 55 में से 8 घटाएंगे फिर बचे शब्द का प्रतिशत निकालेंगे, जो कि यहाँ पर 85.45 आएगा।

55–8=47

47/55×100=85.45

इस आधार पर बच्चों की डिकोडिंग सटीकता के तीन स्तर बनाये गए हैं–

1–स्वतंत्र स्तर–(96–100)शब्द बच्चा बिना सहायता के पढ़ने में सक्षम है।

2–निर्देशात्मक स्तर–(90–95)शब्द वह थोड़ी बहुत सहायता से खुद पढ़ लेता है।

3–निराशाजनक स्तर–(90 तक)शब्द उसे सहायता के साथ भी पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है।

ध्यान रखने योग्य बिंदु–अध्यापक नियमित रूप से औपचारिक ओ.आर.एफ. आकलन करने से बचें। इसके स्थान पर उनका यह जानना आवश्यक है कि कौन से बच्चे किस ढंग से पढ़ रहे हैं। जैसे–

1. हाव–भाव के साथ प्रवाहपूर्ण पढ़ना यानि बहुत कम गलतियों के साथ कितने बच्चे पढ़ पा रहे है?
2. वे कौन से बच्चे हैं जो कमोबेश प्रवाहपूर्ण लेकिन हाव–भाव के साथ पढ़ पा रहे हैं?
3. धीरे–धीरे शब्द दर शब्द पढ़ना, कुछ गलतियों के साथ किन–किन बच्चों को आता है?
4. शब्दों पर उँगली सरकाते हुए धीरे–धीरे पढ़ना यानि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कौन–कौन से बच्चे पढ़ना जानते हैं?
5. प्रत्येक शब्द को पढ़ने के लिए उसके अलग–अलग हिस्सों की अलग–अलग आवाज निकालना और तब उनको जोड़ना यानि हिज्जों को अलग करके जोड़ना कितने बच्चों को आता है?
6. कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे शब्दों को पढ़ने में अक्षम है?

सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में हिंदी महानतम स्थान रखती है।
अमरनाथ झा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : एक अवलोकन

शिक्षा समाज की खास जरूरत होती है क्योंकि समाज अपनी जैसी रचना करना चाहता है, इसका निर्धारण वहाँ की प्रचलित शिक्षा द्वारा ही तय होता है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा केवल शिक्षित एवं ज्ञान में वृद्धि ही नहीं करती अपितु चरित्र एवं राष्ट्र का निर्माण भी करती है। सभी देशों के विकास में उद्देष्यपरक एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना अच्छी शिक्षा के किसी भी देशका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मानव जीवन में किए जाने वाले कार्य के कई निश्चित उद्देश्य होते हैं यथा– शारीरिक, मानसिक विकास, आध्यात्मिक, नैतिक, भावनात्मक आदि। ये सभी उददेश्य शिक्षा के द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं।

साधना सिंह (स0अ0),
प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर, हरहुआ,
वाराणसी।

21वीं सदी ज्ञान की सदी है और ज्ञान प्राप्त करने का साधन है–गुणवत्तायुक्त एवं समसामयिक शिक्षा। शिक्षा समाज की खास जरूरत होती है क्योंकि समाज अपनी जैसी रचना करना चाहता है, इसका निर्धारण वहाँ की प्रचलित शिक्षा द्वारा ही तय होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल शिक्षित एवं ज्ञान में वृद्धि ही नहीं करती अपितु चरित्र एवं राष्ट्र का निर्माण भी करती है। सभी देशों के विकास में उद्देश्य परक एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना अच्छी शिक्षा के किसी भी देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मानव जीवन में किए जाने वाले कार्य के कई निश्चित उद्देश्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेहतर सामाजिक व्यवस्था एवं खुशहाल मानव जीवन के लिए शिक्षा की भूमिका व्यापक एवं अति महत्वपूर्ण होती है। मानव जीवन के विभिन्न पक्षों यथा आध्यात्मिक, नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक विकास के अतिरिक्त मानव का सामाजिकीकरण करना, योग्य नागरिकों को तैयार करने, मानव–संसाधन के रूप में उन्हें विकसित करने एवं सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

शिक्षा के दायित्व भी समय के सापेक्ष परिवर्तनशील होते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नयन, राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र निर्माण के लिए समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार करके ही समावेशी समाज की स्थापना संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समय–समय पर देश के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति तैयार की गई और उसे अपनाया गया। हमारा देश एक बार पुनः ज्ञान शक्ति का उत्कृष्ट केंद्र बने इसके लिए नई शिक्षा नीति–2020 के स्वरूप को अद्यतन बनाने का प्रयास किया गया है। इसी संदर्भ में वर्तमान शिक्षा नीति एक ऐसी समावेशी शिक्षा नीति है, जिसमें पंचायत से लेकर संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, छात्र से लेकर अभिभावक तक, शिक्षक से लेकर शिक्षाविदों तक और गरीब से लेकर उद्योगपतियों तक सभी के साथ विमर्श कर उनके विचार का योगदान भाामिल है। कदाचित यह पूर्ण रूप से एक ऐसी समावेशी शिक्षा नीति है जिसे बहुत विचार–विमर्श, मंथन और चिंतन के उपरांत अपना स्वरूप प्राप्त हुआ है।

पिछले कुछ वर्षों से देश में यह महसूस किया जा रहा था कि वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप देश के बेहतर भविष्य की खातिर एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा नीति को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा की पुरानी स्थितियों से आगे निकलकर नई आवश्यकताओं को समझते हुए ऐतिहासिक विसंगतियों को सुधारने हेतु वर्तमान सरकार ने देश में 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया है। वर्तमान शिक्षा नीति मानवता एवं वैश्विक सोच से परिपूर्ण है जो स्वयं में कर्तव्यनिष्ठ एवं वैश्विक नागरिक तैयार करने की परिकल्पना से ओतप्रोत है। जिसमें भारतीय समाज, देश की सांस्कृतिक विरासत, परंपरागत ज्ञान, मातृभाषा एवं तकनीकी ज्ञान आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना को देखते हुए यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि वैश्वीकरण एवं तकनीकी के दौर में वर्तमान शिक्षा नीति देशके छात्रों को जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करेगी जो देश के समक्ष उत्पन्न जटिल चुनौतियों का समाधान खोजने में रचनात्मक ढंग से अहम् भूमिका निभाएंगे।

- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का मानना था कि विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। ऐसे विचारों को मूर्त रूप देने के लिए नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सिद्धांत सुत्र को आधार बनाया गया है जिसके अन्तर्गत छात्र किसी भी भाषा को चुन सकता है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लक्ष्य के अन्तर्गत छात्रों पर पड़ रहे दबाव को दूर करके नवाचार एवं मनोरंजक तरीके से सीखने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है।
- नई शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ वंचित

वर्गों को शैक्षिक रूप से प्रोत्साहित करने की योजनाओं से सुसज्जित है।

- वर्तमान शिक्षा नीति समसामयिक–शैक्षिक ज्ञान, प्रशिक्षण के माध्यम से बौद्धिक एवं कौशल विकास एवं रोजगार परक शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है।
- वर्तमान शिक्षा नीति में प्राथमिक से उच्च शिक्षा क्षेत्र में तकनीकि के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जहाँ प्राप्तांक के स्थान पर बौद्धिक गुणवत्ता व कौशल विकास पर जोर दिया गया है।
- वर्तमान शिक्षा नीति में उच्च शिक्षक में उत्कृष्ट शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू करने के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार शोध एवं नवाचार आधारित कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत अब जल्दी ही देश भर में प्राथमिक से लेकर उच्चशिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करके नवाचार दूत के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गरिमा को ध्यान में रखकर उनके कौशल के सतत् विकास हेतु प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति के अनुरूप होने वाले बदलावों के लिए अब योग्य शिक्षकों की जरूरत होगी। इसके लिए शिक्षक–प्रशिक्षण में उच्च मानदण्डों को स्थापित करने पर जोर दिया गया है।नई शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन अध्यापकों की कार्यकुशलता, दक्षता, नवाचार एवं इनसे सम्बन्धित नैतिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन पर निर्भर करेगी क्योंकि अध्यापक ही कक्षा में बैठे विद्यार्थियों को तराशने का कार्य करते हैं। कदाचित इसीलिए नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गिरती हुई साख को पुनःस्थापित करने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि शिक्षा भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। ऐसे में इस शिक्षा नीति के अपेक्षित परिणामों को हासिल करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को कन्धे से कन्धा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों को वहन करना होगा।

अंत में यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि वर्तमान शिक्षा नीति 2020 स्वयं में 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उम्मीदों एवं भावनाओं को अपने अंदर समेटे स्वर्णिम भारत का स्वप्न लिए एक दूर दृष्टिगामी नीति है जो आने वाले समय में श्रेष्ठ एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगी। आज जब देश की शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के एक वर्ष बाद देशभर के अकादमिक जगत में इस शिक्षा नीति के विभिन्न संदर्भों पर व्यापक विचार विमर्श एवं चर्चाओं का दौर चल रहा है तो ऐसे में हम सभी के मन–मस्तिष्क में एक उत्साह का संचार एवं एक उम्मीद बंधी है कि अगर शिक्षा नीति से सम्बन्धित सभी हितधारकों के बीच समन्वय एवं दृढ़ता कायम रही तो भारतीय शिक्षा तंत्र निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट मानकों तक पहुँचेगा जिससे श्रेष्ठ भारत निर्माण का हमारा ध्येय पूरा होगा।

जैसे आग में डालने से सोना काला नहीं पड़ता वैसे ही शिक्षक के सिखाने में किसी प्रकार की भूल या त्रुटि न दिखलाई पड़े उसे ही सच्ची शिक्षा कहते हैं।

–कालिदास

आरम्भिक स्तर पर बिग बुक के प्रयोग का महत्त्व

बिग बुक बच्चों की किताबों का ऐसा आवर्धित प्रकार है जो सामान्य किताबों से बड़ा होता है। यह छोटे बच्चों को लिखित सामग्री या प्रिंट से परिचित करवाने का सर्वोत्तम साधन है। बिग बुक की यही विशेषता बच्चों के साथ साझा पठन, संवाद सहित पढ़कर सुनाने जैसी पठन की रणनीतियों में इसे प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम विज्ञान, गणित या पर्यावरण सम्बन्धी छोटी छोटी जानकारियाँ सरल भाषा और रोचक चित्रों के साथ कहानी के माध्यम से बिग बुक के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।

अल्पा निगम,(प्र0अ0)
प्रा. वि. तिलौली सरदारनगर, गोरखपुर

बिग बुक बच्चों की किताबों का ऐसा आवर्धित प्रकार है जो सामान्य किताबों से बड़ा होता है और छोटे बच्चों को लिखित सामग्री या प्रिंट से परिचित करवाने का सर्वोत्तम साधन है। शोध बताते हैं कि विद्यालय में बच्चों के सफल पठन कौशल और प्रारंभिक स्तर पर घर में उनके पठन के अनुभवों के बीच एक अत्यंत गहरा सम्बन्ध होता है। यदि घर पर वयस्क, बच्चों को छोटी उम्र से ही कहानी की किताबें पढ़कर सुनाते हैं, तो वे अपने बच्चों में पढ़ने की एक मज़बूत आधारशिला का निर्माण कर रहे होते हैं। बच्चों और वयस्कों के बीच साझा पठन की यह प्रक्रिया प्रारंभिक साक्षरता की नींव होती है और कक्षा में बिग बुक इसी अवधारणा का एक विस्तृत रूप है । साझा पठन के द्वारा बच्चे कई अवधारणाएं सीखते हैं, जैसे–प्रिंट की दिशा अर्थात प्रिंट बायें से दायें की ओर बढ़ता है, जो बोला या पढ़ा जा रहा है उसे लिखा भी जा सकता है, तथा पृष्ठ पर बने चित्रों और लिखे हुए शब्दों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। बच्चे जब बिग बुक से कहानी पढ़ते हैं तो उनमें पठन प्रवाह विकसित होता है क्योंकि बिग बुक की कहानियों में शब्दों का दोहराव होता है जिससे बच्चे अपनी स्मृति के आधार पर किसी शब्द को स्वतः अनायास ही पढ़ना शुरू कर देते हैं । मेरे शिक्षण अनुभव के अंतर्गत मैंने यह महसूस किया है कि छोटे बच्चे इन बिग बुक में बने बड़े – बड़े व रोचक चित्रों के प्रति आकर्षित होते हैं और अपना अधिकतर समय इन पुस्तकों के साथ व्यतीत करना चाहते हैं । इस दौरान वे पढ़ने का अभिनय करते हैं, अपने साथियों के साथ किताब में बने चित्रों पर चर्चा करते हैं, और कहानी में क्या हो रहा होगा, इस बात का अनुमान लगाने का प्रयास भी करते हैं ।

बिग बुक कैसी हो ?

बिग बुक आकार में बड़ी (लगभग 18 से 20 इंच लम्बी) होती है जिसमें कहानी के लिखे हुए शब्द और चित्र दोनों ही बड़े होते हैं ताकि इन्हें दूर बैठ कर भी देखा और पढ़ा जा सके । बिग बुक की यही विशेषता बच्चों के साथ साझा पठन, संवाद सहित पढ़कर सुनाने जैसी पठन की रणनीतियों में इसे प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाती है । बच्चों की पृष्ठभूमि और स्तर को ध्यान में रखते हुए हम कोई स्थानीय, छोटी और रोचक कहानी को 10 –12 पृष्ठ की बड़ी किताब (बिग बुक) का रूप दे सकते हैं ।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम विज्ञान, गणित या पर्यावरण सम्बन्धी छोटी छोटी जानकारियाँ सरल भाषा और रोचक चित्रों के साथ कहानी के माध्यम से बिग बुक के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं । कहानी की रचना करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें कुछ शब्द बार –बार आयें जिससे बच्चे उन्हें दृश्य शब्द के रूप में पहचान सकें।

बिग बुक का कक्षा में उपयोग –

बिग बुक कई गतिविधियों का एक समृद्ध स्रोत है जो पढ़ने को बढ़ावा देती है और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करती है। बच्चों के स्तर और शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, कक्षा में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे –

प्रिंट की समझ विकसित करना – बच्चों के सामने बिग बुक से जब साझा पठन किया जाता है तो हम शब्द दर शब्द उंगली फेरकर पढ़ते हैं जिससे बच्चों को इस बात का अंदाज़ लगता है कि शब्द ऊपर से नीचे चलता है और बायें से दायें पढ़ा जाता है ।

पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना–बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए हम बच्चों से कुछ चर्चा कर सकते हैं जैसे कि यह कहानी किस बारे में होगी, कहानी का शीर्षक और मुख्य पृष्ठ पर बने चित्र पर चर्चा करके बच्चों को कहानी से जोड़ सकते हैं ।

विचार करने की प्रक्रिया से जोड़ना – बच्चों को विचार की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए हमें बच्चों के सामने विचार करने की गतिविधि आदर्श रूप में प्रस्तुत करनी होगी जैसे – बच्चों के लिए कहानी पढ़ते समय बीच में रुक कर बच्चों के सामने बोलना कि "मुझे लगता है कहानी में ऐसा हुआ होगा कि .....", 'मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि कहानी में ऐसा क्यों हुआ होगा"। इस तरह से बच्चे जब हमें विचार करते देखते हैं तो उनमें यह समझ बनती है कि पढ़ने के दौरान हमारे पिछले अनुभव और किताब में लिखी हुई कहानी को आपस में जोड़ कर पढ़ना होता है ।

अनुमान लगाने की प्रक्रिया से परिचय–बिग बुक के माध्यम से बच्चों से अनुमान लगवाने का कार्य भी करवाया जाता है जिसमें बच्चों से हम यह पूछ सकते हैं कि "कहानी में आगे क्या हुआ होगा, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, इस कहानी में मुख्य पात्र की जगह अगर आप होते तो क्या करते" इत्यादि।

भाषाई गतिविधियाँ – इसके साथ–साथ बच्चों की भाषाई समझ को विस्तार दिया जा सकता है जिसमें बच्चों के शब्दकोष, दृश्य शब्दों की पहचान, शब्दों में आयी ध्वनियों की पहचान आदि का कार्य भी करवाया जा सकता है ।

बिग book के प्रयोग के उपरांत कक्षा में की जाने वाली विस्तारित गतिविधि –

उपरोक्त गतिविधियों के अलावा बच्चों के साथ कक्षा में विस्तारित गतिविधि के रूप में कहानी मानचित्र पर कार्य किया जा सकता है। कहानी मानचित्र बच्चों की समझ को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। इस गतिविधि के लिए मुख्य रूप से स्तर 1 व स्तर 2 के कहानी मानचित्र का प्रयोग किया जा सकता है–

स्तर 1 के कहानी मानचित्र– इस स्तर के कहानी मानचित्र में बच्चों से बातचीत करते हुए पूछा जाता है कि कहानी के आरम्भ में क्या हुआ ? मध्य में क्या हुआ और कहानी के अंत में क्या हुआ ? बच्चों से प्राप्त उत्तरों को शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखते हैं जिससे बच्चों में इस बात की समझ भी बनती है कि जो बोला जा रहा है उसको लिखा भी जा सकता है।

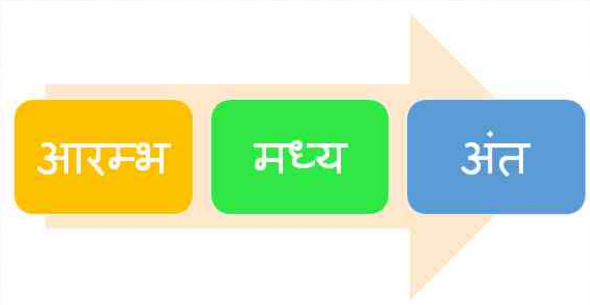

स्तर 2 के कहानी मानचित्र– इस स्तर के कहानी मानचित्र में बच्चों के साथ की जाने वाली चर्चा को थोड़ा और विस्तार देते हुए कहानी के वातावरण, पात्र पर भी बातचीत की जाती है। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों को शिक्षक द्वारा बोर्ड पर लिखा जायेगा जिससे बच्चों में कहानी का सार संकलन करने की समझ विकसित होती है।

कक्षा शिक्षण एवं सम्प्रेषण (Communication)

शैक्षिक अधिगम की सम्प्राप्ति में सम्प्रेषण का बहुत महत्व है सम्प्रेषण अर्थात वक्ता द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों सुनना व समझना ही सम्प्रेषण कहलाता है। कक्षा शिक्षक में सफल सम्प्रेषण वही होता है जिससे छात्र शिक्षक द्वारा बताई गई बातों को सुनकर उसके भाव को अच्छी तरह समझ सके और आत्मसात कर सकें। यदि सम्प्रेषण सही और प्रभावी होगा तो गुणवत्ता पर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

राजीव कुमार पाण्डेय
स0अ0 प्राथमिक विद्यालय खारीकुआँ, भेलूपुर
जोन नगर क्षेत्र, वाराणसी।

शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयवार मौलिक रूप से विषय वस्तु को यदि एक उद्दीपीय मान लिया जाय तथा छात्रों को अनुक्रिया करने वाले समूह में रखा जाय, तो इसका असर तभी पूर्ण होता है जब शिक्षक अपने विषय वस्तु को नियोजित ढ़ंग से एवं स्पष्टता से प्रस्तुत करें, तथा साथ ही साथ शिक्षण के उद्देश्यों के सापेक्ष छात्र सही अनुक्रिया करें, तो परिणामतः अपेक्षित अधिगम की सम्प्राप्ति होती है तथा शिक्षक को प्रतिपुष्टि भी मिलती है।

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि उच्चारण की दृष्टि से शिक्षक में त्रुटि हो या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जो विशिष्ट कोटि में आते हैं यह अधिगम सम्प्राप्ति में बाधक बनता है। इसके अतिरिक्त छात्रों की रूचि, रूझान, मनोवैज्ञानिक स्थिति, वातावरण का शोरगुल एवं अन्य बहुत से कारक हैं जो अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बाधक हैं। इन बाधाओं से मुक्त स्थान पर सम्यक सम्प्रेषण के माध्यम से यदि शिक्षा दी जाए और साथ ही साथ यदि मूर्त वस्तुओं का भी प्रयोग शिक्षणमें किया जाए तो निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता हैं।

पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री "बी0एस0 ब्लूम" ने शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में 3 तरह के उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र एवं भावात्मक क्षेत्र निर्धारित किये हैं :–

संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य– शिक्षा शास्त्री ब्लूम ने बड़े ही मनौवैज्ञानिक ढ़ंग से संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पूरे 6 उप भागों में विभाजित किया है। जिसमें प्रथम ज्ञान का उद्देश्य, द्वितीय बोध का उद्देश्य, तृतीय विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान, चतुर्थ अनुप्रयोग का उद्देश्य, पंचम तार्किक क्षमता के विकास के लिए विश्लेषण एवं संश्लेषण का उद्देश्य तथा अन्त में अर्जित ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने हेतु छात्र के अन्दर मूल्यांकन के उद्देश्य को विकसित किया जाना ही संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का समुच्चय बताया गया है।

क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य– विभिन्न कौशलों के विकास की दृष्टि से उद्दीपन अनुक्रिया के सम्बन्ध के आधार पर नियंत्रित परिस्थिति में समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षण कौशल को विकसित करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दैहिक क्रियाओं को विकसित करना ही प्रमुख रूप से क्रियात्मक या मनोशारीरिक उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति में सहायक माना जात है। अर्जित ज्ञान लाया कहॉ से जाएगा, अतीत के उपलब्धि परक विभिन्न परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करते हुए स्वाभावीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना, जो कालान्तर में आदम निर्माण अर्थात् हैबिट परफारमेशन का स्वरूप ग्रहण कर ले, यह इस कोटि के अन्तर्गत आते हैं।

भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य– भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में प्रथम भाग प्रत्यक्षीकरण का होता हैं, जिसमें सजगता आधारित वातावरण सृजन (अवेयरनेस) ग्रहण करने की इच्छा शक्ति का विकास तथा नियंत्रित परिस्थितियों में ध्यानाकर्षण मुख्य लक्ष्य होता है। द्वितीय भाग अनुक्रियाओं से सम्बन्धित होता है। अनुक्रियाओं के प्रति सहमत होना, अनुक्रियाओं की इच्छा रखना तथा संतुष्ट होना इत्यादि वस्तुनिष्ठ लक्ष्य आते हैं, और यही शिक्षक को प्रतिपुष्टि भी प्राप्त कराती है। भावात्मक क्षेत्र का तृतीय भाग मूल्यों के विकास से सम्बन्धित होता है जिसमें मौलिक रूप से किसी मूल्यों को स्वीकार करना, दैनिक जीवन में मूल्यों के अनुसार आचरण करना तथा मूल्यों के प्रति अस्थाई प्रतिबद्धता का भाव विकसित करना, प्रमुख रूप से इस कोटि के अन्तर्गत आते हैं। चौथा भाग सम्प्राप्ति करके विकास का होता है जिसमें समान मूल्यों को संगठित प्रणाली में विकसित करने का प्रयास होता है। भावात्मक क्षेत्र का पाँचवा उद्देश्य मूल्यों के समूहों का संगठन करना तथा व्यस्थित स्वरूप प्रदान करने से सम्बन्धित होता है। एक समान मूल्य को एक प्रणाली में संगठित करना एवं मूल्यों के अन्तःसम्बन्ध का निर्धारण करना इस कोटि में आता है। भावात्मक क्षेत्र का अन्तिम उद्देश्य सौन्दर्य की अनुभूति माना गया है जिसमें मूल्यों को स्वीकार करना,

व्यवस्थित करना, चरित्रार्थ करना तथा उसका अनुसरण करना, इत्यादि सम्मिलित हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सम्प्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

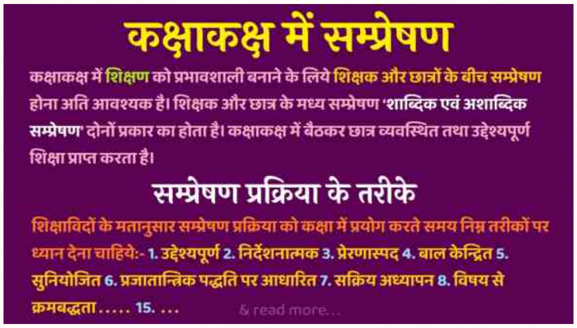

प्रभावशाली कक्षा शिक्षण में सम्प्रेषण की भूमिका – कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सम्प्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच कक्षा–कक्ष में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वह शिक्षण प्रक्रिया ही है जो कि सम्प्रेषण के द्वारा ही पूर्ण होती है। पाठ्यवस्तु को छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक जो भी कुछ बोलकर, व्याख्या करके, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके छात्रों को समझाने का प्रयास करता है वह संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। यदि सम्प्रेषण स्पष्ट षुद्ध और विषय वस्तु पर आधारित होगा तो छात्रों को विषय वस्तु को सीखने में सरलता होगी।

सम्प्रेषण के समय ध्यान देने योग्य बातें

- शिक्षक द्वारा पाठ्यवस्तु को स्पष्ट करने के लिए कहे गए वाक्य स्पष्ट होने चाहिए।
- उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए।
- व्याख्या पाठ्यवस्तु के अनुसार होनी चाहिए।
- छात्रों से बीच–बीच में प्रश्न पूछ कर यह जानने का प्रयास कर लेना चाहिए की बताई गई अथवा सम्प्रेषित की गई बातें छात्र यथावत सुन एवं समझ रहे हैं अथवा नहीं।
- सम्प्रेषण कक्षा–कक्ष एवं छात्रों के आयु के अनुसार होनी चाहिए। कक्षा–कक्ष में दुरुह एवं कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को शिक्षक द्वारा कही गयी बातें समझ में आ जाये।

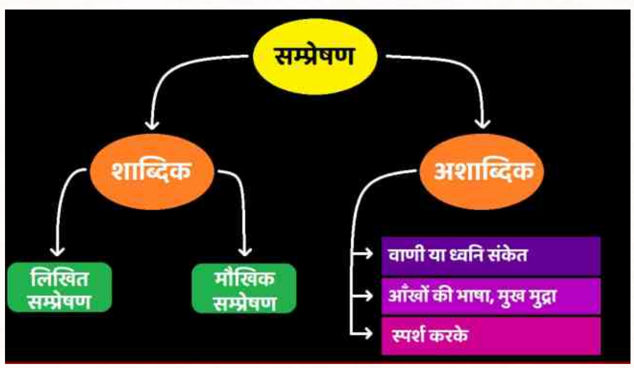

सम्प्रेषण के महत्त्व को इस वाक्यांश के द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है– एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग भवति अर्थात एक ही शब्द के पूर्ण ग्यान और सम्यक प्रयोग से ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात वक्ता के कहे गए वाक्यों को श्रोता यदि उसी रूप में सुनता व समझता है तभी सम्प्रेषण को सफल और उपयोगी माना जाता है। यदि सम्प्रेषण ज्यों का त्यों नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कहा भी गया है नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा होता है। ऐसे मेँ यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षण के समय छात्रों के साथ की गई बातचीत का सम्प्रेषण ऐसा हो जो छात्रों को सुनने एवं समझने में सरल हो तभी छात्र पाठ्यवस्तु को सीख सकेंगे।

प्रारम्भिक भाषा शिक्षण–गुणवत्तापरक अधिगम संप्राप्ति के उपाय

भाषा शिक्षक के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह होती है कि वह यह जानते हुए कि बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की एक बेहतर क्षमता रखते हों और इस क्षमता का प्रयोग करते हुए उन्हें हिन्दी भाषा का चारों दक्षताओं के विकास के लिए कुछ ऐसे क्रियाकलाप कराए जाएं जिससे बच्चों में अपेक्षित परिणाम हासिल हो सके।

अखिलेश्वर प्रसाद गुप्ता
स0अ0
सदस्य राज्य संदर्भदाता समूह,
वाराणसी।

हम सभी जानते हैं कि बच्चे विद्यालय में आने से पूर्व ही अपने घरेलू भाषा या जिन्हें हम मातृभाषा भी कह सकते हैं, की अच्छी समझ रखते हैं और उसी समझ का उपयोग करके वे अपने दैनिक जीवन के समस्त क्रियाकलापों को संपादित भी करते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा अपने विचारों– अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए भी मौखिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि पारंपरिक लेखन की बातचीत की जाए तो विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व बच्चे आड़ी–तिरछी लाइन खींच कर लिखित रूप से भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, किन्तु जब बच्चे विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश लेते हैं तो हम सभी शिक्षक उन्हें भाषा में और पारंगत बनाने के लिए व्यवस्थित शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, जिसके लिए सामान्यतया हम कुछ पाठ्यपुस्तकों का भी प्रयोग करते हैं।

औपचारिक शिक्षण के दौरान शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वह बच्चों को भाषा की चार दक्षताओं–सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में लगातार और बेहतर बनाते रहें। इसकी शुरूआत बच्चो के साथ सामान्य बातचीत तथा कहानी को सुनाने के पश्चात बच्चों से उनके शब्दों में सुनने से होती है। शिक्षक की अपेक्षा रहती है कि बच्चे जो भी कहानियाँ सुनें उन्हें अपने शब्दों में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। इस दौरान अपेक्षा रहती है कि बच्चे अपनी स्मृति के आधार पर कहानियों को याद रखें और कहानी की घटनाओं को उन्होंने जिस क्रम में सुना है उसी क्रम में व्यक्त कर सकें। यह भी प्रयास रहता है बच्चों की बोलने की दक्षता के अन्तर्गत उन्हें कुछ बिंदु दिए जाए और उसके आधार पर उनसे उनके विचारों को सुना जाए। उस दौरान उनमें यह विकसित करने का प्रयास करते हैं कि वे घटनाओं को क्रम से बता सकें और उचित विराम चिह्नों का मौखिक रूप से प्रयोग करते हुए शुद्धता के साथ उचित ध्वनि में अभिव्यक्त कर सकें। पढ़ने की दक्षता के विकास के दौरान भी बच्चों से यह अपेक्षा रहती है कि वे लिखित सामग्री को शुद्धता के साथ उच्चारित कर सकें तथा क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा है यह भी समझ सकें जिसे हम समझ के साथ पढ़ना भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार लेखन के दौरान भी यह अपेक्षा रहती है कि वर्णों की सुडौल आकृति बनाते हुए शब्द और शब्द के बीच की दूरी का ध्यान रखते हुए वाक्यों और अनुच्छेदों को लिख सकें। लिखने में शब्दों का प्रयोग सटीक ढंग से किया गया हो, विराम चिह्नों का उचित स्थानों पर प्रयोग किया गया हो, विषयवस्तु को क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया हो तथा जो कुछ भी वे कहना चाहते हैं उनमें पूर्णता हो।

भाषागत इन अपेक्षाओं के लिए शिक्षक अपनी औपचारिक कक्षाओं में लगातार शिक्षण योजनाएं बनाता है और कार्य करता है, किन्तु जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो शिक्षक यह सोचने को विवश होता है कि आखिर कैसे हम प्रयास करें जिससे कि बच्चों की भाषाई दक्षता का विकास अपेक्षित रूप से हो सके। इसके लिए उसे

कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है या हम यह कह सकते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की रणनीतियों को अपनाते हुए अपने कक्षा शिक्षण में उन कौशलों का प्रयोग करना होता है जिसके द्वारा वह अपेक्षित अधिगम सम्प्राप्ति को बच्चों में देख सके या हम ऐसे भी कह सकते है कि वे बच्चों में उन दक्षताओं का विकास कर सके, जिससे बच्चे आवश्यकता के अनुसार अपने आप को मौखिक एवं लिखित रूप से व्यक्त कर सकें। भाषा शिक्षक के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह होती है कि वह यह जानते हुए कि बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की एक बेहतर क्षमता रखते हों और इस क्षमता का प्रयोग करते हुए उन्हें हिन्दी भाषा का चारों दक्षताओं के विकास के लिए कुछ ऐसे क्रियाकलाप कराए जाएं जिससे बच्चों में अपेक्षित परिणाम हासिल हो सके। इसके लिए शिक्षक कुछ उपाय अपना सकता है, जो इस प्रकार है–

1–बच्चों के अनुभव, समझ और ज्ञान का प्रयोग–बच्चों

मौखिक भाषा विकास के लिए शिक्षक को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें। बच्चे अपने अनुभवों को, अपने विचारों को या जो भी उन्होंने क्रियाकलाप के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रखा है उसे दूसरों के सामने क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकें और इस दौरान शिक्षक हमेशा उनके प्रयासों को प्रेरित करते रहें।

2–चारों दक्षताओं पर एक साथ कार्य करना– कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना इस प्रकार से बनाई जाए कि बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने चारों का अवसर मिल सके उदहारण के लिए जब बच्चों को कोई कहानी सुना कर उन्हें उस कहानी को अपने शब्दों में बताने को कहा जा सकता है। इस दौरान बच्चों को पुस्तक में लिखी कहानी भी दिखाई जाय। अंत में कहानी के बारे में लिखने अथवा कहानी के किसी पात्र का चित्र बनाने को कहा जा सकता है। इसके लिए शुरूआती दौर में हम सुनने और बोलने के लिए ज्यादा समय ले सकते हैं, जैसे–जैसे बच्चों की क्षमताएं बढ़ती जाए हम पढ़ने और लिखने का समय बढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों में भाषा को समग्र रूप से समझने और व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

3–छोटे एवं बड़े समूह में कार्य करना– कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक बच्चों को छोटे एवं बड़े समूहों में भी कार्य करने का अवसर दें। जब बच्चे छोटे समूह में कार्य करते हैं तो वे आपस में चर्चा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं। साथ ही जब बच्चे बड़े समूह में कार्य करते हैं तो वह एक से अधिक अपने साथियों के विचार सुनते हैं और उससे निरंतर कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं। साथ ही अपनी त्रुटियों को भी संशोधित करते रहते हैं।

4-CWT (Chalk, Walk, Talk)–कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक यह प्रयास करता है कि Chalk, Walk, Talk का सिद्वान्त भी अपनाएँ, जिसके अंतगर्त यह कहा जाता है कि शिक्षक जब भी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हो तो लिखी गई बातों को बोलते भी रहें। जब भी बच्चों के बीच हों तो लगातार बच्चों से वातार्लाप भी करें और उनके कार्य का अवलोकन भी करें। ऐसा करने से बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। शिक्षक को भी यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और उन्हें कहीं कोई समस्या आ रही है तो समस्या आने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करता है। शिक्षक प्रयास करता है कि जिस गति से वह आगे बढ़ता है उसी गति से बच्चे भी बढ़ रहे हैं।

5–आदर्श लेखन– आरंभिक कक्षा में शिक्षक को यह संदर्भ में रखते हुए कि बच्चों को सुडौल और मानक के अनुरूप वर्णों/अक्षरों की आकृति बनाते हुए लेखन का अभ्यास करने का अवसर मिले, उसे स्वयं स्पश्ट रूप से आदर्श लेखन करना चाहिए। यह बच्चों को सीधे तौर पर देखने और सीखने में मदद करता है कि शिक्षक स्वयं कैसे वर्णों/अक्षरों और शब्दों को लिखते हैं। बच्चे भी उसी अनुरूप वर्णों/अक्षरों और शब्दों को बनाने का प्रयास करते हैं।

6–शारीरिक मुद्रा– स्थायी एवं गुणवत्तापरक अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को कक्षा–कक्ष में हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में बच्चों से बात करनी चाहिए। उनका शारीरिक प्रदर्शन बच्चों में हमेशा यह संदेश दे कि वे उनके साथ मित्रवत सीखने में मदद कर रहे हैं।

7–लेखन के दौरान वर्णों की आकृति– लेखन के दौरान हमेशा वर्णों तथा शब्दों की आकृति मानक रूप से ही बनानी चाहिए और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बच्चों से बातचीत कर रहे हो तो उच्चारण में शुद्धता हो साथ ही ध्वनि की तीव्रता इतनी होनी चाहिए कि सभी बच्चे स्पष्ट रूप से सुन सकें। विशेष रूप से श्रुतिलेख करते समय इस बात का अधिक ध्यान होना चाहिए। उच्चारण अशुद्ध होने के कारण और कक्षा–कक्ष के अंदर या आसपास ध्वनि संबंधी व्यवधान होने के कारण बच्चों का श्रुतिलेख प्रभावी हो सकता है।

8–भयमुक्त वातावरण–कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान शिक्षक को हमेशा एक भयमुक्त वातावरण का सृजन करना चाहिए, इसका आशय यह है कि शिक्षक हमेशा बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें। सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में जहाँ भी बच्चों को मदद की आवश्यकता हो अवश्य दें। उनके छोटे प्रयासों की भी सराहना की जाए। बच्चों को आपस में मिलकर सीखने का अवसर दिया जाए। हमेशा सुधारात्मक ही सुझाव दिया जाए और बच्चों को यह एहसास कराया जाए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जो भी आपने प्रयास किया है वह बेहतर है। आप इससे और बेहतर कर सकते हैं। जब इस प्रकार का एहसास को हम बच्चों के बीच में पहुचाते हैं तो बच्चे भयमुक्त होकर और स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी क्षमता के साथ सीखने का प्रयास करते है। शुरूआती कक्षा में हमेशा भाषागत बातचीत के अन्तर्गत इसी संदर्भ को शामिल किया जाना चाहिए। परिवेशीय सन्दर्भ के माध्यम से शिक्षक बच्चों के साथ बहुत ही सहजता से जुड़ जाते हैं और बच्चे भी कक्षा शिक्षण में बराबर रूप से प्रतिभाग करने लगते हैं। परिवेशीय संदर्भ उन्हें सहज भी बनाते हैं। शिक्षक द्वारा बोलते हुए बोर्ड पर लिखना बच्चों में इस धारणा को विकसित करने में मदद करता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे लिखा भी जा सकता है और जो कुछ लिखा हुआ है उसे हम पढ़ भी सकते हैं। आरम्भिक कक्षाओं में जब शिक्षक बच्चों के भाषाई दक्षता विकास पर कार्य करें तो यह विशेष रूप से ध्यान रखें

कि आरंभ के कुछ समय तक बच्चों के साथ बहुत अधिक टोका–टाकी ना की जाए या उन्हें हर गलती पर न रोका जाए और जैसे–जैसे कक्षाएं आगे बढ़े धीरे–धीरे शिक्षक यह प्रयास करें कि उनकी मौखिक अशुद्धियों को सीधे रूप में गलत ना कहते हुए उन्हें बार–बार अभ्यास करने का अवसर दें। इसके लिए शिक्षक स्वयं उच्चारण की शुद्धता को उनके सामने प्रस्तुत कर सकता है। जब बच्चे शिक्षक को किसी शब्द अथवा वर्ण को शुद्ध रूप से उच्चारित करता हुआ देखते हैं तो वे भी ठीक उसी प्रकार से उच्चारित करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार से लेखन में जब शिक्षक स्वयं आदर्श रूप से लिखते हैं और विशेष रूप से बोल कर लिखते हैं या विराम चिह्न का प्रयोग करते समय बच्चों से बातचीत करते हैं या उनके कारणों को बताते हैं तो बच्चे भी उनसे अपनी समझ विकसित करते हैं। जब बच्चे स्वयं लिखते हैं तो उन त्रुटियों को नहीं करते हैं। सीधे तौर पर बच्चों को गलत कहना या उनके कार्यों को सम्मान ना देना शिक्षण अधिगम को तेजी से प्रभावित करता है। हम सबको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि छोटे से छोटे प्रयासों को भी बच्चों के सामने संदर्भित किया जाए उनकी प्रशंसा की जाए और लगातार छोटे–छोटे संशोधनों को चिह्नित करते हुए अशुद्धता को न्यून किया जाय। लिखित समृद्ध वातावरण का सृजन एवं उपयोग–लिखित समृद्ध वातावरण के निर्माण के दौरान कक्षा–कक्ष में बच्चों के लिए कहानी, कविता के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के चित्रों को प्रदर्शित करना जिसकी मदद से बच्चे पढ़ने के लिए तत्पर हो सकें और उन विषयवस्तु को शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की भाषाई दक्षता के विकास के लिए भी प्रयोग कर सकें। ऐसी व्यवस्था बेहतर अधिगम सम्प्राप्ति के लिए सीधे तौर पर मदद करती है। लिखित समृद्ध माहौल के सृजन के लिए शिक्षक कक्षा–कक्ष में विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्री को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे–बच्चों के कार्यों को प्रदर्शित करने का एक कोना बनाया जाए, बच्चों को स्वयं अपनी उपिस्थित दर्ज करने के लिए चार्ट पर उनके नाम लिखकर प्रदर्शित किया जाए, शब्द कोना में उन्हें प्रतिदिन नए–नए शब्दों को पढ़ने के अवसर दिए जाए और बच्चों के स्तर के अनुसार उन्हें कहानी, कविता की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए जो बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करे साथ ही लिखने में भी मदद करें।

"Learn to Read and Read to Learn-"

आरम्भ में यह आवश्यक होता है कि बच्चे पढ़ना सीखें। जब बच्चे समझ के साथ पढ़ना सीख जाते हैं तो वे अपनी इस क्षमता का उपयोग अन्य विषयों पर अपनी समझ विकसित करने में सफलतापूर्वक करने लगते हैं। भाषा की संरचना में शब्दों को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है ये पद, अर्थ तथा उच्चारण की विशिष्टता को समाहित करते हैं।

बच्चों में नेतृत्व कौशल का विकास बाल संसद

बच्चों में नेतृत्व एवं पारस्परिक सहयोग की भावना के सम्यक विकास हेतु बाल संसद का गठन एवं उसे सक्रिय बनाना आवश्यक है। बाल संसद के माध्यम से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, स्वच्छता एवं सामाजिक दायित्व के निर्वहन के प्रति जागरूकता सुनिश्चित की जा सकती है। जिससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं जागरूक नागरिक बनने में सहायता मिलती है।

धीरज सिंह,
एस0आर0जी0
जनपद– भदोही

340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक खेल की रचना करते थे जिसमें वह स्वयं राजा बनते थे और अपने दोस्तों की समस्या का हल निकालते थे इसी खेल को खेलते वक्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त के नेतृत्व कौशल को देखा और गुरु चाणक्य के सानिध्य और मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।

नेतृत्व ऐसा गुण है जो कुछ में सहज रूप से विद्यमान होता है कुछ में अवसर मिलने पर प्रकट होता है। विद्यालय परिवेश में शिक्षक नैतिकता, सदाचार, समय पालन, आज्ञा पालन जैसे गुणों का बच्चों में बीजारोपण एवं विकास करता है हमारे विद्यालय में समाज के हर वर्ग और परिवेश से जुड़े बच्चे आते हैं जो अब तक अपने परिवार व मित्रों से सीखे और अपनाए गए अनुभव–संपदा से युक्त होते हैं। ये सहज रूप से विद्यालय की दैनिक गतिविधियों में दृष्टिगोचर होता है। कुछ विद्यार्थी स्व प्रेरणा से बच्चों को पंक्तिबद्ध करना, कक्षा में अनुशासन बनाना व आपस की समस्याओं में न्याय मित्र की भूमिका का निर्वहन करते हैं और विद्यालय का अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करते हैं। बच्चों में नेतृत्व एवं पारस्परिक सहयोग की भावना के सम्यक विकास हेतु बाल संसद का गठन एवं उसे सक्रिय बनाना आवश्यक है, बाल संसद के माध्यम से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, स्वच्छता एवं सामाजिक दायित्व के निर्वहन के प्रति जागरूकता सुनिश्चित की जा सकती है ,जिससे बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं जागरूक नागरिक बनने में सहायता मिलती है।

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं सभी विद्यालयों के विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिसमें बच्चों के विकास हेतु स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, सृजनशीलता,अभिव्यक्ति, खेल एवं संस्कृति पर्यावरण के प्रति सजगता जैसे अनेक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं इनकी संप्राप्ति हेतु सभी गतिविधियों को विद्यालय में और उसके आसपास निर्धारित किया गया है इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाएं और सक्रिय रुप से संबंधित गतिविधियों में भाग लें। यह प्रक्रिया हर बच्चे को किसी न किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए योग्य बनाता है, हर बच्चा शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति, सभी विद्यालय और समाज के द्वारा समर्पित अधिकारों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जब विशेष एवं व्यवस्थित रूप से इस पर ध्यान दिया जाए। सर्वांगीण नेतृत्व क्षमता, योजना बनाना, विद्यालय प्रबंधन की भूमिका हेतु प्रधानमंत्री का चयन बच्चों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वच्छता हेतु स्वच्छता मंत्री, प्रत्येक बच्चे को पोषक तत्वों की जानकारी व एमडीएम के मीनू मानक पालन एवम वितरण हेतु पोषण मंत्री, हर बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आए इस हेतु उपस्थिति मंत्री, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, बागवानी, हरित विद्यालय के लिए पर्यावरण मंत्री, खेलकूद एवम सांस्कृतिक गतिविधियों में सभी बच्चे अपनी रूचि के अनुसार भाग लें इसके लिए खेलकूद एवं सांस्कृतिक मंत्री, पुस्तकालय की पुस्तकों, ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानियों तक सभी बच्चों की पहुंच एवं उपयोग हेतु पुस्तकालय मंत्री सहित इनके सहयोगियों का चयन बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकास व दायित्व बोध का भाव सबल करता है साथ ही शनिवार को होने वाली बाल सभा की गतिविधियां विचार अभिव्यक्ति हेतु सशक्त प्लेटफार्म है।

यह ऐसे विद्यालय के सपने को साकार करता है जहां सब कुछ अपना होता है, और यह भाव उत्पन्न होता है कि यह हमारा विद्यालय है। आगे चलकर ये बच्चे जिन्हें शुरुआती मौके मिलते है, अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने में संकोच, झिझक, दब्बूपन के भाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते है और ये अन्य बच्चों को भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने और उसे पूरा करने को प्रेरित करने में सफल होते है निःसंदेह यही धीरे–धीरे समाज और राष्ट्र का भी एक दिन नेतृत्व करने योग्य हो जाते है।

शिक्षण–अधिगम में क्राफ्ट की सार्थकता

बच्चे जो कार्य स्वयं करते हैं या वे जिस चीज को महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में सीख पाना उनके लिए आसान हो जाता है। क्राफ्ट को जादू की वह छड़ी कह सकते हैं जिसकी सहायता से शिक्षक अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है। जैसे असली ट्रेन दिखा पाना मुश्किल है परन्तु अगर शिक्षक कार्डबोर्ड की सहायता से ट्रेन बना कर बच्चों को दिखाये या बच्चों की सहायता से ट्रेन बनायें तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे।

आकांक्षा पाण्डेय स.अ.
प्रा.वि. पुरन्दरपुर सेवापुरी
वाराणसी

कक्षा–कक्ष में बड़ी चहल–पहल थी उस दिन सभी बच्चे बड़े ही उत्साह से अपनी मेज पर रखी रंगीन सामग्री में तल्लीन थे। अध्यापिका जी ने आज सबको उनके मनपसन्द रंग का कागज का टुकड़ा चुनने का अवसर दिया था। बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था जैसे। आज वह चिड़िया बनाने वाले थे। बच्चों में सामग्री बाँट दी गयी थी और उन्हें अध्यापिका के निर्देशानुसार कार्य करना था। इसके पहले कागज की चिड़िया न किसी ने देखी थी और न सुनी थी। जैसा–जैसा अध्यापिका करके दिखलाती गयीं वैसा–वैसा बच्चे भी करते गएं और थोड़ी–ही देर में उनके सामने एक सुंदर चिड़िया तैयार थी। उनकी बनाई हुई, उनके प्रिय रंग की एकदम जीवन्त सी! रोमांच और स्फूर्ति से परिपूर्ण कक्षा को फिर अध्यापिका ने पाठ बया–हमारी चिड़िया रानी से जोड़ा।उपरोक्त वृतान्त एक ऐसी कक्षा का है जिसमें अध्यापक ने क्राफ्ट की सहायता से शिक्षण को रुचिकर रूप देते हुए प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्राफ्ट होता क्या है !

'क्राफ्ट' एक अंग्रेजी शब्द है। जिसको हिन्दी में हस्तकौशल, शिल्प, कारीगरी, शिल्प दस्तकारी आदि भी कहते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, छोटे स्तर पर हाथ से सामान बनाने वाले लोगों को शिल्पकार कहते थे। कुछ यहीं से आया है हमारा 'क्राफ्ट' जिसका तात्पर्य है किसी विशेष कौशल द्वारा कुछ नया 'create' करना अर्थात उत्पादन या सृजन करना।

विद्यालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए क्राफ्ट का बड़ा महत्व है। विद्यालय में शिक्षक पठन–पाठन में सहायक जिस भी सामग्री का निर्माण करते हैं वह प्रायः क्राफ्ट के अन्तर्गत आता है। आइये उदाहरण से समझते हैं–

पेन स्टैंड
डस्टर
फोटो फ्रेम
कठपुतली
पेपर होल्डर
अक्षर कार्ड
वर्णमाला ट्रेन
नाव इत्यादि

उपर्युक्त सभी वस्तुएँ या तो नई सामग्री से बनाई जा सकती हैं या पुरानी निष्प्रयोज्य सामग्री से। परंतु क्राफ्ट द्वारा रूपान्तरण के बाद वह कक्षा में ही नहीं अपितु जीवन में भी बहुपयोगी हो जाती हैं।

इसे बच्चों के कौशल विकास के परिदृश्य से जोड़कर देखें तो, शिल्प–आधारित शिक्षा को महत्व देते हुए गांधीजी ने भी कहा था कि "इस प्रकार की शिक्षा छात्र को इस योग्य बना देती है कि वह विशेष कला कौशल के माध्यम से अपनी रोजी–रोटी आसानी से चला लेता है अर्थात अपने जीविकोपार्जन के साधन ढूंढ लेता है और समाज में अपना उचित व अच्छा स्थान भी बना लेता है। वर्तमान युग में अर्थात् आधुनिक समय में अधिकतर छात्र इसी शिक्षा को पसन्द करते हैं। इसलिए आज के युग में शिल्पकेन्द्रित शिक्षा का विशेष महत्व है। यह शिक्षा छात्र को इस योग्य बना सकती है कि वह विशेष कला–कौशल के माध्यम से अपनी जीविका आसानी से चला सकता है तथा समाज में अपना विशेष स्थान भी बना सकता है। जहाँ विभिन्न कौशलों की सहायता से शिक्षण–अधिगम को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जा सकता है वहीं बच्चों में इन कौशलों को विकसित होने के सुअवसर प्रदान करके बच्चों की प्रतिभा और दक्षता को निखारा जा सकता है।अर्थात विद्यालय में बच्चों को क्राफ्ट सीखाना भी उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

क्राफ्ट के प्रकारः–

इस लेख के लिए मैंने क्राफ्ट या शिल्प के मुख्य सात प्रकारों का चयन किया है–

- **काष्ठ शिल्प**
- **चर्म शिल्प**
- **धातु शिल्प**
- **मूर्ति शिल्प**
- **मृत्ति का शिल्प**
- **वस्त्र कला**
- **कागज शिल्प**

उपर्युक्त प्रत्येक शिल्प को न कक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और न बच्चों को पूर्णतया सिखाया जा सकता है, परन्तु इनके मूल रूप को बच्चों तक बड़ी आसानी से पहुँचाया जा सकता है। जैसे– विद्यालय कागज–शिल्प को आसानी से कक्षा–कक्ष में किया और करवाया जा सकता है। गत्तों की सहायता से ढेर सारी उपयोगी वस्तुएँ बनाने को सिखाया जा सकता है। मिट्टी से मूर्ति बनाना या खिलौना बनाना सिखाया जा सकता है। वस्त्र कला के दौरान सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सिखाया जा सकता है।

क्राफ्ट TLM के रूप में– जैसा कि प्रयोजनवाद पद्धति में बात की गई है और महान शिक्षाविद जॉन डीवी ने भी कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सदैव करके सीखो पर तूल दिया जाना चाहिए। बच्चे जो कार्य स्वयं करते हैं या वे जिस चीज को महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में सीख पाना उनके लिए आसान हो जाता है। क्राफ्ट को जादू की वह छड़ी कह सकते हैं जिसकी सहायता से शिक्षक अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है। जैसे असली ट्रेन दिखा पाना मुश्किल है परन्तु अगर शिक्षक कार्डबोर्ड की सहायता से ट्रेन बना कर बच्चों को दिखाये या बच्चों की सहायता से ट्रेन बनाये तो बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। दूसरे उदाहरण के रूप में अगर मेज पर रखी जाने वाली सामग्री जैसे चॉक का डब्बा, डस्टर, कलम–दान इत्यादि बच्चे स्वयं (शिक्षक की उपयुक्त सहायता द्वारा) बनाएंगे तो कौशल विकास के साथ साथ उन्हें उन रंगों का, उन सामग्रियों का, उनकी अवस्था आदि का भी ज्ञान होगा।

क्राफ्ट छात्र के कौशल के रूप में– प्राथमिक कक्षाओं के बाद, जब बच्चों में कौशल विकास होने लगता है, उन्हें विभिन्न शिल्प कलाएँ सिखाई जा सकती हैं जो निःसन्देह ही उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगी। शिल्पकार वह कलाकार है जो वस्तुओं के निर्माण द्वारा समस्याओं का उपयुक्त एवं कल्पनाशील हल ढूंढ लेता है। तो निश्चित ही किसी विशेष कौशल में शिक्षा प्रदान करने से बच्चों को जीवनोपार्जन के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षक का कार्य बस कला सीखना नहीं अपितु कला का बोध कराना भी है। जब बच्चा शिक्षक को या उस क्षेत्र के किसी शिल्पकार (जैसा–कुम्हार) को कुछ निर्मित करते हुए देखता है तो उसमें भी एक जिज्ञासा, एक ललक उत्पन्न होती है कुछ बनाने की कोई सृजन करने की !

उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगी। शिल्पकार वह कलाकार है जो वस्तुओं के निर्माण द्वारा समस्याओं का उपयुक्त एवं कल्पनाशील हल ढूंढ लेता है। तो निश्चित ही किसी विशेष कौशल में शिक्षा प्रदान करने से बच्चों को जीवनोपार्जन के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षक का कार्य बस कला सीखना नहीं अपितु कला का बोध कराना भी है। जब बच्चा शिक्षक को या उस क्षेत्र के किसी शिल्पकार (जैसा–कुम्हार) को कुछ निर्मित करते हुए देखता है तो उसमें भी एक जिज्ञासा, एक ललक उत्पन्न होती है कुछ बनाने की कोई सृजन करने की !

क्राफ्ट की उपयोगिता

क्राफ्ट आधारित शिक्षण के अनेकों लाभ हैं, जैसे–

- प्रभावशाली शिक्षण–अधिगम
- रोचक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता
- करके सीखो से सम्बद्ध प्रणाली
- बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने का माध्यम
- प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम
- बच्चों का रचनात्मक विकास
- बच्चों में कला–बोध
- बच्चों की कल्पनाशक्ति का विकास
- समस्या का समाधान ढूंढने का कौशल विकास
- भिन्न दक्षताओं का विकास
- अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम
- एकाग्रचित्त होने में सहायक
- नीरसता (मोनोटोनी) को भंग करना
- सृजनशीलता का विकास

अंततः यह कहना कदाचित अन्यथा नहीं होगा कि–

क्राफ्ट से कुछ नया बनत है
जिससे मिलत सुकून।
साज–सज्जा, शिक्षण–अधि गम
क्राफ्ट बिना सब सून।

जिन छोटे–छोटे नादान बच्चों की शिक्षा का जिम्मा हमने उठाया है, उनको सिखा पाना जरा मुश्किल जरूर है पर बड़ा ही आनन्दायक है। जब एक बच्चा कोई भी ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके हाव–भाव, भाषा, खेल–कूद हर बात में वह ज्ञान परिलक्षित होता है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को खाली बर्तन समझ कर उनके भीतर मात्र पुस्तक का ज्ञान उड़ेलने के बजाय शिक्षा को सरल एवं रुचि कर बनाया जाय। जिसमें क्राफ्ट एक शिक्षक का सबसे बड़ा साथी सिद्ध होता है। जब शिक्षक पाठ सम्बन्धी क्राफ्ट–सामग्री का प्रयोग करते हैं या बच्चों के साथ मिलकर क्राफ्ट द्वारा कोई नई वस्तु बनाते हैं तो बच्चों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। पुराने डिब्बों से पेन–स्टैंड बनाने या शादी के कार्ड से साज सज्जा का सामान या फ्लैश कार्ड बनाते समय बच्चे एकाग्रचित्त भी होते हैं और उन्हें इस बात का मर्म भी होता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है, हर एक वस्तु को किसी न किसी रूप में पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।

जहाँ क्राफ्ट बच्चों में रोचकता, दक्षता, कल्पनाशीलता आदि का विकास करता है वहीं स्वतः ही बाल मन में जीवन मूल्य भी अपना स्थान बनाने लगते हैं।

कवि हिमांशु जी की पंक्तियां इसी भाव से ओत–प्रोत हैं–

"वो मनुष्य है जो जिन्दगी का भार ढोता है,
गर सीख लिया जीना तो कलाकार है वो।"

लोक साहित्य का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्त्व

डॉ0 रामसुधार सिंह,
पूर्व विभाग अध्यक्ष, यू.पी.कॉलेज
वाराणसी

लोक संस्कृति का दायरा बहुत व्यापक होता है। इसमें लोकजीवन के विश्वास, जीवनमूल्य और धार्मिक भावनाएँ समाहित होती हैं। लोक साहित्य इन्हीं भावनाओं से अनुप्रमाणित होता हुआ समृद्ध होता चलता है। अपने इतिहास का जो भी विवरण हमें प्राप्त होता है, वह राजसत्ता का इतिहास है। इसके द्वारा हम तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र नहीं देख सकते हैं। इस इतिहास का नियामक अभिजात्य वर्ग होता है और अपने मनोनुकूल इतिहास गढ़ता चलता है।

लोक संस्कृति का दायरा बहुत व्यापक होता है। इसमें लोकजीवन के विश्वास, जीवनमूल्य और धार्मिक भावनाएँ समाहित होती हैं। लोक साहित्य इन्हीं भावनाओं से अनुप्रमाणित होता हुआ समृद्ध होता चलता है।

लोक संस्कृति का दायरा बहुत व्यापक होता है। इसमें लोकजीवन के विश्वास, जीवनमूल्य और धार्मिक भावनाएँ समाहित होती हैं। लोक साहित्य इन्हीं भावनाओं से अनुप्रमाणित होता हुआ समृद्ध होता चलता है। अपने इतिहास का जो भी विवरण हमें प्राप्त होता है, वह राजसत्ता का इतिहास है। इसके द्वारा हम तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र नहीं देख सकते हैं। इस इतिहास का नियामक अभिजात्य वर्ग होता है और अपने मनोनुकूल इतिहास गढ़ता चलता है। सत्ता इतिहास तो जन समुदाय की वाणी होती है, जिसे लोक साहित्य में देखा जा सकता है। काशी पर वारेन हेस्टिंग्स के आक्रमण में अंग्रेजों ने दिखाया कि राजा चेतसिंह शिवाला घाट स्थित किले की खिड़की से कूदकर भाग गये थे, किन्तु महल के फाटक पर काशिराज की प्रतिष्ठा के लिए मर मिटने वाले नन्हकू सिंह, ब्रह्मनाल की गली में संगीनों से घिरे जीवन के अंतिम क्षण तक लाठी भांजते विश्वनाथ सिंह, बहादुर सिंह और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक कालेपानी की सजा भुगतने वाले दाताराम नागर का उल्लेख उस इतिहास में कहीं नहीं किया गया है। जन समुदाय की वाणी कहती है कि जनाक्रांत से भयभीत होकर वारेन हेस्टिंग्स को किस तरह भागना पड़ा–

'घोड़े पर हौदा हाथी पर जिन
भाग गया–भाग गया वारेन हेस्टिंग्स।'

लोकगीतों में सामन्तशाही, शोषण और अत्याचार के विसंगतियों पर गहरी चोट की गई है। अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारतीय सामन्तशाही चाटुकारिता में व्याप्त थी, उस समय किसानों की दुर्दशा का वर्णन इस बुन्देली लोकगीत में देखा जा सकता है–

पोता लाग कहा महराज, जुनरिया हो गई मन भर की।
मुन्सी आये, पटवारी आये,
आये तैसीलदार होने लगी कुरकी, जुनरिया हो गई मन भर की।
तांगा बिक गयो, लंगरा बिक गयो
बिक गई अंगिया तन की, जुनरिया हो गई मन भर की।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी जनजागरण के अग्रदूत थे, किन्तु उनकी रचनाओं में कहीं भी स्वतंत्रता आन्दोलन का विद्रोही स्वर नहीं सुनाई पड़ता है। भारतेन्दु ने 'हिन्दीमासा' नाम की एक पुस्तक लिखी जो खड्गविलास प्रेस, पटना से छपी थी। इसमें भारतेन्दु की कई रचनायें संकलित हैं। एक स्थल पर उन्होंने तत्कालीन कलक्टर राबर्ट साहब के बारे में लिखा है–''जैसन हमनी के जिला के कलेक्टर, राबरट साहेब के कदम देखाइल हा। ऐसन हाकिम देस हित केहू हमनी के होस में तऽ आजु ले ना आइल हा।'' उस समय भारतेन्दु मण्डल के लेखक भी इसी प्रकार की चाटुकारिता करते दिखाई देते हैं। वे विक्टोरिया रानी को अमी के कटोरिया–सी चिरंजीवी होने की कामना करते हैं, किन्तु लोक साहित्य में तो इस विषय में अलग ही स्वर है। मिर्जापुर की एक कजरी का उदाहरण पर्याप्त होगा–

कइसे खेलो कजरिया सखिया होइगा मिरजापुर बदनाम,
रापट साहब चापट कीहेन मंत्री साहेब बेकाम
कइसे खेलो कजरिया सखिया होइगा मीरजापुर बदनाम।

1857 के अप्रतिम योद्धा वीर कुँवर सिंह के विषय में इतिहास चाहे जो कहता हो जनसमुदाय के बीच तो वे सर्वमान्य राजा हैं (बाबू कुँवर सिंह तोहरे राज बिनु हम ना रंगइबो चुनरिया)। वीरांगना लक्ष्मीबाई को वीरतापूर्ण करतबों और शौर्य गाथाओं से लोकगीत पटे हुए हैं। बुन्देलखण्ड के हरबोलों का स्वर आमजन का स्वर है। इटावा के एक लोकगीत में कहा गया है–

खूब लड़ी मरदानी, अरे झाँसीवाली रानी।
सुरजन–सुरजन तोपे लगाइ दई
गोला चलाये आस्मानी
अरे झाँसी वाली रानी।।

स्वाधीनता संग्राम में भोजपुरी गीतों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। ग्रियर्सन ने इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा है कि हिन्दुस्तान में नवजागरण का श्रेय बंगालियों और भोजपुरियों को ही प्राप्त है। भोजपुरी लोकगीतों में

सीवान (बिहार) के बाबू रघुवीर नारायण सिंह की 'बटोहिया' शीर्षक गीत और मनोरंजन प्रसाद सिन्हा का 'फिरंगिया' शीर्षक गीत उस समय लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। टोली की टोली इन्हें गाते–झूमते आगे बढ़ती थी। इन दोनों गीतों से एक–एक उदाहरण देखे जा सकते हैं–

1. **सुन्दर सुभूमि भइया भारत के देसवा के**
मोरे प्रान बसे हिमखोह रे बटाहिया।
x x x x
जाहु–जाहु भैया रे बटोही हिन्द देखि आऊ,
जहवाँ कुहुकि कोइलरि बोले रे बटोहिया।।

2. **सुन्दर–सुन्दर भूमि भारत के रहे रामा,**
आजु इहै भइल मसान रे फिरंगिया।
अन्न धन जन बल बुद्धि सब नास भइल
कौनो के ना रहल निसान रे फिरंगिया।।

गाँधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की लड़ाई में भागीदार बन गया था। चारो ओर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी–

कि अरे लाला, देख लो, विदेसिया कपड़वा के होली लहर उठत आसमान कि अरे लाला, दस–पाँच गजवा के कवन बतकही जरि गइले थान के थान।

और इसी के साथ खादी के वस्त्रों की चाहत बढ़ती जा रही थी। इस पूरे आन्दोलन की धड़कन इन लोकगीतों में सुनाई देती है। गाँव की गोरी विदेशी छोड़ खादी की चुनरी की मांग अपने बलम से करती है–

हमके मँगाव बालम खद्दर के चुनरिया
बिदेसिया नाहीं लेइबे ये बलमू।

लोकगीतों का महत्त्व केवल संस्कार गीतों तक ही सीमित कर दिया जाता है, किन्तु यह स्त्री और दलित समाज की वेदना और विद्रोह के स्वर से भी अनुगूंजित हैं। समाज में कन्या का जन्म अभिशाप माना जाता रहा है। वह पिता के सिर पर एक बोझ मानी जाती है। आज विकास के दौर में लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी उनके प्रति आमजन के नजरिए में कोई फर्क नहीं आया है। कन्या भ्रूण हत्या इसका प्रमाण हैं। लोकगीतों में अनेक ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जहाँ पुत्र और पुत्री के बीच अन्तर माना जाता रहा है। एक उदाहरण प्रस्तुत है–

जिहिदिन हे अम्मा भइया के जनमवा
सोने की छुरी कटइलो नार हो।
जिहिदिन अहे अम्मा हमरो जनमवा
हसुवा खोजइते हे अम्मा खुरपी न भेटे
मिटकी कटइले मोरो नार हो।

जन्म से लेकर पूरे जीवन भर इस अभिशाप को वह चुपचाप सहती रहती हैं। दहेज समस्या, अनमेल विवाह, ससुराल की प्रताड़ना, बाँझ होने की प्रताड़ना जैसे अनेक दुःखों को सहना उसकी नियति बन गई है। इसलिए वह भोलेबाबा से लड़की का जन्म न देने की प्रार्थना करती हैं–

बेरि–बेरि बरजो दीनानाथ हे बाबा,
तिरिया जनम जनिदेहु,
तिरिया जनम जब देहु दीनानाथ बाबा
सूरति बहुत जनि देहु,
सूरति बहुत जब देहु दीनानाथ बाबा,
हे पुरुष अमरस जनि देहु,
पुरुष अमरस जब देहु दीनानाथ बाबा,
हे कोखिया बिहुन जनि देहू।
कोखिया बिहून जब देहु दीनानाथबाबा,
सउतनि सउत जनि देहु।।

लोकगीतों में अपनी माटी की सोंधी गंध हुआ करती है। परम्परा से प्रवाहित इन गीतों में लोकजीवन का विश्वास, आस्था एवं संघर्ष का स्वर विद्यमान रहता है।

इधर भोजपुरी को 'आठवीं' अनुसूची में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, किन्तु किसी बोली को साहित्यिक भाषा का स्वरूप ग्रहण करने की मूल शर्त यह होती है कि उसका एक मानक व्याकरण हो तथा उसके पास समृद्ध साहित्य की थाती हो। आवश्यकता है, भोजपुरी को एक मानक रूप प्रदान करने की, तभी भोजपुरी का मानक स्वरूप बन सकेगा।

लोक साहित्य का विस्तार अत्यन्त व्यापक है। साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, रोती है, हँसती है, खेलती है उन सबको लोक साहित्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

–डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय

बाल—मनोविज्ञान और प्रेमचंद का कहानी साहित्य

डॉ0 पार्वती गोसाई
असिस्टेण्ट प्रोफेसर हिन्दी विभाग
सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर

आधुनिक युग में बाल—विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिक की रूचि दिन—प्रति—दिन बढ़ती जा रही है। इस दिशा मे हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, उपयोगी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । बच्चों के मानसिक व शारीरिक दोनों पक्षों का अध्ययन करता है— बाल—मनोविज्ञान । वंशानुक्रम एवं परिवेश बाल मस्तिष्क पर गहन प्रभाव डालते हैं। बालक का विकास पराश्रितावस्था से प्रारंभ होता है। इससे हमे बच्चों के बढते हुए प्रत्यक्षीकरण, चरित्र, भाव, संवेग, बुद्धि, चिन्तन, सीखने प्रत्यक्ष, भाषा विकास, व्यक्तित्व, प्रतिक्रियाओं आदि का अध्ययन करते हैं ।

विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है । विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रुप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है । मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अन्तर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता थाए परन्तु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान के उस विकास को लेकर एक दीर्घ एवं प्राचीन परंपरा रही है। बाल देवता कहकर बच्चों को सम्मान देना इसी बात का द्योतक है आधुनिक युग में बाल विकास् के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिक की रूचि दिन—प्रति—दिन बढ़ती जा रही है। इस दिशा मे हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, उपयोगी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । बच्चों के मानसिक व शारीरिक दोनों पक्षों का अध्ययन करता है—बाल—मनोविज्ञान। वंशानुक्रम एवं परिवेश बाल मस्तिष्क पर गहन प्रभाव डालते हैं । बालक का विकास पराश्रितावस्था से प्रारंभ होता है। इससे हमे बच्चों के बढते हुए प्रत्यक्षीकरण चरित्र, भाव, संवेग, बुद्धि चिन्तन, सीखने, प्रत्यक्ष भाषा—विकास व्यक्तित्व प्रतिक्रियाओं आदि का अध्ययन करते हैं । बाल—मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा उस वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिसमें रहकर बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समुचित दिशा में विकसित हो और वह परस्पर सामाजिक सम्बन्ध को भलीभाँति समझ सकें।

भारतीय साहित्य बाल—मनोविज्ञान को संपूर्ण रुप से उद्घाटित करता है। हिन्दी का पद्य साहित्य तो इसकी श्रेष्ठ पूर्ति करता ही है, गद्य साहित्य भी उसमें पीछे नहीं है। प्रेमचंद के कहानी साहित्य के सन्दर्भ में यदि बाल मनोविज्ञान की बात करें तो वह उत्तम कक्षा का है । प्रेमचंद मानव मन के कुशल चितेरे हैं। उन्होंने मानव—मन के अन्तःविश्लेषण द्वारा पात्रों की चारित्रिक योजना का मूर्त रुप प्रदान किया है। उनकी रचनाओं में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्तों के आधार पर पात्रों का चारित्रिक विकास हुआ है। मनोविज्ञान पर गहरी पकड़ रखने वाले मुंशी प्रेमचंद बाल—मनोविज्ञान के भी सशक्त व्याख्याता रहे हैं। उनकी कहानियाँ एवं उपन्यासों में अनेक प्रसंग बाल मनोविज्ञान से सम्बद्ध हैं। बच्चों में छोटी अवस्था में जो साहसिक वृत्ति जिस स्वाभाविक रुप में विद्यमान रहती है। साहित्य को उसकी परिवृत्ति करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से प्रेमचंद की अनेक बाल रचनाएँ सफल कहीं जा सकती हैं। यद्यपि प्रेमचंद ने इस क्षेत्र में अलग से बहुत कम साहित्य लिखा है। इस दृष्टि से उनकी सबसे प्रतिनिधि रचनाएँ 'कुत्ते की कहानी, 'मोटेराम शास्त्री' तथा 'बेटों वाली विधवा' आदि हैं।

'कुत्ते की कहानी' शीर्षक बालोपयोगी रचना की भूमिका में उन्होंने बालकों को सम्बोधित करते हुए लिखा है "तुम सभी देखोगे कि यह कुत्ता बाहर से कुत्ता होकर भी भीतर से तुम्हारे जैसा बालक है। जिसमें वही प्रेम और सेवाएँ सच्चाई और साहस है। जो तुम्हें इतना प्रिय है।" यह कहानी बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से एक सफल रचना हैं और बच्चों के स्वाभाविक गुणों और साहसिक इच्छाओं की परिवृद्धि के विचार से भी यह एक उपयोगी रचना है । इस कहानी में मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त सामग्री है ।

मुंशी प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञानवादी विचारदर्शन की प्रस्तुति के समय धार्मिक आडम्बर किसानों और मजदूरों की सहनशीलता शोषण तथा साहसिकता आदि का भी तात्विक समावेश किया है । "मोटेराम शास्त्री" कहानी में ब्राह्मण वर्ग की तृष्णावृत्ति और धार्मिक आडम्बर पर व्यंग्य किया है, वह भी बच्चों को जागृत करता है। प्रेमचंद का बाल साहित्य अपने समय में प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, ईदगाह, दो भाई इत्यादि कहानियाँ बाल मनोविज्ञान की अच्छी मीमांसा प्रस्तुत करती है। इन कहानियों में बालको की मूल प्रवृत्तियाँ, बाल्यावस्था की रुचियों, बाल समस्याएँ, बाल अपराध आदि का गहन विवेचन हुआ है। कथानक, पात्र, सृष्टि संवाद योजना, देशकाल, भाषा—शैली, उद्देश्य और शीर्षक में बालमनोविज्ञान का प्रभाव हैं। उनकी कई सारी कहानियों की मीमांसा बाल मनोविज्ञान के आधार पर की जा रही है । उनका स्वयं का जीवन—शैशव

था, संघर्षों से गुजरते हुए अदम्य साहस व सहनशक्ति भी प्राप्त कर ली थी इसीलिए वे महज एक साहित्यकार न रहकर मानवमन के चितेरे बन पाये।

बालकों की मूल प्रवृत्तियों का अंकन करके उन्होंने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वे बाल मनोविज्ञान के कुशल व्याख्याता हैं । "बूढ़ी काकी" कहानी में प्रेमचंद ने बुद्धिराम की छोटी लडकी लाडली की प्रेम प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता के साथ उजागर किया है। बच्चे बडे भावुक और सच्चे होते है इसका वर्णन प्रेमचंद ने इस कहानी में जब काकी का अपमान होता है तब लाड़ली की सोच से उसकी जिज्ञासाए सच्चाई और संवेदनशीलता को बताते हुए लिखा है. वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत.सी पूडियाँ नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जायेगा। और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया जो क्या बिगड़ जायेगा। लाडली रात में सब के सो जाने के बाद पूडियों की पिटारी लेकर बूढ़ी काकी को खिलाने आ जाती है और अपने अनुरागभरा व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है । 'दो बैलों की कथा' में बच्चों का पशु प्रेम स्पष्ट हुआ है। बच्चों के आपसी संवाद में इसे देखा जा सकता हैं। एक बालक ने कहा 'ऐसे बैल किसी के पास न होंगे' दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आये। तीसरा बोला–बैल नहीं हैं वे उस जनम के आदमी हैं।

करुणा और दुःख भी बालकों का गुण है। "अलग्योझा" कहानी में मुलिया अपने पति की मृत्यु के बाद क्रिया–कर्म से छुट्टी पाकर अब अपने दोनों बालकों को गोद में उठाकर अनाज मांडने जाती है तो खलिहान में पहुँचकर उसे नीचे बिठा देती है, तब छोटा बच्चा रोने लगता है तो बडा उसे अपनी तुतली बोली में चुमकाकर कहता है. बैया, तुप रहो, तुप रहो । धीरे–धीरे मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था । जब वह किसी तरह चुप न हुआ तो खुद उसको छाती से लगाकर सो गया, फिर भी चुप न हुआ तो वह खुद भी रोने लगा।

'बैर का अंत' कहानी में बालकों की मूल प्रवृत्ति भूख का दिग्दर्शन हुआ है। प्रेमचंद बच्चों की भूख की प्रवृत्ति पर लिखते हैं– वे जाकर मां से मांगते। फिर मां से मांगना छोड़ दिया खाने वालों के ही सामने जाकर खड़े हो जाते हैं।

'तथ्य' कहानी में प्रेमचंद ने अमृत के माध्यम से बाल.मन में उमड़ने–घुमडने वाली काम प्रवृत्ति को उकेरा है । पूर्णिमा के ब्याह की बात सुनकर अमृत सोचता है कि पूर्णिमा चली जाएगी। फिर वह कैसे रहेगा वह विचलित–सा होने लगा। वह जिन्दा ही क्यों रहे, जिन्दगी में रखा ही क्या है?

मुंशी प्रेमचंद को बाल मनोविज्ञान की गहरी परख थी। वह कहते हैं बालकों का हृदय कितना कोमल होता है। इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता । उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन–कौन सी बातें उन्हें विकल कर रही हैं, कौन–सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है? क्यों बार–बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता?

बाल–मन में क्रोध, घृणा और आश्चर्य जैसे संवेगों से स्पष्ट होती है। 'पिसनहारी का कुंआ' कहानी में बालकों की विधायकता को अत्यंत मनोरम रुप में उकेरा हैं । प्रेमलीला कहानी में प्रेमचंद ने भी बालकों की शक्ति साहस की बात की है। 'दूध का दाम' कहानी में प्रेमचंद ने बच्चों की अधिकार भावना मूल प्रवृत्ति का प्रसंग प्रस्तुत किया है। अनेकों कहानियाँ बच्चों के संवादों प्रश्नों से बडों को भी सोचने पर मजबूर करें ऐसी है। ईदगाह तो प्रेमचंद की बाल चेतना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

संक्षेप में प्रेमचंद ने अपने कहानी साहित्य में बाल मनोविज्ञान की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों का वर्णन अत्यंत सहज व सरलता से किया है । युयुत्सा, निवृत्ति, कौतूहल, दैन्य भूख काम, स्नेह, भय, आत्म–गौरव, प्रभुता, आनंद आदि बालसहज वृत्तियों को भी प्रत्येक कहानी में देखा जा सकता है। उनके बालपात्र अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडे हुए हैं। उनकी कहानियों के बालक आज के बालकों की दुनिया से अलग.नैसर्गिक है। उनके विभिन्न खेल, समझ, मांग, चतुराई आदि को आज के बालकों के सामने रखा जाए तो उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी। बाल साहित्य के क्षेत्र में जब हमारे यहाँ बहुत कम या पारंपरिक घिसा–पीटा ही लिखा जा रहा था तब प्रेमचंद ने एक नया रास्ता खोला । उनकी बाल कहानियाँ आज भी प्रत्येक बच्चे शिक्षक अभिभावक के लिए प्रेरक बन सकती है। प्रेमचंद की बाल कहानियां पढ़कर बड़े बच्चों के मन को भलीभाँति जान सकते हैं ।

संदर्भ–सूची

(1) किशोर साहित्य माला भाग.1 प्रेमचंद पृ.36

(2) वहीं पृ.09 (3) वहीं भाग.4 पृ.34

(4) वहीं भाग.4 पृ.93.94

(5) वहीं भाग.6 पृ.65.66

(6) किशोर साहित्य माला भाग.6 प्रेमचंद पृ.20

संस्कृत साहित्य में विश्व–बन्धुत्व की परिकल्पना

संस्कृत साहित्य मानव मात्र के लिए कल्याण की भावना अग्रसर करता है। समाज की भावना को दर्पणवत् प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य कितना भी आदर्शवादी हो, यथार्थ का चित्रण किए बिना नहीं रह सकता। संस्कृत के कवि जन उदारता का आश्रय लेकर उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम का भेदभाव मिटाकर विश्व–बंधुत्व की परिकल्पना किये।

डॉ0 रंजना श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर, यू.पी.कॉलेज,
वाराणसी

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत।।

विश्व में सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई प्राणी दुःख का भागी ना हो– ऐसे उदात्त विश्व–बन्धुत्व भावना की सुंदर अभिव्यक्ति परिकल्पना संस्कृत साहित्य की विशेषता है।

संस्कृत साहित्य की मूल चेतना भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में देखने की है। संस्कृत साहित्य मानव मात्र के लिए कल्याण की भावना अग्रसर करता है। साहित्य संस्कृत का अग्रदूत होता है। समाज की भावना को दर्पणवत् प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य कितना भी आदर्शवादी हो, यथार्थ का चित्रण किए बिना नहीं रह सकता। उसकी व्याप्ति राष्ट्र की परिधि के द्वारा नियंत्रित होती है। वह उस देश के प्राणियों में परिव्याप्त भावना को सर्वथा उल्लंघन करने की क्षमता नहीं रखता ।पश्चिम के देश संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना से जकड़े हुए हैं, फलतः उनके साहित्य में उस संकीर्णता का ही परिचय प्राप्त होता है। इसके विपरीत संस्कृत के कवि जन उदारता का आश्रय लेकर उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम का भेदभाव मिटाकर विश्व–बंधुत्व की परिकल्पना किये।

कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अर्थात् समस्त जगत को हम आर्य बनाएं। **वसुधैव कुटुंबकम्** –संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है, इत्यादि सुंदर उक्तियों में मानव–मात्र के प्रति आत्मीयता के भाव व्यक्त किए गए हैं।

अतः संस्कृति व्यक्ति की विकास के साथ–साथ आंतरिक विकास की भी बोधक होती है। भारतीय संस्कृति का आधार संस्कृत साहित्य है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं, बल्कि संस्कारित भाषा है, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र ही नहीं, अपितु और मानव मात्र के संपूर्ण विकास की कुंजी भी है। भाषा संस्कृत की वाहिका होती है। भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों जैसे ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक, प्राकृतिक, राजनीति तथा कला, ज्ञान–विज्ञान आदि का सूक्ष्म तथा वास्तविक ज्ञान संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हो सकता है ।संस्कृत भाषा का साहित्य विश्व का सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्य है। यह न केवल भारत को एक सूत्र में पिरोता है। अपितु संपूर्ण विश्व को मानवता की शिक्षा देता है। संस्कृत अध्ययन से हम अपने देश की प्राचीन संस्कृति को समझ सकते हैं। पूर्वजों ने संस्कृत वाङ्गमय के रूप में हमें ऐसी बहुमूल्य संपत्ति प्रदान की है। जिसका लाभ अनंत काल तक मिलता रहेगा। वैदिक वाङ्मय, काव्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा अन्य क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय ज्ञान–विज्ञान को समझने एवं संस्कृत भाषा की अभिव्यक्ति के सौंदर्य से अवगत होने के लिए संस्कृत अध्ययन आवश्यक है। संस्कृत विश्व बंधुत्व की भावना से सर्वथा परिव्याप्त है।

वैदिक प्रार्थना में समष्टि भावना का पूर्ण साम्राज्य विराजमान है। वैदिक ऋषि व्यष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना नहीं करता, प्रत्युत वह समग्र समष्टि के मंगल के लिए आशीर्वाद चाहता है।वह व्यक्ति तथा समाज से ऊपर उठकर समस्त विश्व की सुख–समृद्धि की प्रार्थना करता है। मंत्रों का प्रमाण्य इस विषय में अक्षुण्ण है, (यजुर्वेद ३०/३)

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

(हे देव सविता समस्त पाप कर्मों को हमसे दूर करो हमारे लिए जो भद्र वस्तु कल्याणकारी पदार्थ है उसे हमें प्राप्त कराइए।) विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की उदात्त भावना से ओतप्रोत वैदिक मंत्रों में मानव मात्र में परस्पर सौहार्द मैत्री तथा सहायक की भावना की उपलब्धि नितांत स्वभाविक है। (यजु०३६/१८)

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।

(मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूं। हम सब लोग मित्र की दृष्टि से परस्पर में एक दूसरे को देखें।)

वैदिक ऋषि भगवान से प्रार्थना करता है कि वह मानव मात्र के लिए सुमति. सद्भावना धारण करें। प्राणियों के प्रति ही नहीं जिन्हें वह देखता है। प्रत्युत उनके लिए भी जो उसकी दृष्टि से ओझल हैं। जिन्हें वह नहीं देखता .. (अथर्ववेद १७/१/७)

यांश्च पश्यामि यांश्च न।
तेषु मा सुमति कृधि।।

कितनी उदात्त भावना दृष्टिगोचर होती है यह सामान्यत: हम उन्हीं के कल्याण की कामना करते हैं। जिन्हें हम देखते हैं अपनी आंखों से। परंतु वैदिक ऋषि यही तक अपनी प्रार्थना को सीमित नहीं रखता प्रत्युत विश्व की अदृष्ट प्राणियों के प्रति वह भावना निवेदन करता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में विशिष्ट सूक्त है। इनमें विशिष्ट रूप से विश्व कल्याण की भावना व्याप्त है...

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सं जनाना उपासते।।

इस मंत्र का तात्पर्य बड़ा गूढ़ है कि हे मनुष्य जैसे सनातन से विद्यमान दिव्य शक्तियों से संपन्न सूर्य चंद्र आदि परस्पर प्रेम भाव से अपने.अपने दायित्वों कार्यों को करते हैं, ऐसे ही तुम भी समष्टि भावना से प्रेरित होकर एक साथ मिलकर कार्यों में प्रवृत्त हो, परस्पर सद्भाव से रहो, एकमत से रहो। ऋषि केवल अपने वैयक्तिक मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करताए प्रत्युत वह मानव मात्र के हित का प्रार्थी है । ऋग्वेद का निम्न मंत्र इसी भावना को द्योतित करता है..

समानी व आकूतिरू, समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनोए यथा वः सुसहासति।।

मानव को लक्ष्य कर ऋषि का उपदेश इस मंत्र में निहित है। वह कहते हैं कि मानवों की आकूतिरू चित्तवृत्ति हृदय तथा मन सब समान हो। तभी विश्व के प्राणी परस्पर में सौहार्द से निवास कर सकते हैं।

संस्कृत साहित्य में निर्दिष्ट मानव जीवन विश्व–बंधुत्व का व्यवहारिक पक्ष भी प्रस्तुत करता है। यह विश्व की समस्त देवताओं के लिए ही अन्न द्वारा तृप्ति की साधिका नहीं है। प्रत्युत पशु–पक्षी आदि तिर्यग्योनि के जीवो को भी भोजनार्थ अन्न देने का विधान यहां पाया जाता है ।इसी प्रकार श्राद्ध के अवसर पर ऋषियों मानवों तथा पूर्वजों की ही जल द्वारा तृप्ति नहीं की जाती। प्रत्युत नाग, सर्प आदि क्षुद्र जीवों को भी जलांजलि देकर तृप्ति करने का सार्वभौम नियम है। इससे मानव अपने को संसार के समस्त प्राणियों के साथ संपर्क स्थापित कर विश्व–बंधुत्व की साकार उपासना करता है। इस विश्व–बंधुत्व की भावना का दार्शनिक पक्ष भी है। विश्व के समस्त जीव उसी परम पिता की संतान हैं। ऐसी दशा में उनमें पारस्परिक बंधुत्व की भावना प्रस्फुटित होगी। यह अद्वैत सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। फलतः इस संस्कृति के परिवहन करने वाले संस्कृत साहित्य में इस भावना का सांगोपांग रूप उपलब्ध होता है।

हमारे संस्कृत के काव्यों में तथा रूपको में यह भावना बड़ी स्फुटता से अभिव्यक्त है। संस्कृत में विश्व–बंधुत्व, लोक कल्याण, समाजवाद, समरसता व परोपकार की भावना सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। इसी भावना को लेकर सभी कवियों वाल्मिकी, व्यास, कालिदास, भारवि, भवभूति आदि ने अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया था।

अतः मानव मात्र का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वह एक दूसरे की सर्वथा रक्षा तथा सहायता करें। केवल अपने ही स्वार्थ में उसे निर्विष्ट नहीं रहना चाहिए। इस भावना को **द्योतित करता हुआ ऋग्वेदिय मंत्र दृ**

पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः।

यह अपना है और यह पराया है. ऐसी गणना क्षुद्र चित्त वाले प्राणियों की है। उदारचरित वाले जनों की दृष्टि में तो यह समस्त वसुधा ही एक कुटुंब है।

अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्।।

विश्वभावना की अभिव्यक्ति इससे बढ़कर सुंदर शब्दों में नहीं की जा सकती है। इस श्लोक के अंतर्गत एक गहरी अनुभूति है, विश्व बंधुत्व की भावना है। यही उदात्त विश्व बन्धुत्व की भावना व्यवहार के विचार की अभिव्यक्ति संस्कृत साहित्य की परिकल्पना की विशिष्टता है।

संदर्भ ग्रंथ–

1. यजुर्वेद.30/3
2. यजुर्वेद.36/18
3. अथर्ववेद.17/1/7
4. ऋग्वेद.10/191/2
5. ऋग्वेद.10/191/4
6. ऋग्वेद.6 /75 /14

काव्य की परिभाषा एवं स्वरूप निर्धारण

काव्य हमारे हृदय को आह्लादित करने के साथ ही हमारी संवेदनाओं को झकझोरता भी है। काव्य के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना हमें लोकोत्तर जगत से जोड़ती है, 'परिजन हिताय' से अलंकृत करती है और सम्पूर्ण सृष्टि को अपना बनाने की दिशा में कार्य करती है। इसी संवेदना के जाग्रत होने पर रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। काव्य मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है और यही उसकी उपयोगिता है।

डॉ0 शीला सिंह ,(प्र.अ.)
राजकीय हाई स्कूल बढ़ैनीकला आराजीलाइन, वाराणसी

संवेदनशील मानव जब अपने गहनतम अनुभूतियों सुख–दुख, प्रेम, दया, क्रोध एवं आशा–निराशा तथा प्रकृति के विविध आकर्षक रूपों एवं सामाजिक गतिविधियों को भाषिक अभिव्यक्ति देता है, तो उसे साहित्य सृजन कहते हैं। इसमें 'काव्य' साहित्य का विशिष्ट अंग है, जो बहुत सरलता एवं सहजता से अपने सम्पर्क में आए हुए को अपने रस में सराबोर कर लेता है।

मम्मट से पूर्ववर्ती आचार्यों की एक ऐसी विस्तृत परम्परा रही है, जिसने काव्य के स्वरूप पर न्यूनाधिक रूप से अपनी–अपनी दृष्टि के अनुसार विचार करते हुए साहित्य जगत को उपकृत किया है। ऐसे आचार्यों में साहित्यशास्त्र के भीष्म पितामह 'भामह' का काव्य लक्षण सर्वाधिक प्राचीन है। उन्होंने **शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद् द्विधा।' (1.16)** यह काव्य का लक्षण किया है। यह लक्षण जितना ही प्राचीन है, उतना ही संक्षिप्त है। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य माना है। वे सहभाव या 'सहितौ' शब्द का क्या अर्थ लेते हैं, इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की है, किन्तु उनका अभिप्राय यह है कि जिस रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वे शब्द और अर्थ ही 'सहितौ' पद से अभिप्रेत हैं। वही शब्द और अर्थ का 'साहित्य' है।

भामह के बाद 'काव्यदर्श' के रचनाकार 'दण्डी' का क्रम आता है। वे भामह के काव्यलक्षण में रह गई न्यूनता को पूर्ण करते हुए या उसकी व्याख्या करते हुए अपने काव्य लक्षण में लिखते हैं– **'शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।'** इष्ट अर्थात् मनोरम हृदयाह्लादत अर्थ से युक्त पदावली (शब्द समूह), इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य का शरीर हैं। भामह और दण्डी दोनों ने काव्य के शरीर और अलंकारों पर विचार किया है, किन्तु उसकी आत्मा को छोड़ दिया है। दण्डी के बाद 'वामन' आते हैं, जो उक्त काव्य शरीर में प्राण–प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने काव्य के शरीर की चिन्ता छोड़कर उसकी आत्मा का अनुसंधान करने पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की है। 'रीतिरात्मा काव्यस्य' उनका प्रसिद्ध सूत्र है अर्थात् वे 'रीति' को काव्य की आत्मा मानते हैं और काव्य में सौन्दर्याधायक अलंकारों को काव्य की ग्राह्यता एवं उपादेयता का प्रयोजक मानते हैं।

वामन के बाद आने वाले अगले विचारक आनन्दवर्धन के सामने काव्य की आत्मा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न था। उन्होंने रीतियों को केवल 'संघटना' के रूप में स्वीकार किया है और काव्य की आत्मा 'ध्वनि' को माना है। अपनी एतद्विषयक मान्यता के लिए वे प्राक्तन आचार्यों की विचार–सरणि को भी प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। 'ध्वनि' के बिना सुन्दर शब्द और अर्थ भी निर्जीव देह के समान कान्तिहीन हो जाते हैं।

काव्य के शरीर, अलंकार, आत्मा आदि की कल्पना के मूल में 'काव्यपुरुष' की अवधारणा थी, जिसे आगे चलकर राजशेखर ने सर्वप्रथम स्पष्ट और मूर्तरूप प्रदान किया। उन्होंने काव्यपुरुष का सांगोपांग विस्तृत निरूपण किया है। ध्वनिकार 'आनन्दवद्र्धन' ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। राजशेखर ने उस आत्मतत्व विषयक चिन्तन को और अधिक सूक्ष्मता प्रदान करते हुए वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को छोड़कर केवल रस को काव्य की आत्मा माना। वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक का काव्य लक्षण पूर्वोक्त सभी आचार्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और स्पष्ट है। वे कहते हैं–

''शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि।
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि।।''

इस लक्षण में पूर्व निर्दिष्ट समस्त काव्य लक्षणों का अन्तर्भाव हो जाता है। 'सहितौ' का अभिप्राय उन्होंने पर्याप्त रुचि दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि काव्य सौन्दर्य के लिए शब्द और अर्थ की 'न्यूनता या अधिकता से रहित' मनोहर स्थिति होनी ही चाहिए। इसी प्रकार परवर्ती आचार्यों में क्षेमेन्द्र ने 'औचित्य' को काव्य का 'जीवित' माना है और साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ 'रसात्मक वाक्य' को काव्य मानते हैं।

काव्यप्रकाशकार मम्मट का काव्य लक्षण 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक परिपुष्ट है। कुन्तक ने जिस बात को कहने के लिए एकाधिक कारिकाओं का उपयोग किया है, मम्मट आधी कारिका में ही उतनी बात कह ले गये हैं। उसके साथ ही 'अदोषौ' और 'सगुणौ' पद जोड़कर उन्होंने काव्य लक्षण को नई दिशा दी है, जिसका प्राचीन लक्षणों में इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं था। पूर्वाचार्यों ने काव्य के शरीर 'शब्दार्थ' उसकी आत्मा 'रीति', 'रस' या 'ध्वनि' और अलंकारों की चर्चा तो की थी, किन्तु गुण–दोषों पर किसी का ध्यान नहीं गया था। कितना ही सुन्दर काव्य हो, परन्तु यदि उसमें एक भी ठीक–ठाक दोष आ जाता है या रह जाता है तो वह उसके गौरव को कम कर देता है। वैसे तो महाकवि कालिदास ने चन्द्रमा के सौन्दर्य के भीतर उसके कलंक के छुप जाने की बात कही है, तथापि देखने वाले की दृष्टि सबसे पहले उसपर ही जाती है। इसलिए मम्मट ने गुण और अलंकारों की चर्चा करने से पहले दोष की चर्चा की है। शरीर के संस्कार के क्रम में भी दोषापनयन सबसे पहले आता है, उसके बाद गुणाधान और अलंकार (यदि संभव हो तो) की स्थिति बनती है। इस प्रकार मम्मट ने काव्य के शरीरभूत शब्दार्थ के 'अदोषौ' और 'सगुणौ' इन दोनों विशेषणों द्वारा इनकी अपरिहार्यता का प्रतिपादन करते हुए 'अनलंकृती पुनः क्वापि' लिखकर अलंकार की गौणता की ओर संकेत किया है।

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य पर आधारित विचारों पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि प्राचीन ग्रीक साहित्यालोचकों में होमर ने काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना बताया था। इसके उपरान्त हैसियड ने काव्य का उद्देश्य या तो शिक्षा प्रदान करना बताया या किसी मार्मिक संदेश के द्वारा जनकल्याण करना। पिंडर ने काव्य के निर्माण में प्रेरणा को आवश्यक बताया है, क्योंकि इसके अभाव में काव्य निष्प्राण हो सकता है। अरिस्ता फेनीज काव्य में काल्पनिकता के समावेश का समर्थक था, क्योंकि उसके विचार से कवियों की कल्पनाशीलता काव्य के परिवेश को संकुचित कर देती है। प्लेटो ने बताया है कि उच्चकोटि का काव्य ही समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और केवल उसी के ज्ञान का प्रचार हो सकता है।

हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत के अनुकरण पर ही काव्यरचना का विकास किया। आचार्य केशवदास ने कवियों के प्रकार, कविरीति, काव्यदोश, रसदोष, अलंकार आदि का विवेचन इसी आधार पर किया है। चिंतामणि ने काव्य की परिभाषा करते हुए बताया है कि गुण और अलंकार से युक्त तथा दोषरहित शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। कुलपति ने काव्य का प्रयोजन यशप्राप्ति, संपत्तिप्राप्ति, आनन्दप्राप्ति, दूरितनाश, चातुरी तथा जगत को वश में करना आदि बताया है। श्रीपति ने दोषरहित तथा गुण, अलंकार एवं उद्देश्य से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहा है।

आधुनिक हिन्दी विद्वानों ने काव्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है–

– अन्तःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। (महावीर प्रसाद द्विवेदी)

– पद्य (कविता) आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। (जयशंकर प्रसाद)

– कविता, कवि विशेष की भाषाओं का चित्रण है। (महादेवी वर्मा)

– सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने काव्य में अनुभूति की व्यापकता पर बल दिया है।

– डॉ0 नगेन्द्र ने काव्य स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य, छंद, वर्ण, संगीत तथा लय संगीत नामक तत्वों के योग से ही काव्य की सृष्टि होती है।

– जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्दविधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल)

काव्य हमारे हृदय को आह्लादित करने के साथ ही हमारी संवेदनाओं को झकझोरता भी है। काव्य के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना हमें लोकोत्तर जगत से जोड़ती है, 'परिजन हिताय' से अलंकृत करती है और सम्पूर्ण सृष्टि को अपना बनाने की दिशा में कार्य करती है। इसी संवेदना के जाग्रत होने पर रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। काव्य मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का एक साधन है और यही उसकी उपयोगिता है।

काव्य में भावों एवं कल्पना की प्रधानता रहती है। इसमें कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति समाहित रहती है, जिसमें सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् को मूर्तरूप दिया जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो तथा पाठक को प्रभावित करने में सक्षम हो। शब्दों के सुव्यवस्थित प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए कवि को गागर में सागर भरने की कला में दक्ष होना चाहिए।

काव्य द्वारा हमारी सौन्दर्यानुभूति का विकास होता है। साथ ही हमारे संवेगों का परिमार्जन होता है। साहित्य की सभी विधाओं में काव्य ही सबसे अधिक सम्प्रेष्य एवं प्रभावात्मक होता है। काव्य के भीतर छिपे हुए अर्थ, भाव, विचार शब्द के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को एवं शिल्प सौन्दर्य को उद्घाटित करना काव्य–शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य के सृजन, शिक्षण एवं भाव ग्रहण के लिए काव्य की सूक्ष्मताओं को जानना और समझना आवश्यक है। अतः एक शिक्षक के लिए काव्य की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताओं से परिचित होना अपरिहार्य है, तभी वह सही मायने में छात्रों तक काव्य के मूल उद्देश्यों को पहुँचाने में सक्षम होगा।

'मन्दबुद्धियों की भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती।' इस न्याय के अनुसार ग्रन्थों के प्रारम्भ में प्रयोजनकथन की रीति प्रचलित है। अतएव काव्यलक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य प्रयोजन का प्रतिपादन करने की परम्परा है। परवर्ती आचार्यों में पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अपने रसगंगाधर में काव्य प्रयोजनों का संक्षिप्त निरूपण किया है, किन्तु उनकी अपेक्षा मम्मट और विश्वनाथ ने अपने काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण में इस विषय में पर्याप्त विवेचन किया है। आगे बढ़ने से पहले इस पर भी ध्यान दे लेता है कि इन ग्रन्थों में जो भी काव्य प्रयोजन दिखाये गये हैं, वे दो प्रकार के हैं। उनमें से कुछ तो काव्य–रचना के हैं और कुछ काव्याध्ययन के।

यश, अर्थ, व्यवहारज्ञान, अनर्थ–निवृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश–ये छः प्रयोजन मम्मट द्वारा उल्लिखित है। इनमें से यश, अर्थ प्राप्ति और अनर्थनिवृत्ति ये तीन काव्य–निर्माण के प्रयोजन हैः व्यवहारज्ञान और उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन हैं और अन्तिम प्रयोजन 'परम सुख' दोनों का हो सकता है। अन्य पाठकों के समान काव्य निर्माता स्वयं भी अपने काव्य के पाठक होते हैं, अतः वे दोनों दृष्टियों से सुखानुभव योग्य होते हैं।

विश्वनाथ ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थचतुष्टय की सुखपूर्वक प्राप्ति को काव्य प्रयोजन कहा है और काव्य से इन प्रयोजनों की प्राप्ति कैसे होगी, इस प्रसंग में बहुत सी युक्तियाँ भी बताई हैं, जिनके द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास रहा है कि ये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों के लिए एक जैसे ही हैं। जगन्नाथ ने इस संबंध में केवल एक पंक्ति लिखते हुए यश, परम आनन्द और गुरु, राजा, देवता आदि की प्रसन्नता को काव्य प्रयोजनों के रूप में स्वीकार किया है। ये सभी प्रयोजन काव्य निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। यह बात दूसरी है कि इन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए लोगों की प्रवृत्ति काव्य–निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के लिए उसका अध्ययन आवश्यक होगा।

परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद–मूलक आनन्दातिशय ही है। यद्यपि लोग कीर्ति आदि के लिए भी काव्य निर्माण करते ही हैं और जीविका आदि के लिए भी काव्य पढ़ते ही हैं, तथापि ये सब काव्य के मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि कीर्ति आदि के लिए अनेक रास्ते हैं और जीविका आदि के लिए विविध उपाय किये जा सकते हैं। इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य बनाकर काव्य को लिखना–पढ़ना सर्वथा सफल नहीं कहा जा सकता।

काव्य–हेतु (कारण) के विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो प्रकार के मत दृष्टिगोचर होते हैं। रूद्रट, वामन और पण्डितराज जगन्नाथ आदि केवल प्रतिभा को कारण मानते हैं, वहीं दण्डी, वाग्भट, पीयूषवर्ष जयदेव आदि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य का कारण बताते हैं। काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में उपर्युक्त सभी से कुछ भिन्न दृष्टि रखते हैं। दण्डी वैसे तो उत्कृष्ट काव्य की रचना के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को अनिवार्य मानते हैं, किन्तु प्रतिभा के अभाव में केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल पर साधारण काव्य की रचना सम्भव है, इस पर भी अपनी सहमति देते हैं।

रूद्रट केवल शक्ति (प्रतिभा) को कारण मानते हुए उसके दो भेद करते हैं–1. सहज अर्थात् स्वभाव सिद्ध/ईश्वरप्रदत्त /अदृष्टजन्य और 2. उत्पाद्य अर्थात् जो बाद में उत्पन्न की जाए व्युत्पत्ति आदि के माध्यम से। इसके बाद वामन केवल प्रतिभा पर ही रूके रहे, किन्तु मम्मट ने दण्डी का अनुवर्तन करते हुए कारणत्रयवाद को अपनाया। मम्मट का वैशिष्टय इस अर्थ में है कि उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी पर्याप्त महत्व दिया है। मम्मट और जयदेव ने भी मम्मट की ही बात का शब्दान्तर से समर्थन किया है। जगन्नाथ का कथन है कि 'काव्य का कारण केवल प्रतिभा है और प्रतिभा के दो कारण हैं–कहीं देवता/महापुरुष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति–अभ्यास।'

अब प्रतिभा के स्वरूप पर विचार कर लिया जाना अनपेक्षित नहीं होगा। दण्डी प्रतिभा का अर्थ प्रकार–विशेष की बुद्धि के रूप में करते हैं। रूद्रट भी इसी पक्ष में हैं। वामन और मम्मट प्रतिभा को संस्कार–विशेष के रूप में देखते हैं। जगन्नाथ अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि 'जिनसे काव्य बन सके ऐसे शब्दार्थों की उपस्थिति प्रतिभा है।' यह परिभाषा प्रतिभा विषयक उस मान्यता के भी अनुकूल है कि 'उस बुद्धिविशेष को प्रतिभा कहा गया है जिसके द्वारा नई–नई सूझ पैदा हो।' –

बुद्धिर्नरनरोन्मेशालिनी प्रतिभा मता।

राजशेखर काव्यमीमांसा में लिखते हैं–काव्यकर्म में कवि की 'समाधि' सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह भयामदेव का मत है। समाधि मन की एकाग्रता को कहते हैं। समाधिस्थ चित्त अर्थों को देखता है। 'अभ्यास' काव्यकर्म में सबसे बड़ा सहायक है, यह मंगल का मत है। लगातार काव्य–निर्माण–प्रयास को अभ्यास कहते हैं।

कवि और शब्द की विचित्र महिमा है। शब्द कवि को अमर बना देते हैं और कवि शब्द को भाग्यवान।

–रामनरेश त्रिपाठी

हिन्दी की भाषाएँ एवं बोलियाँ

श्रीमती गायत्री
शोध प्रवक्ता,
राज्य हिन्दी संस्थान,उ0प्र0,
वाराणसी।

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा वर्ग में भाषा के दो रूप मिलते हैं—वैदिक संस्कृत तथा संस्कृत या लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में चारो वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का दूसरा रूप संस्कृत है। इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। भाषा नदी की तरह प्रवाहमान होती है। भाषा की गतिशीलता को यदि बलपूर्वक रोकना चाहें तो भाषा उस बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। भारतवर्ष में भिन्न—भिन्न कालों में भिन्न—भिन्न भाषाएँ बोलते और लिखते आये हैं।

भाषा नदी की तरह प्रवाहमान होती है। भाषा की गतिशीलता को यदि बलपूर्वक रोकना चाहें तो भाषा उस बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। भारतवर्ष में भिन्न—भिन्न कालों में भिन्न—भिन्न भाषाएँ बोलते और लिखते आये हैं। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। संस्कृत को आर्यभाषा भी कहते हैं। भारतीय आर्यभाषा संस्कृत का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारतीय आर्यभाषा के इतिहास को तीन कालों में बाँटा गया है—

1. **प्राचीन भारतीय आर्यभाषा—1500 ई0पू0 से 500ई0पू0 तक।**
2. **मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा—500 ई0पू0 से 1000ई0 तक।**
3. **आधुनिक भारतीय आर्यभाषा—1000 ई0 सन् से अब तक।**

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा वर्ग में भाषा के दो रूप मिलते हैं—वैदिक संस्कृत तथा संस्कृत या लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में चारो वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का दूसरा रूप संस्कृत है। इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तर भारत में बोली जाने वाली वैदिककालीन भाषा से माना जाता है। लौकिक संस्कृत में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई, जिसे मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा कहा गया। मूलतः इस अवधि में लोकभाषा का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी वह अनुकूल समय पाकर प्राकृतिक रूप में विकसित हुई। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो विकसित रूप सामने आया उसे प्राकृत कहा गया। इस काल में यह प्राकृत तीन रूपों में विकसित हुई। प्रथम प्राकृत (पालि भाषा) में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिया। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के विकास की दूसरी स्थिति में जो जनभाषाएँ साहित्य में प्रतिष्ठित हुईं, उन्हें द्वितीय प्राकृत कहा गया। सामान्य मत के अनुसार वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, जिसका प्रवाह वैदिक काल से ही चला आ रहा था वह स्वभावतः प्राकृत कहलायी। इस प्रकार प्राकृत भाषा वैदिक और संस्कृत काल की जनभाषा का विकसित रूप है। भाषाविज्ञान ने प्राकृतों के पाँच प्रमुख भेद स्वीकार किये हैं। (1) शौरसेनी (2) पैशाची (3) महाराष्ट्री (4) अर्द्धमागधी (5) मागधी। हिन्दी प्रदेश में ऐतिहासिक दृष्टि से पाँच प्राकृतें थी—(1) अपभ्रंश (2) शौरसेनी (3) अर्द्धमागधी (4) मागधी (5) खस। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा की तृतीय प्राकृत—काल की भाषा अपभ्रंश कहलाती है। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है—विकृत, भ्रष्ट या पतित। जब प्राकृत भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा और वह व्याकरणबद्ध हो गयी तो धीरे—धीरे साहित्यिक प्राकृत और बोलचाल की प्राकृत भिन्न—भिन्न हो गई। आगे उसी बोलचाल की प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश के कई भेद माना गया है—मगधी अपभ्रंश, अर्द्धमगधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राचण अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। अपभ्रंश में ही महापुराण, जसहर चरिउ, णयकुमार चरिउ, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा आदि रचनाएँ हुई। यह साहित्य अधिकांश पश्चिम में रचा गया। भाषा जब साहित्य का माध्यम होकर एक प्रतिष्ठित रूप ग्रहण करती है और व्याकरण के नियमों में बँध जाती है, तब वह जनभाषा से दूर हो जाती है। अपभ्रंश भी जनभाषा से दूर हो गयी। अपभ्रंश के ही परवर्ती या परिवर्तित रूप को अवहट्ठ कहा गया है। ग्यारहवीं से लेकर चौदहवीं शताब्दी के अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ठ कहा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अवहट्ठ को उत्तरकालीन अपभ्रंश माना है। संदेशरासक, कीर्तिलता, वर्णरत्नाकर नाथ और सिद्धसाहित्य आदि अवहट्ठ की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की उत्पत्ति तृतीय प्राकृत या उसके कल्पित अपभ्रंशों से हुई है। एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएँ प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी हैं। इस हिन्दी प्रदेश में ऐतिहासिक दृष्टि से पाँच प्राकृते थी— अपभ्रंश, शौरसेनी, अर्द्धमागधी, मगधी और खास। हिन्दी इन्हीं पाँच प्राकृतों की उत्तराधिकारिणी विभाषाओं का संघ है।

अपभ्रंश से राजस्थानी हिन्दी, शौरसेनी से पश्चिमी हिन्दी, अर्द्धमगधी से पूर्वी हिन्दी, मागधी से बिहारी हिन्दी, खस से पहाड़ी हिन्दी का विकास हुआ। यही हिन्दी की उपभाषाएँ हैं। लोकमत के अनुसार राजस्थानी पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी और मध्य पहाड़ी हिन्दी की पाँच उपभाषाएँ हैं। ये वर्ग हिन्दी के अन्तर्गत है जो समूचे मध्यप्रदेश की भाषा है। मध्यप्रदेश के बाहर की भाषाओं का एक दूसरा वर्ग है जिसे हिन्दीतर वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत पश्चिम की गुजराती, सिंधी और पंजाबी पूर्व की असमिया, बंगला और उड़िया, उत्तर की नेपाली तथा दक्षिण की मराठी और सिंहली भाषाएँ आती हैं।

हिन्दी और उसकी उपभाषाएँ–

1. **पश्चिमी हिन्दी**–पश्चिमी हिन्दी का क्षेत्र पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी की सीमा से लेकर पूर्व में अवधी और बघेली की सीमा तक एवं उत्तर में पहाड़ी की सीमा से दक्षिण में मराठी की सीमा तक चला गया है। इस क्षेत्र में हरियाणवी या बांगरू, कौरवी या खड़ीबोली, ब्रजभाषा, बुंदेली या बुदेलखण्डी और कन्नौजी–ये पाँच बोलियाँ बोली जाती हैं। दक्षिण में बोली जाने वाली दक्खिनी हिन्दी भी इसी वर्ग में आती है।

- **ब्रजभाषा**– ब्रजभाषा की अनेक बोलियाँ हैं। नैनिताल की भूक्सा, एटा, मैनपुरी, बदायूँ और बरेली की अर्न्तवेदी, ग्वालियर, धौनपुरी और पूर्वी जयपुर की डांगी, गुड़गावाँ और भरतपुर की मिश्रित बोली एवं करोली की जादोबाटी। शुद्ध रूप में ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़ और आगरा में बोली जाती है। सूरदास और नन्ददास ने ब्रजभाषा में साहित्यिक रूप में सबसे अधिक योगदान दिया।
- **खड़ी बोली**– खड़ी बोली के अनेक नाम बताये जाते हैं। हिन्दुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी, किन्तु खड़ीबोली नाम अधिक प्रचलित है। वर्तमान साहित्यिक हिन्दी या सामान्य हिन्दी और उर्दू दोनों खड़ी बोली पर आधारित है। साधारणतः उत्तरी भारत की सामान्य बोलचाल की भाषा को खड़ीबोली कहते हैं, जिसका एक साहित्यिक रूप है। इसका केन्द्र बिजनौर है तथा क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर तथा देहरादून (मैदानी भाग) तक फैला है।
- **हरियाणवी**– इसका प्रयोग बोली के रूप में दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, पटियाला, नाभा तथा जींद आदि में होता है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसके लोकसाहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलते है।
- **दक्खिनी**– ख्वाजा बेरानेवाज गैसूदराज, निजामी, मुहम्मद कुली कुतुब ाह वजही आदि दक्खिनी बोली में अपना साहित्य लिखे हैं।
- **बुंदेली**– इसका प्रयोग बुन्देलखण्ड अर्थात् झाँसी, हमीरपुर, जालौन, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरछा तथा नरसिंहपुर आदि में तथा इसके आस–पास होता है। लाल कवि ने बुन्देली में छत्र–प्रकाश ग्रन्थ की रचना की है।
- **कन्नौजी**– इसका मुख्य केन्द्र फर्रूखाबाद है, किन्तु सामान्य रूप से इसका प्रयोग पीलीभीत, भााहजहाँपुर, इटावा तथा कानपुर के आस–पास तक होता है। यह ब्रजभाषा की ही एक उपबोली है।

(2) **राजस्थानी हिन्दी**– इस वर्ग में मारवाड़ी, जयपुरी (ढूंढाड़ी), मेवाती और मालवी चार प्रमुख बोलियाँ हैं।

- **मारवाड़ी**– राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर की बोली है। इसका प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है। यह साहित्यसम्पन्न भाषा है। नरपति नाल्ह, पृथ्वीराज आदि इसके प्रसिद्ध कवि हैं।
- **जयपुरी**– राजस्थान के पूर्वी भाग अर्थात् जयपुर और कोटा आदि की बोली है। इसमें नाथपंथियों का साहित्य मिलता है।
- **मेवाती**– अलवर तथा गुड़गाँव का मध्यवर्ती क्षेत्र मेवात कहा गया है। मेवाती इसी क्षेत्र की बोली है।
- **मालवी**– राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित मालवा की बोली होने से यह मालवी कही जाती है। इसका प्रमुख केन्द्र इन्दौर है।

(3) **पूर्वी हिन्दी**– पूर्वी हिन्दी कानपुर से मिर्जापुर तक और लखीमपुर–नेपाल की सीमा से दुर्ग–बस्तर की सीमा तक के क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत तीन बोलियाँ आती हैं–

1. अवधी 2. बघेली 3. छत्तीसगढ़ी।

- **अवधी**– यह पूर्वी हिन्दी की महत्त्वपूर्ण बोली है। अवध की भाषा होने से यह अवधी कही जाती है। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर (अंशतः), उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान आदि हैं।
- **बघेली**– इसका क्षेत्र उत्तर में मध्यप्रदेश–उत्तरप्रदेश की सीमा से लेकर दक्षिण में बालाघाट तक और पश्चिम में दमोह और बाँदा की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में मिर्जापुर, छोटा नागपुर और विलासपुर की पश्चिमी सीमाओं तक फैला हुआ है। रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखण्ड कहलाता है। वहाँ की बोली को बघेलखण्डी कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधी की ही एक उपबोली है। इसे दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है।
- **छत्तीसगढ़ी**– इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, विलासपुर,रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगाँव, काकेर आदि है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल, दण्डकारण्य और गौंडवाना कहा जाता है।

(4) बिहारी हिन्दी– बिहारी के अन्तर्गत तीन हिन्दी बोलियाँ भोजपुरी, मगही और मैथिली तथा कई उपबोलियाँ बोली जाती हैं। भोजपुरी का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसे बिहारी बोली कहने में कतिपय विद्वानों को संकोच है। बिहारी का निकटतम संबंध पूर्वी हिन्दी से है।

(क) भोजपुरी– इसका विकास मागधी प्राकृत या मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से माना जाता है। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर, जौनपुर तथा बस्ती के कुछ भाग एवं बिहार में भााहाबाद और सारन (छपरा) के पूरे जनपद और चंपारण, रांची तथा पलामू के कुछ भाग सम्मिलित हैं। भोजपुरी हिन्दी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। लोककवि बिहारी और ठाकुर प्रसिद्ध हैं।

(ख) मगही– मगही मागधी या मगध की भाषा का आधुनिक नाम है। इसका क्षेत्र पटना, गया अेर हजारीबाग के पूरे जनपद तथा पलामू का पश्चिमी भाग एवं मुंगेर और भागलपुर का थोड़ा–थोड़ा भाग सम्मिलित है। संतकवियों में बाबा मोहन दास और बाबा हेमनाथ प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में जयनाथपति प्रसिद्ध है।

(ग) मैथिली– भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है जिसकी बोली मैथिली है। विशुद्ध मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर और उत्तरी भागलपुर के जिलों में बोली जाती है। निश्चित रूप में यह नेपाल की तराई, चंपारण और संथाल परगना के संलग्न भागों की बोली है। यह साहित्यिक दृष्टि से सम्पन्न भाषा है। विद्यापति गोविंददास, नागार्जुन आदि मैथिली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं।

(5) पहाड़ी हिन्दी– पहाड़ी प्रदेश में बोली जाने के कारण यह पहाड़ी कही जाती है। इसका क्षेत्र हिमालय के भद्रवाह के उत्तर–पि चम से नेपाल के पूर्वी भाग तक है। इसकी तीन उपबोलियाँ हैं। 1. पश्चिमी पहाड़ी 2. मध्य पहाड़ी 3. पूर्वी पहाड़ी।

- **पश्चिमी पहाड़ी**– जौनसार, सिम्भौर, शिमला, मंडी, चंबा इसका क्षेत्र है। शौरसेनी अपभ्रंश से विभाजित इस बोली में केवल लोकसाहित्य है।
- **मध्य पहाड़ी**– इसकी दो भााखाएँ हैं।

1. कुमायूँनी 2. गढ़वाली।

कुमाऊँ का पुराना नाम कूर्मांचल था। इसके अन्तर्गत नैनीताल, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ के जिले सम्मिलित हैं। लोककवियों में गुमानी, पन्त और कृश्ण पाण्डेय प्रसिद्ध रहे हैं। गढ़वाली गढ़वाल, मंसूरी और उसके निकटवर्ती भागों में बोली जाती है।

- **पूर्वी पहाड़ी**– यह नेपाल तथा काठमाण्डू घाटी की भाषा है। यह नेपाल की राजभाषा है। इसमें भी साहित्य मिलता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. हिन्दी भाषा – कर्ण सिंह
2. हिन्दी भाषा – हरदेव बाहरी
3. हिन्दी भाषा – डॉ0 भोलानाथ तिवारी
4. आधुनिक हिन्दी व्याकरण रचना – बासुदेव नंदन प्रसाद

वसंत

अरविन्द कुमार अवस्थी
शोध प्रवक्ता हिन्दी
राज्य हिन्दी संस्थान,उ0प्र0,वाराणसी।

पीली सरसों में डुबी हुई धरती
जैसे हरी नदी के ऊपर पीले बादलों की दुनिया
बहुत ही शीतल हवा के बीच, उड़ते पक्षी
वसंत के आसमान में उड़ते हुए
मन के मुक्तांगन में उतर रहे हैं
धीरे–धीरे, धीरे–धीरे।

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किं।
लोचनाभ्यां विहीनस्य, दर्पणः किं करिष्यति।।

हिन्दी देश की आत्मा ही नहीं, बल्कि विश्व की दरकार भी है

सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिन्दी सबसे वैज्ञानिक भाषा है। यह विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिन्दी का एक विशेष स्थान है।

शिवम वर्मा
डी0एल0एड0 चतुर्थ सेमेस्टर 2019 बैच
डायट फरीदपुर, बरेली।

हिन्दी, हमारी अस्मिता का बोधक है, जो हमारी मातृ भाषा है, हमारी आजीविका का साधन है। हिन्दी सतत् प्रवाहिनी है दिन–रात, सुबह–शाम हमारी जबान पर होती है, जिनकी जबान पर नहीं होती, उनकी चेतना में होती है, उनके स्वयं में होती है, छायाओं में होती है। हिन्दी सिर्फ भाषा ही नहीं हमारे आत्म गौरव और आत्मविश्वास का मुद्दा है, हमारी अस्मिता का सवाल है। जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बाँधती है। 14 सितम्बर को हर साल हम 'हिन्दी दिवस' मनाते है।

एक भाषा के रूप में हिन्दी भारत की पहचान ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवनमूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिन्दी सबसे वैज्ञानिक भाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिन्दी का एक विशेष स्थान है। हिन्दी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। किसी भी भाषा की तरह हिन्दी भी मौलिक सोच की भाषा है।

''इतनी रंग बिरंगी दुनियाँ दो आँखों से कैसे आये,
हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाये।

हिन्दी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। हिन्दी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की सम्पर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही हैं। हिन्दी जन–आन्दोलनों की भी भाषा रही है। हिन्दी के महत्व को गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बड़े सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होनें कहा था कि भारतीय भाषाएं नदियाँ है और हिन्दी महानदी। हिन्दी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कम्पनियाँ इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिन्दी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनियाँ में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान–विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिन्दी में लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है।

''मन की भाषा, प्रेम की भाषा
हिन्दी हैं भारत जन की भाषा''

राजभाषा हिन्दी के विकास के लिये खासतौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केन्द्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में हों। इस कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितम्बर, सन् 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, इसी दिन संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिये और हिन्दी के उपयोग को प्रचलित करने के लिये सन् 1953 के उपरान्त हर साल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता हैं।

''सोंधी सुगंध, मीठी सी भाषा
गर्व से कही हिन्दीं है मेरी भाषा''

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गये कदमों के परिणामस्वरूप कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइटें हिन्दी में तैयार कर ली हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को हिन्दी में मिलने से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित होते हुए देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

''पढ़ना है पढ़ना है, सबको सिखाना है

हिन्दी भाषा को आगे बढ़ाना है।''

भारत ने ही विश्व को वेद और योग तथा विज्ञान की शिक्षा दी। वेद, पुराणों में निहित विज्ञानों को आज के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जबकि ज्ञान को वेद, पुराण में लिखा जा चुका था। इसको हम झुठला नहीं सकते।

इसी प्रकार हिन्दी की पकड़ विश्व स्तर पर हो गई है। इसके पाठकों के माध्यम से हिन्दी भाषा का विस्तार हो रहा है। आये दिन शोध में इस भाषा का निरतंर गुणात्मक रूप से विकास हो रहा है। अतः इनकी आबादी और पाठकों की संख्या बेहद अधिक है, ऐसे में विदेशी भी भारत की ओर अपनी सम्भावनाएँ तलाश रहे हैं। हिन्दी के माध्यम से ही हम अपनी कुशल अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जिससे राजभाषा की उन्नति में गुणात्मक सुधार हो सके। हिन्दी साहित्य के माध्यम से हिन्दी का प्रचार–प्रसार सम्पूर्ण भारत में हो सके इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिन्दी सीखने के लिए LILAApp (लीला एप) की लांचिंग की गयी है।

LILA App (लीला एप) (Learning India Language with Artificial Intelligence) राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो लोगों को हिन्दी समझने और सीखने में बहुत सहायता करेगा। 'लीला' एप से विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सीखने में सुविधा और सरलता होगी तथा हिन्दी भाषा को समझना, सीखना तथा कार्य करना संभव हो सकेगा। इस ऐप के जरिए सभी भारतवासी अपनी मातृभाषा हिन्दी को अच्छी तरह समझ सकें तथा दैनिक जीवन में हिन्दी भाषा को बढ़ावा दे सकेंगे। लीला एप एक ट्रान्सलेटर की तरह काम करेगा। जिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिन्दी में ट्रान्सलेशन किया जा सकेगा। आजकल का समय इण्टरनेट का समय है, जहाँ हमें इण्टरनेट पर बहुत सारी भाषाएँ पढ़ने और सीखने को मिलती हैं, किन्तु उनका ट्रान्सलेशन हमें हिन्दी में सही अर्थों में नहीं मिलता है।

राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किये गये इस एप के माध्यम से हिन्दी भाषा को सहजता से समझकर प्रयोग कर सकते हैं।

कैसे बनते

प्रीति श्रीवास्तव, स0अ0, उ0प्रा0वि0–रन्नो
वि0क्षे0–बक्शा, जौनपुर

कैसे बनती कविता पहेली, कैसे बनते गीत
कैसे बनते दोस्त सखा और कैसे बनते मीत

अक्षर से है बनती कविता, सुर से बनते गीत
प्रेम से बनते दोस्त सखा और मन से बनते मीत

कैसे बनते अच्छे इंसा, कैसे बनते हैं महान
कैसे जीते संघर्षो से, कैसे हटते तूफ़ान

सत्कर्म से बनते अच्छे इंसा , बड़े कर्मो से महान
हिम्मत से जीते संघर्षो से, सच से हटते तूफ़ान

कैसे बनते "अच्छे बच्चे", कैसे करते अच्छे काम
और क्या– क्या करने से होता है उनका नाम

सद्गुण से बनते अच्छे बच्चे, समय से करते पूरा काम
शिक्षा खेल स्वास्थ्य में बढ़कर करते अपना नाम।

कक्षा शिक्षण के लिए समय–सारणी की आवश्यकता : मेरा अनुभव

समय–सारणी से पठन–पाठन सुगमतापूर्वक कराया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अध्यापक को अपना पाठ बच्चों को पढ़ाना होता है और बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान देना होता है। वादन बजते ही अध्यापक अपना कार्य समाप्त कर दूसरी कक्षा में नए उत्साह और ऊर्जा से पढ़ाने के लिए जाते हैं।

डॉ0 सुविद्या वत्स प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज
देवा बाराबंकी

विद्यालय में पठन–पाठन एवं शैक्षिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे, इसके लिए विद्यालय में समय सारणी का होना अति आवश्यक है। जिस तरह से किसी व्यक्ति का जीवन योजनाबद्ध तरीके से चलता है तो किसी तरह की आशंका और अव्यवस्था नहीं होती है, उसी तरह से शैक्षिक संस्थानों में खास तौर से जहाँ पर पठन–पाठन होता है वहाँ पर समय–सारणी की अहम भूमिका होती है। विगत कई वर्षों से मुझे विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह गुरूतर दायित्व जब से मिला है तब से मैंने यह अनुभव किया है कि विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में अध्यापक के लिए कक्षा की समय–सारणी बहुत आवश्यक होती है। समय–सारणी से पठन–पाठन सुगमतापूर्वक कराया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अध्यापक को अपना पाठ बच्चों को पढ़ाना होता है और बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान देना होता है। वादन बजते ही अध्यापक अपना कार्य समाप्त कर दूसरी कक्षा में नए उत्साह और ऊर्जा से पढ़ाने के लिए जाता है तो वहीं पर उस कक्षा के छात्र पूरी तन्मयता से दूसरे विषय के अध्यापक/अध्यापिका का पूरे मनोयोग से इंतजार करते हैं और उनके आते ही उनके विषय की पाठ्यसामग्री, पुस्तक, लेखनी और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाते हैं। दूसरे विषय का अध्यापक भी अपने ज्ञान से छात्र–छात्राओं को सराबोर करता है। उनको विषय के साथ–साथ जीवन जीने की कला जीवन में कैसे सफल हो, किस तरह से आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इन उद्देश्यों की भी पूर्ति करते हैं। वह संबंधित विषय का ज्ञान निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा कराते हैं जिससे छात्र छात्राओं को अपना सर्वांगीण विकास करने में सहायता मिलती है। समय–सारणी के अभाव में विद्यालय का पठन–पाठन न तो व्यवस्थित होता है और न पाठ्यक्रम ही पूरा होता है। समय–सारिणी से सभी विषयों का शिक्षण व्यवस्थित एवं समयबद्ध तो होता ही है, साथ ही निर्धारित समय में पाठ्यक्रम भी पूरा होता है।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अपेक्षित परिणाम और पाठ्यक्रम को समयान्तर्गत पूर्ण कराने के लिए एक समय–सारणी बनायी जाय, ताकि शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता व सुगमतापूर्वक सम्पादित कर सकें। एक कहावत है कि समय और ज्वार भाटा किसी का इन्तजार नहीं करते। जिसका अर्थ है कि समय किसी का इन्तजार नहीं करता है। समय के साथ सभी को चलना चाहिए। समय आता है और हमेशा की तरह चला जाता है, पर कभी भी रूकता नहीं है। समय सभी के लिए निःशुल्क होता है, लेकिन कोई भी इसे कभी भी न बेच सकता है, न ही खरीद सकता है। यह अबंधनीय है, अर्थात् कोई भी न तो इसे हरा सकता है और न ही इससे जीत सकता है। समय को इस संसार में सबसे ताकतवर वस्तु कहा जाता है, जो किसी को भी नष्ट या सुधार सकता है। इस दृष्टि से भी अध्यापक को विचार करना चाहिए।

प्रारम्भिक कक्षा में भाषा शिक्षण : मेरा अनुभव

एक बच्चा जो पहली बार विद्यालय आता है तो उसके पास पर्याप्त भाषाई अनुभव होता है, बच्चों के पास बहुत सारे शब्द होते हैं तथा वे उनके अर्थ से परिचित होते हैं। पढ़ना–लिखना सिखाते समय यह आवश्यक है कि बच्चे की क्षमताओं तथा अनुभव का उपयोग कक्षा–कक्ष में किया जाय।

डॉ0 कुँवर भगत सिंह
एस0 आर0 जी0 वाराणसी।

वर्तमान में मैं राज्य संदर्भदाता समूह के सदस्य के रूप में जनपद वाराणसी में कार्यरत हूँ। वर्ष 2015–16 में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन संस्था के माध्यम से भाषा (हिन्दी) पर लगभग 10 माह का कोर्स करने के दौरान सीखने का काफी अवसर प्राप्त हुआ। एक एस.आर.जी. के रूप में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में भ्रमण करने एवं शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कक्षा–शिक्षण, विशेषकर भाषा (हिन्दी) कक्षा शिक्षण के अनुश्रवण के दौरान मेरा अनुभव इस प्रकार का है–

आमतौर पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान देखने को मिलता है कि शिक्षक पारंपरिक तरीकों से ही कक्षा शिक्षण कर रहे है, जैसे–पाठ का आदर्श वाचन करना (उतार, चढ़ाव एवं हावभाव के साथ), आदर्श वाचन करने के पश्चात अनुकरण वाचन और फिर पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल कराना। बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर कम दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि पाठ पूरा करा देना समय से कोर्स को पूरा कर लेना इत्यादि ऐसी चीजें हैं जिसे कक्षा शिक्षण में विशेष बल दिया जाता है।

अनेक शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि बच्चे के जन्म से लेकर पांच–छह वर्ष तक का समय उनके भाषा कौशल विकास तथा सीखने के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। बच्चा इस उम्र में तेजी से सीखता है। बच्चों को कक्षा–कक्ष में बोलने और अपने को अभिव्यक्त करने का अवसर कम मिलने के कारण बच्चे का भाषाई विकास नहीं हो पाता। बच्चों से बातचीत करने से न सिर्फ उनकी मौखिक अभिव्यक्ति तथा चिंतन प्रक्रिया समृद्ध होती है, बल्कि पढ़ना–लिखना सीखने में भी आधार का काम करता है। एक बच्चा जो पहली बार विद्यालय आता है तो उसके पास पर्याप्त भाषाई अनुभव होते हैं, बच्चों के पास बहुत सारे शब्द होते हैं तथा वे उनके अर्थ से परिचित होते हैं। पढ़ना–लिखना सिखाते समय यह आवश्यक है कि बच्चों की क्षमताओं तथा अनुभव का उपयोग कक्षा–कक्ष में किया जाय।

हमारे विद्यालय में बच्चे के घर पर बोली जाने वाली भाषा और विद्यालय की भाषा में थोड़ी भिन्नता होती है। बच्चा घर पर सहज और निर्बाध रूप से अपनी मातृभाषा का उपयोग करता है, जबकि एक शिक्षक द्वारा प्रारंभ से ही बच्चे के साथ स्कूली भाषा के विशिष्ट शैली को आरोपित करने का प्रयास किया जाता है, तो बच्चे की सहज प्रवृत्ति कहीं न कहीं गायब हो जाती है, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा जिस भाषा में सहज रूप से अपनी राय, अनुभव, विचार व्यक्त करना चाहता है, उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। विद्यालय में बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना बहुत जरूरी है जहाँ पर बिना भय या रोक–टोक के अपनी उत्सुकता व जिज्ञासा को अपनी पसंद की भाषा में व्यक्त कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि प्रारंभ में बच्चों को उनकी भाषा में बोलने, चर्चा करने के लिए शिक्षक प्रोत्साहित करें और धीरे–धीरे मानक भाषा की ओर अग्रसर करें।

पढ़ना–लिखना सीखने की प्रक्रिया में मौखिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हर स्तर पर मौखिक कार्य को पढ़ना–लिखना सीखने का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चे को स्कूल के पहले दिन से ही लिखित सामग्री पर काम करने का अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बातचीत के माध्यम से बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाना तथा उन्हें अपनी बातों को कहने का अवसर मिलना चाहिए। पुस्तकों को पढ़ने, उन्हें उपयोग में लेने का भरपूर अवसर देना चाहिए। अधिक से अधिक पुस्तकालयों का उपयोग जिसके माध्यम से किताबों को पलटने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के शुरुआती दिनों में सरल व रोचक किताबों का उपयोग काफी महत्वपूर्ण होता है। पुस्तक पढ़ना–लिखना सीखने में बच्चों के लिए बहुत मददगार होते हैं।

शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ने के विभिन्न अनुभव दिए जाने चाहिए, जैसे–छोटी कक्षाओ में कक्षा शिक्षण की शुरुआत कहानी सुनाने से करना, बच्चों से कहानी सुनना, हाव–भाव, उतार–चढ़ाव के साथ कविता सुनाना व सुनना, चर्चा करना, कहानी को अपने शब्दों में पूरा करने के लिए कहना। ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जो बच्चों को पढ़ना सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

बच्चों के साथ उपरोक्त गतिविधियों को करके हिन्दी भाषा की कक्षा रोचक बनायी जा सकती है।

कक्षा–शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग : मेरा अनुभव

प्रीति श्रीवास्तव,
स0अ0
पू0 मा0 वि0 रन्नो ब्लॉक–बक्शा
जौनपुर

कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान हम बच्चों के साथ कविता, गीत, कहानी, कठपुतली मंचन, रोल प्ले इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से जितना बच्चों के शिक्षण को सहज और आनंददायक बना सकते हैं। बच्चों को बिग बुक, कॉमिक बुक के साथ–साथ प्रचुर मात्रा में स्तरानुकूल किताबों से भरे कक्षा कक्ष का वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे एक आनंदमयी वातावरण में सभी विषयों के साथ साथ भाषा के प्रति भी बच्चों की अवधारणा तथा बोधगम्यता सुनिश्चित हो सके।

मैं सन 2002 से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इन 19 वर्षों के कार्यकाल में अध्यापन के साथ–साथ मेरा विभिन्न प्रशिक्षणों में बतौर सन्दर्भदाता, एआरपी (NISHTHA), शिक्षक संकुल इत्यादि पदों के दायित्व निर्वहन का कार्य मिला।मैं बेसिक शिक्षा के विकल्प पोर्टल की रिव्यू टीम में भी हूँ और सब्जेक्ट टीचर फोरम की सदस्य भी । मेरे द्वारा कोविड–19 काल में स्वप्रेरित शिक्षक समूह EDUSTUFF का गठन किया गया जो बच्चों के लिए रुचिकर शैक्षणिक सामग्री का निर्माण करता है। अध्यापन के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि बच्चे सबसे जल्दी तभी सीखते हैं जब वे सीखने की प्रक्रिया में स्वयं भी शामिल होते हैं तथा जब उनको सृजनात्मकता का एक सकारात्मक वातावरण मिलता है। अध्यापन के दौरान शुरुआती कक्षा में मैंने यह पाया है कि एक पन्ना सुलेख लिखने का आदेश देने की बजाए यदि उनको लिखने का अभ्यास हाथ पकड़कर कराया जाए तो उनके लेखन में जल्दी सुधार होता है।

इसी तरह जब हम उनको कोई कार्य रटने को देते हैं उसके बजाय यदि हम उनके साथ किसी गतिविधि के द्वारा वह पाठ पढ़ाते हैं तो उनको शीघ्र बोधगम्यता होती है। हमे यह समझना होगा कि वास्तव में अध्यापन एक कार्य नहीं बल्कि एक कला है। हमें जो पढ़ाना है वह हम किस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे को उसकी पूरी तरह से संप्राप्ति हो जाए। विशेष तौर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना यह एक चुनौती भरा कार्य होता है। बच्चों को बिग बुक, कॉमिक बुक के साथ–साथ प्रचुर मात्रा में स्तरानुकूल किताबों से भरे कक्षा कक्ष का वातावरण उपलब्ध कराया जाए, साथ ही किस्से–कहानियों, गीत कविताओं के साथ–साथ अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराये जाएं जिससे एक आनंदमयी वातावरण में सभी विषयों के साथ साथ भाषा के प्रति भी बच्चों की अवधारणा तथा बोधगम्यता सुनिश्चित हो सके साथ ही उनके सृजनात्मक कौशल का विकास हो। कक्षाकक्ष में शिक्षण के दौरान हम बच्चों के साथ कविता, गीत, कहानी, कठपुतली मंचन, रोल प्ले इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण को सहज और आनंददायक बना सकते हैं उतना रटाकर नहीं ।

रटने से बच्चों को विषय के प्रति रुचि विकसित नहीं होती, जबकि करके सीखने से, विभिन्न गतिविधियों अथवा दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से स्वतः रूचि होती है। इन सबके बाद आता है ICT जो आज के समय की मांग है। ICT मोबाइल, लैपटॉप, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर इत्यादि हो सकता है, जिसके द्वारा हम कम समय में आकर्षक वीडियो अथवा शैक्षणिक सामग्री विकसित कर बच्चों को अधिगम करा सकते हैं, ये सहज, सरल, रुचिकर व आकर्षक होता है तथा बच्चों को इसमें ज्यादा आनंद आता है।

इसके साथ ही बच्चों की पारस्परिक सहभागिता अधिकाधिक हो उसके लिए कार्यपत्रकों का उपयोग करते हुए, छोटे–छोटे समूहों में बांटकर उनसे सृजनात्मक गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। मैंने परम्परागत शिक्षण भी देखा है और कई नवाचारों का प्रयोग भी करके देखा है और मैंने पाया है कि नवीनता और विविधता हमेशा आकर्षक और मनोरंजक रही है। शिक्षण को आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए पपेट्स, प्रॉप्स, चार्ट और पोस्टर का नियमित प्रयोग करना चाहिए।

जैसे किसी पात्र के बारे में मौखिक बताना अथवा उस पात्र के अनुसार एक स्टिक पपेट अथवा Soft puppet से पढाना इन दोनों में कठपुतली से शिक्षण ज्यादा आकर्षक एवं मनोरंजक होता है। इसके अलावा रोल प्ले भी पूर्ण अधिगम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस गतिविधि में भी शिक्षण आनंददायक एवं प्रभावी होने के साथ–साथ बच्चों के मस्तिष्क पटल पर स्थायी भी होता है।

प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण : मेरा अनुभव

संस्कृत शिक्षण में अच्छी शिक्षण–अधिगम सामग्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इससे पाठ सहज बोधगम्य हो जाता है। पाठ को छोटे–छोटे अनुच्छेदों में विभाजित कर सरल और सहज शिक्षण करने से बच्चों में शीघ्र ही पाठ की समझ विकसित होती है और उनकी संस्कृत अध्ययन में रुचि भी विकसित होती है।

अखिलेश कुमार पाण्डेय,
स0अ0
प्रा0वि0 होलापुर, हरहुआ,
वाराणसी।

प्राथमिक कक्षाओं में संस्कृत शिक्षण करते हुए मैंने अनुभव किया कि इस विषय को अन्य विषयों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता था। पहले इस विषय का अध्यापन कक्षा 3 से प्रारंभ होता था। वर्तमान में कक्षा एक से ही इस विषय का पढ़ाया जाना निश्चय ही सराहनीय कार्य है। कक्षा एक से ही संस्कृत पढ़ने से उन विद्यार्थियों के लिए जो भविष्य में संस्कृत विषय में आगे अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, विशेष सुविधा होगी। संस्कृत अध्ययन से निश्चय ही मानव मूल्य के प्रति उनकी निष्ठा दृढ़ होगी। संस्कृत साहित्य में कर्णप्रिय संस्कृत काव्य का प्राचुर्य है।

संस्कृत बाल साहित्य में भी मनोरम गीतों के संग्रह की प्रचुरता है। ये गीत आकर्षक और गेय होते हैं। इनमें से जो गीत बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उन बालगीतों को छोटे–छोटे वाक्यों में विभक्त करके बोलने व गाने का अभ्यास कराकर कक्षा का वातावरण संस्कृतमय बनाया जा सकता है। मैंने यह अनुभव किया है कि संस्कृत के पद्य पाठों के भाव तथा गद्य पाठ की कहानी को सुनने व सुनाने का कक्षा में बच्चे बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। ये पद्य प्रायः प्रकृति से जुड़े और जीवन मूल्यों की शिक्षा देने वाले होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में संस्कृत गद्यपाठ में भी बहुत मनोरंजक कथाओं को स्थान दिया गया है। इसको पढ़ने से मनोरंजन के साथ–साथ जीवन मूल्यों की सहज समझ विकसित होती है। राष्ट्रप्रेम, विश्व–बंधुत्व, दया, करुणा, प्रकृति–प्रेम, जीवो के प्रति संवेदना, बड़ों के प्रति आदर का भाव, गुरुजनों का सम्मान, मित्रता आदि भावों को बच्चों में बाल्यकाल से ही सहज समाहित करने में संस्कृत गद्य साहित्य निश्चय ही श्रेष्ठ भूमिका निभा रहा है।

अब तक के अनुभव से मैंने यह जाना है कि संस्कृत के सफल शिक्षण के लिए एक शिक्षक को शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उसे श्रेष्ठ नवाचारों को सम्मिलित करना चाहिए। उच्चारण में कठिन प्रतीत हो रहे शब्दों के समान कुछ अन्य शब्दों का संग्रह करके बच्चों के साथ मिलकर उनका अभ्यास करना चाहिए। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जिन विद्यार्थियों का संस्कृत उच्चारण अच्छा होता है प्रायः वे अन्य भाषाओं की भी ध्वनियों के बोलने में कुशल होते हैं। संस्कृत शिक्षण में अच्छी शिक्षण–अधिगम सामग्री की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इससे पाठ सहज बोधगम्य हो जाता है। पाठ को छोटे–छोटे अनुच्छेदों में विभाजित कर सरल और सहज शिक्षण करने से बच्चों को शीघ्र ही पाठ की समझ विकसित होती है और उनकी संस्कृत अध्ययन में रुचि विकसित होती है।

हाव–भाव के साथ अभिनयात्मक शिक्षण से भी इस विषय का प्रभावी अधिगम होता है। ऐसे शिक्षण से संपूर्ण कक्षा सक्रिय रहती है और अपेक्षित लर्निंग आउटकम की सहज सम्प्राप्ति होती है। संस्कृत शिक्षण के पूर्व शिक्षक को संपूर्ण मनोयोग से पाठ–योजना का निर्माण करना चाहिए जिसमें यथासंभव नवाचारों का समावेश होना चाहिए तथा विद्यार्थियों की कठिनाई का अनुमान करके समग्र पाठ पर प्रति–पंक्ति विचार करना चाहिए।

अंजली कक्षा–5
प्रा० वि० रसूलपुर रिठौरी
सिकन्दराबाद बुलन्दशहर

सूरज

ऊपर सूरज उगता है,
नीचे कलियाँ खिलती हैं।
जब वसंत आता है,
धरती रंग–बिरंगी दिखतीहै।
गीत गाती है कोयल,
कानों में मिसरी घुलती है।
फूलों पर भौरा मँडराता है,
तितली झूमने लगती है।
ऊपर सूरज उगता है,
नीचे कलियाँ खिलती हैं।

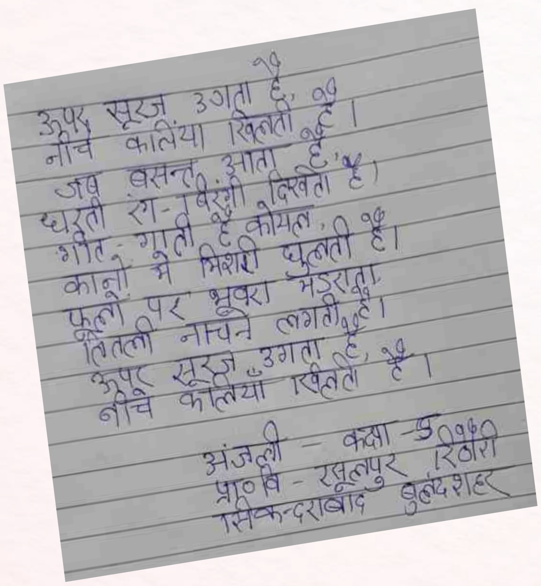

ऊपर सूरज उगता है,
नीचे कलियां खिलती हैं।
जब बसन्त आता है,
धरती रंग-बिरंगी दिखती है।
गीत गाती है कोयल,
कानों में मिसरी घुलती है।
फूलों पर भुवरा मंडराता,
तितली नाचने लगती है।
ऊपर सूरज उगता है,
नीचे कलियां खिलती हैं।
अंजली – कक्षा-5
प्रा० वि० - रसूलपुर रिठौरी
सिकन्दराबाद बुलंदशहर

कुणाल नागवानी कक्षा–5
प्रा० वि० खाँरीकुआ, नगरक्षेत्र
वाराणसी

स्वस्थ अगर रहना है

स्वस्थ अगर रहना है तुमको
खुली सड़ी चीजें मत खाना।
स्वस्थ अगर रहना है तुमको
सुबह सवेरे तुम उठ जाना।
स्वस्थ अगर रहना है तुमको
दातुन करके खूब नहाना।
स्वस्थ अगर रहना है तुमको
नाखून बाल सदा कटवाना।
स्वस्थ अगर रहना है तुमको
ताजे फल और सब्जी खाना।
स्वस्थ अगर रहना है तुमको
योग और आसन अपनाना।

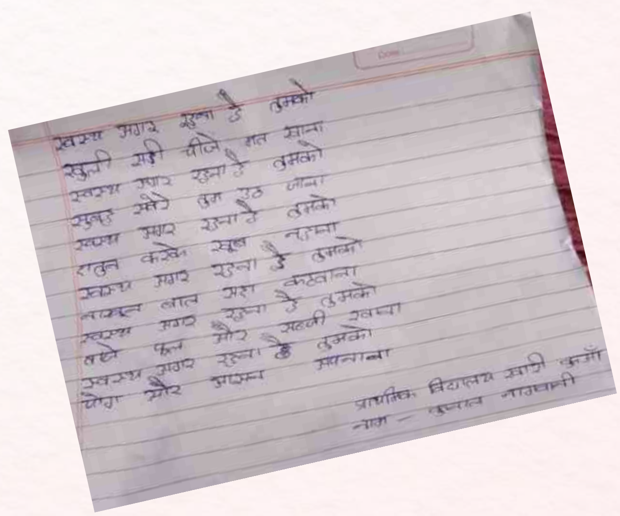

सबके बोल

सौम्या गिरी कक्षा—7
सेंट मैरिज कान्वेन्ट स्कूल
वाराणसी

चूहे राजा करते चूँ—चूँ, बिल्ली करती म्याऊँ—म्याऊँ।
चीं—चीं करती है गौरैया, पढ़ें किताबें राजा भैया।
कौवा काला, कोयल काली, फूल बेचता है बनमाली।
पेड़ों में फल के लगते ही, काका करते हैं रखवाली।
मधुमक्खियाँ दूर—दूर से, फूलों पर आ जाती हैं।
रस ले—लेकर फूलों से, मीठा भाहद बनाती हैं।
देख घटा सावन की प्यारी, झूम—झूम कर मोर नाचता।
छुट्टी की घंटी बजते ही, बच्चा हँसते—गाते जाता।

शिक्षा की राह

पवन कुमार कक्षा—5
रानी भवानी जय नारायण बालिका वि0,
रामापुरा वाराणसी।

है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलायेंगे।
मरने वालों की दुनिया में, अमरता का नाम लिखायेंगे।
जो लोग गरीब भिखारी हैं, हम उनको, गले लगायेंगे।
जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको सुखी बनायेंगे।
पढ़ना लिखना जो छोड़ चुके, हम उनको दिशा दिखायेंगे
है शौक यही अरमान यही, शिक्षा की राह दिखायेंगे।

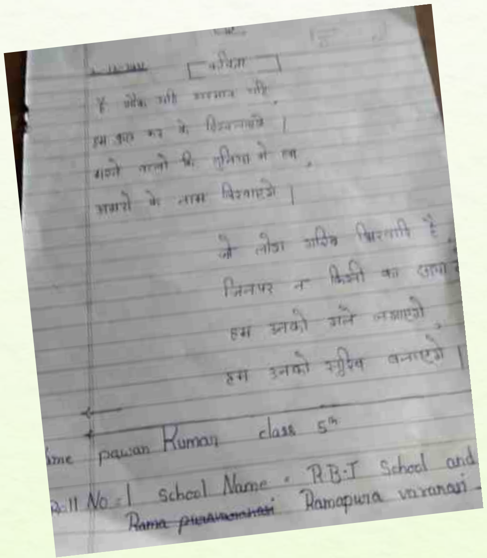

शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है।
—मनुस्मृति

हमसे सब कहते

मो0 कैफ कक्षा–5
प्रा0 वि0 खारीकुआँ, नगरक्षेत्र
वाराणसी

नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ।
कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चाँदनी को ले आओ।
कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अन्दर आई।
बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई।
पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अन्दर आए।
हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डाँट लगाए।

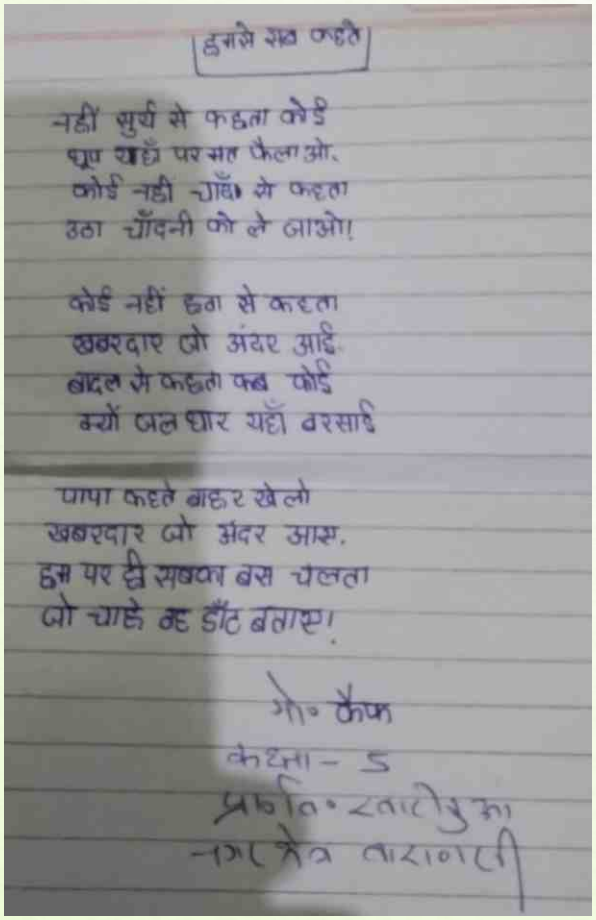

हमसे सब कहते
नहीं सुर्य से कहता कोई
धूप यहाँ पर मत फैलाओ.
कोई नही चाँद से कहता
उठा चाँदनी को ले आओ।
कोई नहीं हवा से कहता
खबरदार जो अंदर आई
बादल से कहता कब कोई
क्यों जल धार यहाँ बरसाई
पापा कहते बाहर खेलो
खबरदार जो अंदर आए.
हम पर ही सबका बस चलता
जो चाहे वह डाँट बताए।
मो० कैफ
कक्षा– 5
प्रा०वि० खारीकुआँ
नगरक्षेत्र वाराणसी

किसान का बेटा

शिवा कक्षा–5
प्रा0वि0 रसूलपुर रिठौरी
सिकन्दराबाद बुलन्दशहर

किसान का बेटा हूँ,
जानता हूँ किसानी।
खाद–बीज, मिट्टी पानी,
मिलकर बनता रंग धानी।
हर पौधे को पहचानता हूँ,
जानता हूँ, इनकी कहानी।
किसान का बेटा हूँ,
जानता हूँ किसानी।

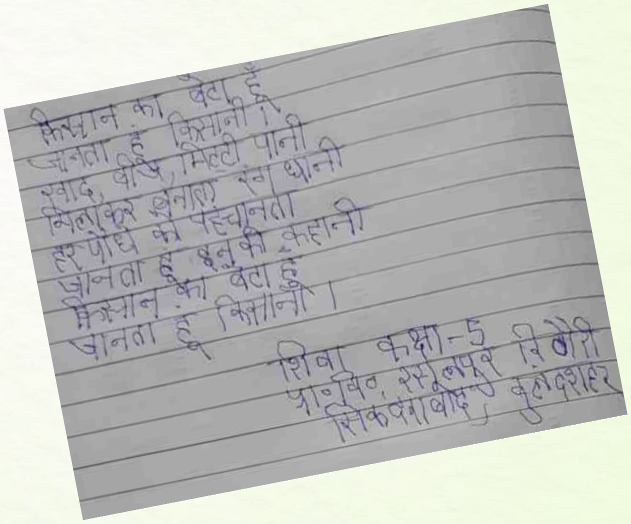

किसान का बेटा हूँ
जानता हूँ किसानी।
खाद, बीज, मिट्टी पानी
मिलकर बनाता रंग धानी
हर पौधे को पहचानता
जानता हूँ इनकी कहानी
किसान का बेटा हूँ
जानता हूँ किसानी।
शिवा कक्षा–5
प्रा०वि० रसूलपुर रिठौरी
सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर

माँ

डॉ0 प्रतिभा गोस्वामी
प्र0प्र0 एवं भोध अधिकारी
राज्य हिन्दी संस्थान उ0प्र0 वाराणसी।

आँचल में खुशियाँ लिए हुए, बच्चों पर खूब लुटाती हैं,
बच्चों को जिसकी चाहत हो, वो तिल तिल उसे जुटाती हैं।
बदले में उनको क्या मिलता, ये सोच भी नहीं पाती हैं,
बच्चे रोएँ तो रोती हैं, बच्चे हँसते तो हँसती है।

अपने जीवन की चिन्ता क्या, इसमें ना समय गँवाती है,
सारे तीरथ को छोड़ सदा, बच्चों में ही रम जाती हैं।
क्या करना कैसे रहना है, दिन रात यही समझाती हैं,
बच्चे रोएँ तो रोती हैं, बच्चे हँसते तो हँसती है।

बच्चों में स्वार्थ कहाँ—क्यों है, ये भी अनदेखा करती हैं,
अपना अस्तित्व मिटाकर वो, बस माँ हैं माँ ही रहती हैं।
उज्ज्वल भविष्य उनका सँवरे, बस यही कल्पना करती हैं,
बच्चे रोएँ तो रोती हैं, बच्चे हँसते तो हँसती है।

कभी धैर्य—रुप, कभी त्याग—रुप, वह सब में ढल जाती है,
कभी पिता कभी शिक्षक बन, बच्चों को राह दिखाती है।
आँचल में खुशियाँ लिए हुए, बच्चों पर खूब लुटाती हैं,
बच्चे रोएँ तो रोती हैं, बच्चे हँसते तो हँसती है।

बेटियाँ

डॉ0 सुधांशु
ए0 आर0 पी0 केराकत
जौनपुर।

हर घर की शान है, वो देश का सम्मान है,
रूह मेरी जान मेरी, आत्मजा अभिमान है।

हर पिता की लाडली, वो अप्सरा जन्नत जहाँ,
चुलबुली परियों की रानी, चारु है ऐसी कहाँ!

अंगजा आँगन बनाती, देवि मंदिर धाम को,
तात जब थक हार आते गेह निज विश्राम को

कोमल कमल की पंखुड़ी, वो गेह की मुस्कान हैं
झोंक है शीतल पवन की, निज पिता की जान है।

धिया है वो धात्रि की, निज तात की है जानकी,
मेधा प्रखर श्री नाम की, सागर में गागर ज्ञान की।

अभ्युदय

श्रीमती साधना सिंह (स0अ0)
प्रा0वि0 सूलपुर हरहुआ,
वाराणसी।

धरती तले दबे बीजों का, आया समय अभ्युदय होगा।
हर नन्हें–मुन्ने बच्चों का, आया समय अभ्युदय होगा।

हम अब दृढ़ संकल्पित हैं, राधाकृष्णन, विवेकानन्द, कलाम बनाने को।
हर बच्चों के मन–मस्तिष्क में, अब ज्ञान का प्रस्फुटन करने को।

हर बच्चा बोलेगा विश्व सम्मेलन में, अब ऐसा अभ्युदय होगा।
गाँधी, शास्त्री, सुनीता, व कल्पना जैसा, प्रस्फुटित होगा इनका व्यक्तित्व।

समता की रसधार बहेगी, दीन–हीन ना कोई होगा,
धरती तले दबे बीजों का, आया समय अभ्युदय होगा।

कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है और सच्ची भावनाएँ चाहे वे दुःख की हों या सुख की, उसी समय उत्पन्न होती हैं जब हम दुःख या सुख का अनुभव करते हैं।
–प्रेमचन्द

आराधना

अरविन्द कुमार सिंह
(स0अ0) प्रा0 वि0 धवकलगंज बडागाँव, वाराणसी

ऐ मातृभूमि सुमधुर, मुस्कान तेरी न्यारी।
करते हैं हम सभी मिल, आराधना तुम्हारी।

उन्नत धरा के वासी, हम तुमसे प्यार करते।
तेरा ही स्नेह पाकर,हम नित नए निखरते।
तेरी ही मस्त धुन में, अभिराम है हमारी।
ऐ मातृभूमि सुमधुर, मुस्कान तेरी न्यारी।

खेतों में तेरे उपजे, धन–धान्य प्यारे–प्यारे।
तेरा रूप है मनोहर, कहते ये चाँद तारे।
जय हो तेरी धरा पर, ना हो कभी लाचारी।
ऐ मातृभूमि सुमधुर, मुस्कान तेरी न्यारी।

कण–कण है तेरा सोना, चन्दन–सी मिट्टी होना।
संसार में कहीं भी, ऐसा नहीं है कोना।
तेरी रज चढाएँ माथे, तेरी ही है खुमारी।
ऐ मातृभूमि सुमधुर, मुस्कान तेरी न्यारी।

छड़ी

ज्योति श्रीवास्तव,
कला अनुदेशक उ0 प्रा0 वि0 गुरैनी, शाहगंज, जौनपुर

छड़ी मस्तानी हूँ, तन–तन खड़ी हूँ।
दादा जी की प्यारी हूँ, दादी की दुलारी हूँ।
छड़ी मस्तानी हूँ, खूंटी पे टांग जाती हूँ
बूढ़ों का सहारा हूँ, अंधों को राह दिखाती हूँ।
चोरों को दूर भगाती हूँ, छड़ी मस्तानी हूँ।।
रूप भिन्न–भिन्न हैं मेरे, कभी छोटी, कभी बड़ी।
कभी पतली, कभी मोटी, सब रूप में उपयोगी हूँ।
छड़ी मस्तानी हूँ, तन–तन खड़ी हूँ।

श्रीमती रीता सिंह
स0अ0 वाराणसी

आओ रोपें वन

आओ रोपें हम वन, थोड़ा करलें जतन
फिर से महके चमन, सच कर दें स्वप्न
बनके हम सब श्रवण, सींचें धरती का तन।
आओ रोपें हम वन, सजा धरा का बदन
खिल उठेगा सुमन, होगा सुन्दर–सा वन
झूम बरसेगा घन, मुस्कुराएगा गगन।
आओ रोपें हम वन, यह तो होगा हवन
अशुद्धियों का पतन, बह चलेगी पवन
आए वसुधा का यौवन, आने वाला है सावन।
आओ रोपें हम सब वन, कम जो होगी तपन
ना होगी वह चुभन, हो दुर्गंध का दलन
शीतल पवन की छूवन, कर लें सारे जतन।
आओ रोपें हम सब वन, बन धरा के उमंग
मानव होगा मगन, झूमे धरती गगन
पूरा होगा स्वप्न, चारों ओर होगा वन।

श्रीमती रेखा वर्मा
स0अ0 वाराणसी

शिक्षक

देकर ज्ञान सहजता का, अपना कर्तव्य निभाते हैं,
हाँ! हम शिक्षक हैं, खुद से खुद का परिचय बताते हैं।
कागज पर बना अधूरा चित्र, पूर्ण करने का जिम्मा उठाते हैं,
फूल खिला जो धरती पर, उसे चाँद तक ले जाते हैं।
नन्हीं कलियों के चेहरे पर, प्यारी मुस्कान लाते हैं,
दिखते सरल–सा, पर जीवन मंत्र सिखाते हैं।
नन्हें–मुन्ने फूलों से, बगिया को महकाते हैं,
लेकर नित प्रेरक आयाम, हर तारे को चमकाते हैं।
पढ़ाते पाठ धीरता का, संतोष का भाव जगाते हैं,
करके परिमार्जन पशुता का, मानवता आगे लाते हैं।
देकर सबको विद्या धन, घर–घर में दीप जलाते हैं
करके आलोकित पथ को, सफलता तक ले जाते हैं।
सबकी जो आँखों में बसे, उसकी तस्वीर बनाते हैं
त्याग कर अपना सुख–चैन, आगे बढ़ते जाते हैं।
गर्व मुझे है इस जीवन पर, अपना धर्म निभाते हैं
भय को बदल अभय में, आत्मविश्वास जगाते हैं।
आनन्ददायी शिक्षा हेतु नवाचार अपनाते हैं।
हाँ! हम शिक्षक हैं, आज खुद से खुद का परिचय बताते हैं।

सीखें हम जीने का ढंग

–श्रुति त्रिपाठी,
स0अ0 पूर्व माध्यमिक विद्यालय बटेला,
बस्ती, उत्तर प्रदेश

घटा कोरोना स्कूल चलें, महीनों बाद हम दोस्त मिलें।
थोड़ा–थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ी मस्ती कर लेंगे।
मैडम–सर से आज मिले, खुशियों से है दिल खिले।
घंटी बजी जोर से, स्कूल गूंजा शोर से।
काकी ने है रोटी बनायी, हम सब ने मिलकर खायी।
मजा आ गया ऐसा स्वाद, ताजी हो गई पुरानी याद।
मीना, सोनी और सुजीत, खेल में रहे हैं देखो जीत।
मैं भी जोर से दौड़ूंगा, सबको पीछे छोड़ूंगा।
शिक्षक अब हमको पढ़ा रहे , ज्ञान का दीपक जला रहे।
अनुशासन व शिक्षा के संग, सीखें हम जीने का ढंग।

मनुष्य की जिजीविषा

सुश्री मीनाक्षी राय,
प्रवक्ता (शोध)
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,

है धरा पर कोहराम मचा
जीवन का संकट आन पड़ा।
विपदा का ओर न अंत पता
नैराश्य का परचम फैल रहा।
दानावल–सा काल ये बढ़ता
मृत्यु का ताण्डव है चलता।

है कौन गरल यह पीने को
वसुधा पर जीवन देने को।
अब किसकी करें पुकार मनुज
अभिशप्त हुए जीने को।
हैं कहाँ कृष्ण, शिव, बुद्ध यहाँ
जीवन का अमृत देने को।
है खड़ी सभ्यता काल सम्मुख
यह हलाहल पीने को।

है डटा मनुज के लिए मनुज
न धैर्य ये खोने देता।
आशा का दीप लिए उर में
इस समर में आगे बढ़ता।
है तिमिर नहीं ऐसा जग में
जीता न हो जिसे नर ने
हो विजित मनुज की जीजिविषा
हो धरा पर पुलकित हर जीवन।

कर्तव्य—पथ

आदित्य गोस्वामी,
छात्र,डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज
वाराणसी

अपने पथ पर अडिग खड़ा, मैं सबको बतलाऊँगा,
बाधाएँ आती हों आएँ, मैं अपना कर्तव्य निभाऊँगा,
एक नहीं दो चार भी नहीं, पग—पग बढ़ता जाऊँगा।

लक्ष्य बनाया है मैंने जो, वही शिखर मैं पाऊँगा,
जो मेरा उत्साह बढ़ाए, उनको शीश झुकाऊँगा,
एक नहीं दो चार भी नहीं, पग—पग बढ़ता जाऊँगा।

पूर्ण हुआ जो लक्ष्य हमारा, देश का मान बढाऊँगा,
रोड़े बनकर जो आएंगे, उनको सबक सिखाऊँगा,
एक नहीं दो चार भी नहीं, पग—पग बढ़ता जाऊँगा।

हिन्द देश की शान की खातिर, ध्वजा विश्व फहराऊँगा,
देश हमारा विश्व गुरु है, मैं सबको यह बतलाऊँगा,
एक नहीं दो चार भी नहीं, पग—पग बढ़ता जाऊँगा।

संकट की जो आए घड़ियाँ, अपना फर्ज निभाऊँगा,
ये सारे कर्तव्य निभाकर, हिन्द पुत्र कहलाऊँगा,
एक नहीं दो चार भी नहीं, पग—पग बढ़ता जाऊँगा।

हाथी दादा

निधि सिंह, स0अ0
प्रा0वि0 धपरी, नियामताबाद,
चन्दौली।

हाथी चला, भाई हाथी चला
हिलता—डुलता, हाथी चला।

इतना बड़ा, हाथी चला,
दाएँ चला, कभी बाएँ चला।

सूँड़ उठाए, हाथी चला,
पूँछ हिलाए, हाथी चला।

हाथी चला, भाई हाथी चला
हिलता—डुलता, हाथी चला।

लिए पीठ पर बोझा,
धम्मक—धम्मक हाथी चला।

मनभर खाए केला,
हाथी है अलबेला।

लम्बी सूँड़ कान है चौड़े,
हाथी धीरे—धीरे दौड़े।

आँखे छोटी पूँछ भी छोटा,
पाँव है इसका थोड़ा मोटा।

हाथी चला, भाई हाथी चला
हिलता—डुलता, हाथी चला।

हिन्दी दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में विचार प्रस्तुत करते हुए विषय विशेषज्ञ एवं प्रतिभागी

हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए संदर्भदाता

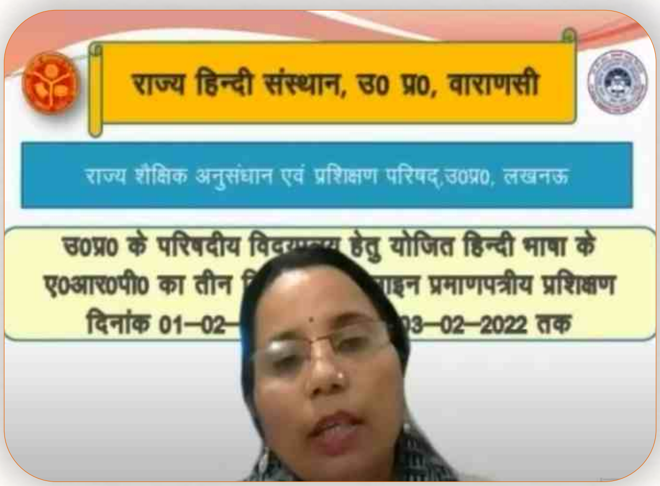

हिन्दी भाषा के ए0आर0पी0 का तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित करती हुई संस्थान की निदेशक महोदया

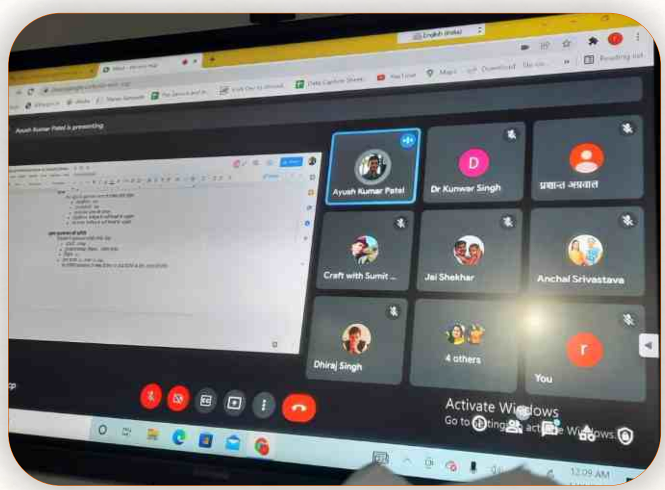

पुस्तकालय का प्रभावी उपयोग एवं पढ़ने की आदत का विकास विषयक ऑनलाइन कार्यशाला

आत्मज्ञानं परमज्ञानम् ।

स्थापना वर्ष -1975

ई–मेल–rajyahindisansthan1975@gmail.com
वेबसाइट– rajyahindisansthanupvns.org.in